बुधवार
18 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दैनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६२८, १६२६, १६३२, १६३४ से १६३६, १६३६, १६४१, १६४७, १६५० से १६५२, १६५४, १६५५, १६५७, १६५६, १६६१ और १६६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७६० से १७६७ ... २१२७–३६

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५—सोमवार, ७ मई, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६६७, १६६६, १६७१, १६७२, १६७५, १६७८, १६७६, १६८१, १६८२, १६८४, १६८६ से १६८८, १६६१ से १६६३, १६६५, १६६७, १६६८, २०००, १६६८, १६७०, १६६६, १६८३ और १६८६ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६७३, १६७४, १६७६, १६७७, १६६६, १६८०, १६८५, १६६०, १६६४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७६८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–६०

अंक ५६—मंगलवार, ८ मई, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००६, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१६, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१६१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२६, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८६३ २२१५–२६

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७—बुधवार, ६ मई, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३६, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६४ से १६२४ और १६२६ से १६३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

पृष्ठ

ग्रंक ५८––गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ ग्रौर २१११ से २११६ — २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० ग्रौर २११७ से २१२५ — २३०४–०९

ग्रतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ … २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका — २३१९–२०

ग्रंक ५९––शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ ग्रौर २१५५ — २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ — २३४२–४५

ग्रनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ — २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका — २३५५–५६

ग्रंक ६०––सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ ग्रौर २१७८ से २१८१ … २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ ग्रौर २१८३ से २१९६ — २३७८–८३

ग्रतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ … २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका — २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

बुधवार, १८ अप्रैल १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बनावटी खादी की बिक्री

†*१५४४. **श्री डाभी** : क्या **उत्पादन** मंत्री १५ दिसम्बर १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनावटी खादी की बिक्री के अपराध के लिये दांडिक उपबंधों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर सरकार का विचार अब पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय हुआ है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). खद्दर (नाम संरक्षण) अधिनियम, १९५० अभी भी विद्यमान है। इस अधिनियम में कोई दांडिक खंड नहीं है। किन्तु भारतीय व्यापार-चिन्ह अधिनियम, १८८९ के अर्थ के अधीन खद्दर और खादी दो नाम रखे गये हैं। इस बाद वाले अधिनियम में एक दांडिक खंड है जो १९५० अधिनियम के अधीन किये गये किसी अपराध पर लागू होता है।

†**श्री डाभी** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री ने बताया था कि वे एक आदर्श अधिनियम बनाने का विचार कर रहे हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: हम एक ऐसा आदर्श विधेयक सूत्रित करने की वांछनीयता पर विचार कर रहे थे, जो सभी राज्यों में परिचालित किया जा सके ताकि उन्हें अपने-अपने राज्यों में विधान पुन:स्थापित करने में मार्गदर्शन प्राप्त हो। किन्तु बाद में हमने देखा है कि भारतीय व्यापार चिन्ह अधिनियम के उपबन्ध इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त होंगे। अत: हमने इस आदर्श विधेयक के विषय में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर विचार नहीं किया है, किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि कुछ अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में हम एक विधान बनाने की वांछनीयता पर अभी विचार कर रहे हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से इस सम्बन्ध में परामर्श लिया गया है और यदि हां, तो बोर्ड के क्या सुझाव हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० सी० रेड्डी** : हां अवश्य। हम बराबर बोर्ड से परामर्श लेते रहते हैं और बोर्ड ने अपने दृष्टिकोण हमारे पास भेजे हैं। हमने उन दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय और राज्य सरकारों से चर्चा की है और इन सभी चर्चाओं के फलस्वरूप हम अब इस दशा तक पहुंचे हैं जब कि इस विषय में कोई अंतिम निश्चय करना हमारे लिये संभव होगा।

विश्व पंचांग में सुधार

†*१५४५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की इस प्रस्थापना को स्वीकार किया है कि विश्व पंचांग में सुधार किया जाये; तथा

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). विश्व पंचांग में सुधार करने की प्रस्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के समक्ष रख दी गई तथा उस परिषद् ने इस सम्बन्ध में एक संकल्प पास करते हुए महा-सचिव से प्रार्थना की है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों को भेज दी जाये और उनसे अपनी राय देने के लिये कहा जाये। संयुक्त राष्ट्र संघ के ८० सदस्य देशों में से केवल ३२ ने अब तक उत्तर दिया है। जिन देशों ने उत्तर भेजा है उनमें से अधिकांश ने पंचांग में सुधार करने की प्रस्थापना का विरोध किया है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस विषय पर कितने देशों को अपनी राय देने के लिये कहा गया था ?

†**श्री सादत अली खां** : मैंने अभी बताया कि सारे देशों को।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : जिन देशों ने इसका विरोध किया है क्या उन्होंने कोई कारण भी दिये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे मालूम नहीं कि क्या हमारे पास यह सारी जानकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ को उत्तर मिलते हैं तथा हमें संक्षिप्त रूप से सदस्य राज्यों के विचारों की सूचना दी गई होगी। हमारे पास उनके पूर्ण उत्तर नहीं हैं। कारण कई हैं तथा तरह-तरह के हैं। यद्यपि पंचांग में सुधार करने का यह विशिष्ट प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति में भारतीय प्रतिनिधि की ओर से पेश किया गया था, फिर भी वास्तविकता यह है कि भारत सरकार ने स्वयं इन प्रस्थापनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया है।

†**श्री कामत** : भारतीय प्रस्थापना के अधीन क्या सूर्य-वर्ष को १२ महीनों में बांटा जायेगा अथवा १३ महीनों में ? क्या आप यह हिन्दू पंचांग तथा मुस्लिम पंचांग दोनों के लिये रखेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसको भारतीय प्रस्थापना कहना ठीक नहीं होगा। एक समिति बनाई गई थी जिसका कि भारत भी सदस्य था। इसने इस विषय पर एक बड़ी पुस्तक लिखी है। यदि माननीय सदस्य तर्क आदि जानना चाहते हैं तो मैं इस पुस्तक को पढ़े बिना उन्हें कैसे दे सकता हूं।

†**श्री कामत** : मेरा विचार था कि उन्होंने यह पहले ही पढ़ी होगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने कहीं-कहीं यह पढ़ी है परन्तु सारी नहीं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या पंचांग में सुधार करने का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन की कार्यावलि में शामिल किया गया है ?

†**श्री सादत अली खां** : विश्व पंचांग सुधार का प्रश्न यूनेस्को के २१वें अधिवेशन की अस्थायी कार्यावलि में रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : विश्व पंचांग में सुधार करने के प्रश्न के अलावा हमारे सामने भारतीय पंचांगों के सुधार का प्रश्न भी है। बताया जाता है कि कई तरह के पंचांग भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में चालू हैं। समिति ने एक बड़ी रिपोर्ट पेश की है जिसमें भारतीय पंचांग में सुधार करने की प्रस्थापना की गई है—यह ज्युलियन पंचांग को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। यह राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिये नहीं किया गया है वरन् अधिकांश रूप से उत्सवों, छुट्टियों के लिये किया जा रहा है—जैसे कि सारे भारत के लिये एक ही 'नव वर्ष दिवस' हो आदि।

†**श्री कामत** : क्या इसका मुस्लिम पंचांग पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मुस्लिम पंचांग की जानकारी नहीं। पंचांग सूर्य तथा चन्द्रमा पर आधारित होता है, हिन्दुओं तथा मुसलमानों पर आधारित नहीं होते हैं।

†**श्री कामत** : हिन्दू पंचांग भारत के विभिन्न भागों में जरा एक दूसरे से भिन्न हैं। परन्तु मुस्लिम पंचांग के सम्बन्ध में·········

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

*१५४६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या पुनर्वास मंत्री २९ सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३००-ख के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुशासन योजना अब तक किन-किन राज्यों की किन-किन संस्थाओं में आरम्भ की गई है; और

(ख) इसको और अधिक व्यापक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १**]

(ख) जिन राज्यों में यह योजना अब तक आरम्भ नहीं की गयी है, उनमें इस योजना को चालू करने और जिन राज्यों की तालीमी संस्थाओं में इस योजना को आरम्भ किया जा चुका है उनकी और संस्थाओं में इस योजना को शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है। इस योजना के आधीन लगभग ४०,००० शरणार्थी बालक बालिकायें शिक्षा पा रहे हैं और इस योजना के काम को बढ़ाने के लिये १९५६-५७ साल में और अधिक रकम लगाने का प्रबन्ध किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इस योजना के अन्तर्गत जिन बालक बालिकाओं को ट्रेनिंग मिली है उनके प्रदर्शनों को हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने तथा और बड़े नेताओं ने ही पसन्द नहीं किया है, बल्कि विदेशों के महापुरुषों ने भी उनको पसन्द किया है ? यदि हां, तो क्या देश के सभी क्षेत्रों में, केवल शरणार्थी बालक बालिकाओं में ही नहीं, इसको फैलाने का यत्न किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां, यह सत्य है कि मैंने इसको पसन्द किया है। मेरी इच्छा है कि इस किस्म का ट्रेनिंग और बढ़ाया जाये, और इस बारे में मेरी श्री भोंसले से बातचीत भी हुई है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या इन योजनाओं के महत्त्वपूर्ण होने के नाते इनके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई राशि रखी गई है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : इस प्रकार से कोई राशि नहीं दी गई है। किन्तु योजना आयोग ने देश भर में सभी विस्थापित बच्चों को शिक्षा देने के लिये शिक्षा मंत्रालय से यह सिफारिश की है कि वह पुनर्वास मंत्रालय को ५०,००,००० रुपये देवे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बोगावत : क्या यह राष्ट्रीय अनुशासन योजना निकट भविष्य में सभी स्कूलों तथा कालिजों में लागू होगी और क्या इस योजना में इस कार्य के लिये भी कुछ राशि दी जायेगी ?

†श्री जे० के० भोंसले : जैसा कि प्रधान मंत्री पहले कह चुके हैं यह विषय अभी विचाराधीन है। हम इस पर गौर कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में निश्चय होने पर ही हम बता सकते हैं कि क्या यह योजना सारे देश में लागू की जायेगी अथवा नहीं।

आयुर्वेदिक भेषज जांच समिति

†*१५४८. श्री विभूति मिश्र : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार भेषजीय जाँच समिति की रूपरेखा पर आयुर्वेदिक औषधियों की जांच करने के लिये आयुर्वेदाचार्यों तथा भैषजिकों की एक समिति बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ऐलोपैथिक दवाओं की जांच पड़ताल करवाती है, क्या उसी तरह की जांच पड़ताल आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में भी करने का कोई प्रबन्ध है, जिससे कि मालूम हो सके कि कौन दवा प्रामाणिक है ताकि लोगों को इत्मीनान हो सके ?

श्री करमरकर : मैं हैल्थ मिनिस्ट्री से इसके बारे में पता लगाऊंगा और नोटिस के बाद उत्तर दूंगा।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जब तक मेरे मित्र पता लगाते हैं, मैं कुछ थोड़ा सा जवाब दे दूं। हम दवाओं के सिलसिले में इस तरह से नहीं देखते कि कौन दवा ऐलोपैथिक है, कौन होमियोपैथिक है, कौन यूनानी है या आयुर्वेदिक है। बल्कि हम सबको एक वैज्ञानिक उसूल से अपने सामने रखते हैं। जो उस विज्ञान के उसूल में दवायें आयें, उन सब को हम लेने को तैयार हैं। जैसे लखनऊ में दवाओं, ड्रग्स वगैरह की एक लेबोरेटरी है, उद्योगशाला है, और वहां पर बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, यह वे दवाएं हैं जिनका कि इम्तिहान हुआ है और उसके बाद वे उन दवाओं में शामिल कर ली गई हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। वे सारी औषधियां चाहे वे आयुर्वेदिक की हों यूनानी की हों या होम्योपैथी की हों, हम चाहते हैं कि उनको वैज्ञानिक रूप से देखा जाय और जो उस इम्तिहान में पूरी उतरें, उनका प्रयोग किया जाय। वास्तव में एलोपैथिक होम्यो-पैथिक, यूनानी तथा आयुर्वेदिक आदि भेद केवल स्थूल दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। हम चाहते हैं कि इन सभी प्रणालियों का लाभ उठाया जाय। इन सब की वैज्ञानिक ढंग से परीक्षा की जाय। और जो कोई दवाइयां इन वैज्ञानिक परीक्षणों में सफल उतरें उनका पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये।

कहवा उत्पादन

†*१५४९. श्री डी० सी० शर्मा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री ३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहवा के उत्पादन को बढ़ाने का क्या कार्यक्रम निश्चित किया गया है; और

(ख) इस के लिये कितने एकड़ भूमि की खेती करने का विचार है ?

मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) काफी बोर्ड ने १९६१-६२ में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में काफी उद्योग के विकास की एक योजना भेजी है। योजना में ५ वर्ष के बाद काफी का उत्पादन ३५,६९० टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है जबकि आजकल औसतन वार्षिक उत्पादन २६,००० टन है।

(ख) इन पांच वर्षों के अन्दर २,३७,००० एकड़ नई भूमि काफी के खेती के अन्तर्गत लायी जायेगी।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या काफी के निर्यात के लिये नई मंडियों की खोज की जा रही है; यदि हां तो किस प्रकार से ?

†**श्री करमरकर** : हमारी वर्तमान कठिनाई यह है कि हम जो कुछ चाहते हैं उतना कुछ निर्यात नहीं कर सकते हैं। फिर भी जब हमारे पास नई काफी आ जायेगी तो हम उसे सर्वप्रिय बनाने के लिये सब प्रयत्न करेंगे। भारत के बाहर हमारी काफी बड़ी सर्वप्रिय है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडिया काफी हाऊस के कार्यों तथा क्षेत्र के विस्तार के लिये कोई योजना बनाई जा रही है जिससे वे सारे भारतवर्ष में फैल जायें ?

†**श्री करमरकर** : जहां आवश्यक होगा हम उन्हें खोलेंगे तथा जहां अनावश्यक होगा वहां वे बंद कर दिये जायेंगे।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या खेती का विस्तार नई कम्पनियां खोल कर किया जायेगा अथवा वर्तमान कम्पनियों को ही अपनी खेती को बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी ?

†**श्री करमरकर** : इस समय हमारी नीति यह है कि भूमि की घनी खेती करके ही वर्तमान उत्पादन को बढ़ाया जाय। मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है कि क्या नई कम्पनियों द्वारा नई भूमियों में खेती करवाने के लिये अनुमति दी जायेगी अथवा नहीं। इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

†**श्री केलप्पन** : छोटे उत्पादकों को किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : एक तरीका तो यह है कि उन्हें रुपये के रूप में सहायता दी जा सकती है। प्रस्तावित योजना में इसी का सुझाव रखा गया है। दूसरे हम उनके पौद के लिये बढ़िया बीज भी दे सकते हैं। इसी प्रकार उर्वरकों की सप्लाई के लिये डिपो भी खोले जा सकते हैं। चौथे हम उनके लिये सहकारी क्रय तथा विक्रय एककों की व्यवस्था कर सकते हैं। पांचवें अनुसन्धान विभागों द्वारा उनको टेकनीकल परामर्श भी दिया जा सकता है। पहली, दूसरी और चौथी सहायता छोटे उत्पादकों के लिये ही है और तीसरी और चौथी छोटे बड़े दोनों के लिये। ये सभी सुझाव हमारे विचाराधीन हैं।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता एक आवश्यक अंग होगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : यह काफी उत्पन्न करने वाले राज्य की मर्जी पर निर्भर है। यदि सहकारिता द्वारा काफी का उत्पादन बढ़ सकेगा तो बोर्ड निश्चय ही उसका स्वागत करेगा।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या काफी के विस्तार के इस प्रोग्राम में पुराने तथा घाटे पर चलने वाले एककों की पुनः स्थापना भी सम्मिलित है ? तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में काफी की खेती के लिये कितनी राशि दी गई है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जैसे कि मेरे साथी पहले बता चुके हैं हम बहुधा गहन खेती करके ही उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। इसके माने हैं इस समय बिल्कुल घाटे पर चल रही तथा थोड़े बहुत घाटे पर चल रही भूमियों का सुधार कर ही उनको लाभदायक बनाया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भट्ठियां

†*१५५०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतवर्ष में भट्ठियों का निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी भट्ठियों का निर्यात किया गया; और

(ग) क्या भारत में उनके निर्माण के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ग). इस समय देश में कुछ प्रकार की भट्ठियों का निर्माण हो रहा है जैसे 'टिल्टिंग फरनेस', 'कूपोला' और गर्म करने के लिये अथवा वस्तुओं को पिघलाने के लिये अन्य प्रकार की 'संरचनात्मक' भट्ठियां तथा प्रयोगशालाओं के लिये कुछ साधारण प्रकार की भट्ठियां आदि । किन्तु भारत में औद्योगिक कार्यों के लिये अन्य प्रकार की भट्ठियों का विकास करना अभी बाकी है ।

(ख) भट्ठियों के आयात के आंकड़े पृथक् रूप में नहीं उपलब्ध होते हैं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या यह सत्य नहीं है कि अभी हाल ही में जो रूसी विशेषज्ञ भारत में इस्पात का कारखाना लगवाने आये थे तो उन्होंने भारत को साथ-साथ ही भट्ठियों के निर्माण के लिये भी परामर्श दिया है ।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं यह बात पहली बार सुन रहा हूं ।

पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्ति

†*१५५१. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने एक निगम के रूप में पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि देने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या शरणार्थियों ने उस राज्य में बसना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की क्या सहायता की है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) जी हां । पश्चिमी बंगाल सरकार का एक अधिकारी इस काम के लिये नियुक्त किय गया है ताकि वह देख सके कि आन्ध्र राज्य द्वारा दी गई भूमि पर उनके बसने की कितनी सम्भावनाएं हैं ।

(ख) यदि सर्वेक्षण के बाद वह भूमि उपयुक्त पाई गई तो विस्थापितों को बसने के लिये वहां भेजा जायेगा ।

(ग) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की कुल कितनी संख्या है । सरकार ने उनको बसाने के लिये और कौन-कौन से प्रयत्न किये हैं ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : इस समय यह बताना कठिन है कि इस भूमि में कितने शरणार्थियों को बसाया जायगा । रिपोर्ट से हमें यह पता लगता है कि यद्यपि आन्ध्र राज्य ने २५,००० एकड़ भूमि देने की बात कही है किन्तु किन्हीं कारणों से हम केवल ३,४०० एकड़ भूमि का ही उपयोग कर पायेंगे । इस सम्बन्ध में छः अन्य राज्यों ने भी भूमि देने को कहा है । उन पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : मैं जानना चाहता हूं कि वहाँ कुल कितने शरणार्थी बसाये जायेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जे० के० भोंसले** : यह सब इस बात पर निर्भर है कि हमें कितने एकड़ भूमि मिलती है।

†**डा० रामा राव** : यह भूमि किस जिले में है और किस प्रकार की है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : हैदराबाद, राजस्थान, आन्ध्र........

†**डा० रामा राव** : मैं आन्ध्र के जिलों को जानना चाहता हूं।

†**श्री जे० के० भोंसले** : इस के लिये १३ भिन्न-भिन्न बलाक हैं। उनमें जो सब से अच्छा है वह रायलापल्ली है। वहां पर ही हमने गोदावरी के किनारे ३,४०० एकड़ भूमि को चुना है।

अन्तर्राष्ट्रीय जल को गन्दा करना

†***१५५३. श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐसे देशों के विरुद्ध, जो आणविक विस्फोटों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रों के जल तथा वायुमंडल को विषैला बना रहे हैं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, परीक्षात्मक वाद चलाने के लिये अथवा कोई अन्य कार्यवाही करने के औचित्य पर विचार किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सरकार अभी कोई ऐसा कदम उठाने का विचार नहीं रखती है।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या सरकार ने इंडोनेशिया के आज के पत्रों में प्रकाशित इस सम्बन्ध में प्रतिक्रियाएं देखी हैं ? उन्होंने हिन्द-महासागर के क्षेत्र में किये जाने वाले ऐसे परीक्षणों के सम्बन्ध में बड़ी आकुलता प्रकट की है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में सामूहिक रूप से कुछ करना चाहती है ताकि आसपास के क्षेत्रों के लोगों की जानों की रक्षा हो सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने यह खबर नहीं देखी है। किन्तु हमें यह ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में लोगों को पहले से ही बड़ा भय लग रहा है। अभी हाल में ही मार्शल द्वीप के निवासियों ने, जो कि एक न्यासी देश है, इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की न्यासी परिषद् के सामने एक अपील की थी किन्तु अन्ततोगत्वा उसे रद्द कर दिया गया।

†**श्री कामत** : इस प्रश्न के पीछे जो भावना है वह बड़ी सराहनीय है। किन्तु क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि में, जो बहुदा अणुयुग से पहले की बनी हुई है, अन्तर्राष्ट्रीय जल तथा वायु को जिनका इस प्रश्न में उल्लेख किया गया है शुद्ध रखने का कोई बंधन है भी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर प्रसिद्ध न्यायशास्त्री ही अपना मन्तव्य प्रकट कर सकते हैं। यहां माननीय सदस्य ने स्वयं ही कह दिया है कि पुराने समय के न्यायशास्त्रियों को अणुयुग की कोई कल्पना नहीं थी अतः उन्होंने इसके लिये कोई उपबन्ध भी नहीं रखा है। किन्तु फिर भी मैं जोरदार शब्दों में यह कहूंगा कि जल तथा वायु को दूषित करने वाला कोई भी कार्य मानवता के प्रति अपराध है और वह अन्तर्राष्ट्रीय अपराध है। किन्तु हम यही एक मात्र तर्क ही तो दे सकते हैं।

हसदेव बहुप्रयोजनीय परियोजना

***१५५६. सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हसदेव बहुप्रयोजनीय परियोजना, जिसका सर्वेक्षण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा था, योजना आयोग के सुझाव पर सरकार द्वारा छोड़ दी गई है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि अरपा परियोजना का भी सर्वेक्षण पूरा हो गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके शामिल करने का सुझाव दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में हसदेव बहुप्रयोजनीय परियोजना के सर्वेक्षण कार्य को समाप्त कर, निर्माण कार्य शुरू करने का विचार कर रही है ?

†**श्री नन्दा** : स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि प्रस्तावित स्थान उपयुक्त नहीं है। सरकार किसी अन्य उपयुक्त स्थान की तलाश कर रही है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग सरकार को इस कार्य में सहायता दे रहा है।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्पा परियोजना शुरू करने के लिये कितनी राशि दी गई है और यह परियोजना कब तक समाप्त हो जायेगी ?

†**श्री नन्दा** : इस योजना का कुल प्राक्कलित व्यय ४·५८ करोड़ रुपये है। इस योजना में एक जलाशय बनाने की व्यवस्था है। अन्य बातें भी हैं। यह योजना कब से प्रारम्भ होगी इस समय मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी केवल जांच ही समाप्त हुई है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से कार्यक्रम के सम्बन्ध में चर्चा समाप्त नहीं हुई है।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : काम को शुरू करने की पहिली स्थिति के लिये कितनी राशि दी गई है ?

†**श्री नन्दा**: मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना को अपनी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया है। अन्य परियोजनाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि के अलावा १·६९ करोड़ रुपये बकाया बचते हैं। इसलिये इस योजना के लिये १·६९ करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।

निर्माण संयंत्र और मशीनों सम्बन्धी समिति

†*१५५७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण संयंत्र और मशीनों सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ७७ पर यह कहा है कि पुर्जों का आयात सन्तोषजनक नहीं रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर क्या कार्यवाही की है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी हां

(ख) समिति की सिफारिशें बाल-बियरिंग के आयात के सम्बन्ध में है। वर्तमान समय में बाल-बियरिंग के किसी भी आकार या प्रकार में पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है। सामान्य नीति यह है कि ऐसे आकार तथा प्रकार के बाल-बियरिंगों के आयात पर रोक है जो कि वस्तुतः हमारे देश में बनाये जाते हैं अथवा जिनके स्थान पर हमारे देश में बने हुए किसी आकार या प्रकार के बाल बियरिंग काम में लाये जा सकते हैं। आगे और रियायत करना आवश्यक नहीं समझा गया। परियोजनाओं के लिये आवश्यक मशीनों और पुर्जों के संभरण की स्थिति का समय समय पर पुनरीक्षण करने तथा यदि कोई कठिनाई हो तो उचित कार्यवाही करने के लिये, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और संभरण तथा उत्सर्जन महा निदेशायल के ज्येष्ठ पदाधिकारियों की एक स्थायी समिति बनाई गई है। योजनाओं में काम में आने वाले पुर्जों की स्थिति अब सामान्यतः सन्तोषजनक बताई जाती है।

दिल्ली में मुसलमानी क्षेत्र

†*१५५९. **श्री वल्लाथरास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर में मुसलमानी निष्क्रांत सम्पत्ति के सम्बन्ध में, कुछ स्थानों अथवा क्षेत्रों को मुसलमानी क्षेत्र अथवा मिले-जुले क्षेत्र नाम दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या मुसलमानी क्षेत्रों में सारे निष्क्रमणार्थियों के सब मकानों को खाली रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने मुसलमानी क्षेत्र के मकानों का वितरण करने के लिये क्या कायवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार का यह अभिप्राय है कि देहली नगर में कुछ ऐसे क्षेत्र या स्थान रखे जायें जहां मुसलमान ही रहते हों ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) माननीय सदस्य द्वारा की गई प्रणाली के अनुसार क्षेत्रों को कड़ाई से पृथक् नहीं किया गया है, किन्तु कुछ वर्ष पहिले मुस्लिम बहुल क्षेत्रों तथा मिले-जुले क्षेत्रों में निष्क्रांत सम्पत्ति की पृथक्-पृथक् सूचियां बनाई गई थीं ।

(ख) जी नहीं

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

(ङ) जी नहीं ।

†**श्री वल्लाथरास** : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने महा अभि रक्षक को यह सलाह दी है कि वह नगर के कुछ क्षेत्रों को मुसलमानी क्षेत्रों के नाम से अंकित करें ।

†**श्री जे० के० भोंसले :** मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार ने महा अभिरक्षक से ऐसा करने को नहीं कहा है, किन्तु विभाजन के पश्चात् कुछ मुसलमानों ने कुछ विशेष क्षेत्रों में ही बसना आवश्यक समझा । वे क्षेत्र १९५२-५३ तक मौजूद रहे । तत्पश्चात् सरकार ने निश्चय किया कि पृथक् क्षेत्र नहीं रह सकते हैं ।

†**श्री वल्लाथरास :** क्या न्यायालयों में ऐसे मामले निलम्बित नहीं हैं जिनमें उन हिन्दुओं को जिन्हें मुसलमानों के मकान दिये गये थे, सरकार अब खाली करने को कह रही है ?

†**श्री जे० के० भोंसले :** मेरे विचार से ऐसा कोई मामला नहीं है । निष्क्रांत सम्पत्ति का दो प्रकार से निपटारा किया जाता है । यदि वह आवंटन के योग्य होती है तो दे दी जाती है अथवा वह नीलाम द्वारा बेच दी जाती है । अब हम इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं ।

†**श्री वल्लाथरास :** मुसलमानों के खाली रखे गये मकानों की संख्या कितनी है और उससे विभाजन के पश्चात् इन सात वर्षों में कितने किराये की हानि हुई है ?

†**श्री जे० के० भोंसले :** इस समय मुसलमान बहुल क्षेत्रों में कुछ ही मकान खाली हैं । वे इस प्रकार के मकान हैं कि जब तक उनकी पर्याप्त मरम्मत न की जायेगी वे रहने योग्य नहीं बन सकते । उनको छोड़ कर मेरे विचार से और कोई मकान खाली नहीं हैं ।

†**श्री वेलायुधन :** हिन्दू और मुसलमानी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अतिरिक्त क्या सरकार ने दिल्ली में खाली पड़े मकानों की सूची तैयार की है ? क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में हजारों निष्क्रांत मकान खाली रखे गये हैं ?

†**श्री जे० के० भोंसले :** अभी इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है, किन्तु जहां तक मुझे स्मरण है, क्योंकि दिल्ली में मकानों की बहुत कमी है, बहुत कम मकान खाली होंगे । अब हमने यह निश्चय भी कर लिया है कि जो मकान खाली हो वह दिया नहीं जायेगा बल्कि बेच दिया जायेगा इसलिये जब तक कि वे मकान बिक नहीं जाते वे खाली रहेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पुर्तगाल का मामला

†*१५६०. **श्री गिडवानी** : क्या प्रधान मंत्री १६ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, भारतीय क्षेत्र से होकर पुर्तगाल को मार्ग देने के सम्बन्ध में पुर्तगाल के मामले को सुनने के लिये तारीख निश्चित कर दी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां । हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, पुर्तगाल को अभ्यावेदन देने के लिये १५ जून, १९५६ और भारत के प्रति अभ्यावेदन देने के लिये १५ दिसम्बर, १९५६ निश्चित की है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्र के अन्दर है कि वह भारत के विरुद्ध भारतीय क्षेत्र से होकर पुर्तगाली बस्तियों को मार्ग देने के अधिकार के सम्बन्ध में पुर्तगाली आवेदन पत्र स्वीकार कर सके ? और क्या इसका अर्थ भारत को अपनी प्रादेशिक अखंडता बनाये रखने के असंक्राम्य अधिकारियों से वंचित करना नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे मतानुसार न्यायालय का इन मामलों में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है । हमने न्यायालय को भेजी गई अभिस्वीकृति में इस बात का उल्लेख कर दिया है । लेकिन यह मामला—क्षेत्राधिकार का प्रश्न—न्यायालय के सम्मुख लाया जायेगा ।

†**श्री गिडवानी** : क्या ब्रिटिश सरकार के उत्तराधिकारी के रूप में भारत सरकार ने किसी पुरानी सन्धि में यह वचन दिया था कि वह पुर्तगाली सेनाओं और अधिकारियों को, दादरा और नगरहवेली के भारतीयों के ऊपर, जिन्होंने अपने आप को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कर लिया है, विदेशी शासन करने के लिये आने जाने की छूट देगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस सम्बन्ध में वैध तर्क नहीं कर सकता हूं, किन्तु जहां तक मुझे याद है पुर्तगाल ने यह दावा १७७९ में पेशवा के साथ हुई एक सन्धि के आधार पर किया है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद ३६ के अनुसार, पाकिस्तान के समकक्ष पारस्परिकता के आधार पर बिना शर्त अथवा कुछ शर्तों पर अनिवार्य क्षेत्राधिकार की मान्यता की घोषणा नहीं की है; यदि नहीं, तो क्या सरकार न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार पर आपत्ति करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से प्राप्त सूचना की अभिस्वीकृति (एकनौलेजमेंट) में हमने यह कहा था कि हमारा विचार इस सम्बन्ध में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने का है । माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में, मुझे यह कहना है कि १९४० में भारत, अर्थात् तत्कालीन भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया था । अभी हाल—इस वर्ष ७ जनवरी को—हमने यह नई घोषणा की कि ऐसे मामलों में, जो भारत के निश्चयानुसार अनिवार्यतः भारत के अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, विवाद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख नहीं ले जाये जा सकते । इन नई और पुरानी घोषणाओं का क्या प्रभाव हुआ है, यह एक तर्कपूर्ण विषय है ।

†**श्री के० के० बसु** : क्या भारत सरकार ने इस विवाद के सम्बन्ध में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी है और क्या सरकार इस पर न्यायालय में तर्क करने का विचार कर रही है ? मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कि ब्रिटिश सरकार बनाम ईरान के एक मामले को न्यायालय के क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं कह सकता हूं। यह जरा कठिन प्रश्न है और मैं वैध और न्यायिक मामलों को नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन क्षेत्र के प्रश्न पर भी उनके समक्ष तर्क किया जायेगा।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी :** अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद ३६ (ख) के अनुसार न्यायालय स्वयं ही अपने क्षेत्राधिकार का निर्णय करता है। क्या सरकार अनुच्छेद १७ अथवा अनुच्छेद २४ के अनुसार यह निवेदन करेगी कि इस सम्बन्ध में कोई पाकिस्तानी न्यायाधीश अपना निर्णय न दे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस समय इस मामले में कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता हूं।

†**श्री कामत :** हेग न्यायालय में कितने न्यायधीश हैं? आजकल वहां के न्यायालय में कितने एशियाई, कितने यूरोपीय और कितने अमरीकी न्यायाधीश हैं?

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** जहां तक मुझे याद है वहां दो एशियाई न्यायाधीश हैं एक जापानी और दूसरा पाकिस्तानी। हम एक न्यायाधीश का नामनिर्देशन कर सकते हैं। इस मामले की सुनवाई के समय भारत सरकार, समय आने पर, किसी उपयुक्त न्यायाधीश का नामनिर्देशन कर सकती है।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** जो प्रश्न मैं पूछना चाहता था उसका अल्पाधिक उत्तर विना विभाग के मंत्री जी ने दे दिया है; लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा—मैं चाहता हूं कि इस का अभिलेख हो—कि क्या भारत सरकार वहां के लिये एक न्यायाधीश का नामनिर्देशन करेगी।

†**श्री कृष्ण मेनन :** जिन राष्ट्रों की शिकायत होती है वे नामनिर्देशन कर सकते हैं। अब तक लगभग सभी राष्ट्रों ने ऐसा किया है। इसका कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी।

अम्बर चर्खा

†***१५६१. श्री विश्व नाथ राय :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अम्बर चर्खे की बहुत मांग है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसे चर्खों के उत्पादन की कोई विशेष योजना है जो कि विशेषत: ऐसे क्षेत्रों को दिये जा सकें जहां प्रति वर्ष बाढ़ आने की आशंका रहती है?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) जी नहीं। किन्तु भारत सरकार ने अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का ध्यान इस पहलू की ओर दिलाया है।

(ख) अग्रिम योजना के आधार पर एक अम्बर चर्खा परियोजना पिछले वर्ष नवम्बर में स्वीकृत की गई और वह क्रियान्वित हो रही है। सरकार इस अग्रिम परियोजना और अम्बर चर्खे के टेकनीकल और आर्थिक पहलू की जांच करने के लिये निर्मित एक विशेष समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है। इसलिये यद्यपि बोर्ड के द्वारा १९५६-५७ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चर्खों के उत्पादन की योजनायें अभी विचाराधीन हैं तथापि तत्काल कार्यक्रम के रूप में १०,००० चर्खे बनाने का निश्चय किया जा चुका है। अभी बोर्ड को उत्पादन के स्थान के सम्बन्ध में निश्चय करना है।

†**श्री विश्व नाथ राय :** उत्तर प्रदेश में लगभग प्रति वर्ष बाढ़ आती है और वहां बेकारी भी बहुत है। क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि यह चर्खा वहां बहुत सफल रहा है जिसके फलस्वरूप मांग बढ़ गई है और अभी तक वहां इसकी मांग बढ़ रही है?

†**श्री के० सी० रेड्डी :** मुझे माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त हुई है। सरकार तथा बोर्ड की यह नीति रही हैं कि वह चर्खा कार्यक्रम को ऐसी सभी जगहों पर जहां बहुत बेकारी है, लागू करना चाहती है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री सी० डी० पांडे :** क्या यह सच है कि सरकार अम्बर चर्खे के सुधार पर समुचित ध्यान नहीं दे रही है और क्या यह सच है कि अम्बर चर्खे के समर्थक यह कहते हैं यदि ८ तकुओं के अथवा १६ तकुओं के चर्खे हो जायेंगे तो इससे अम्बर चर्खे का प्रयोजन ही नष्ट हो जायेगा ? क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के दौरान में कुछ धारणायें व्यक्त की हैं । उन्होंने अपने कथन के प्रारंभ में कहा कि सरकार अच्छी निगाह से नहीं देखती है और फिर ८ तकुओं, १६ तकुओं आदि की बात कही । परन्तु उनका प्रश्न क्या है यह मुझे स्पष्ट नहीं हुआ । हम कुटीर उद्योगों के लिये सब से अधिक कार्यसाधक औजार, मशीन—आप उसे जो कुछ भी कहें—चाहते हैं और इस प्रयोजन के लिये, जो कुछ भी उत्पादन किया जायगा—स्वभावतः जो सब से अधिक कार्यसाधक और लाभप्रद होगा उसी का उत्पादन किया जायगा—उसके प्रयोग को कम कार्यसाधक की अपेक्षा अग्रिमता मिलेगी । वास्तव में, जब से अम्बर चर्खे का जन्म हुआ है—और अम्बर चर्खा पहले की हर चीज से अधिक अच्छा था—उसका सरकार तथा अन्य लोगों द्वारा बहुत स्वागत किया गया । परन्तु उस अम्बर चर्खे में भी गत छै महीनों में बहुत सुधार हुआ है और उसका और भी सुधार किया जा रहा है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि हम अन्तिम सुधार को स्वीकार कर लेंगे और यदि वे उसमें फिर भी सुधार करें तो हमें उसे बदल देंगे और सुधार को स्वीकार कर लेंगे ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या सरकार अम्बर चर्खे को बिजली से चलने वाले तकुए के बराबर कार्यसाधक बनाने के विचार के पक्ष में है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार कुटीर उद्योगों में ऊंची से ऊंची प्रविधियां काम में लाने के पक्ष में है ।

†**श्री गाडगील** : क्या अम्बर चर्खे को सहायता देने के सम्बन्ध में उस समय तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जायगा जब तक कि उस मामले में विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट न दे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि माननीय सदस्य किसी दीर्घकालीन योजना के बारे में सोच रहे हैं—जो बिल्कुल ठीक ही है—तो मैं कहूंगा कि इस अम्बर चर्खे के लिये पंचवर्षीय योजना का विचार नहीं कर रहे हैं जब तक कि हमें उसके आर्थिक पहलू तथा विभिन्न अन्य चीजें ठीक तरह मालूम न हो जांय । परन्तु इस बीच में बड़े पमाने पर प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिये हम निश्चय ही उसको राज्य-सहायता देंगे ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में एक स्थान है जहां पर कि ऊन बहुत ज्यादा होती हैं । वहां पर एक आदमी ने एक चर्खा बनाया है जिस को कि दोनों हाथों से चलाया जा सकता है और उस में आठ तकले लगते हैं । क्या यह चीज सरकार के नोटिस में आई है और अगर आई है तो क्या सरकार इसके बारे में भी खोज करेगी और उस आदमी को इसे चला कर दिखाने इत्यादि के लिये अपने पास बुलायेगी ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : अगर इस चर्खे का नमूना खादी बोर्ड के पास आयेगा तो वह उसके ऊपर जरूर विचार करेगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अम्बर चर्खे के जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वे खत्म हो गये हैं और अगर नहीं तो कब तक वे खत्म होंगे ?

श्री सतीश चन्द्र : इसी के बारे में अभी कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और इस बीच में कुछ हद तक उत्पादन भी शुरू हो गया है । लेकिन उसमें अभी तक भी इम्प्रूवमैंट होती जा रही है और एक कमेटी बैठी हुई है । जब पूरे नतीजे मालूम हो जायेंगे तो यह तय किया जायेगा कि बड़े पैमाने पर इसे कैसे काम में लाया जाये ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रजन

†*१५६२. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से मिलने के लिये भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री वी० के० मेनन द्वारा राष्ट्र संघ के प्रधान कार्यालय के कर्मचारीवृन्द में अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रजनों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में रखे गये विशिष्ट प्रस्ताव क्या थे; और

(ख) यदि इस समय नियुक्तियां समानुपात में नहीं हो रही हैं, तो उस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). एक विवरण जिस में चाही गई जानकारी दी गई है, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : श्री कृष्ण मेनन द्वारा रखे गये प्रस्तावों का संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पर क्या प्रभाव पड़ा ?

†**श्री सादत अली खां** : महासचिव ने अपने उत्तर में कहा है कि उन देशों के राष्ट्रजनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में, जिनका प्रतिनिधित्व कम है, पहले ही विचार किया गया था और, यदि आवश्यक हुआ तो, महासभा द्वारा तदर्थ वजीफों की संख्या बढ़ा दी जायगी । वह अतिवयस्कता प्राप्त कर्मचारियों को निवृत्त करने के सम्बन्ध में भी सहमत हो गये हैं । मैं यह भी कहूंगा कि इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप विशेषकर उच्च पदों में अफ्रीकी-एशियाई प्रतिनिधित्व——भारतीय प्रतिनिधित्व को सम्मिलित करते हुए——में वृद्धि होने की संभावना है । परन्तु यह हाल ही में राष्ट्र संघ में भर्ती किये गये १६ राज्यों की नियुक्ति के प्रश्न के अधीनस्थ है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : कम प्रतिनिधित्व वाले देशों से कितने राष्ट्रजन प्रशिक्षण के लिए लिए गये हैं और इस प्रयोजन के लिए कितने वजीफे दिये गये हैं और उस समय के बाद कितने अति-वयस्कता प्राप्त व्यक्तियों को निवृत किया गया है ?

†**श्री सादत अली खां** : महासचिव ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिये थे । हमारे पास अभी इस विषय पर कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या राष्ट्र संघ सचिवालय में, स्वयं अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रजनों में, पदों का विभाजन समन्याय्य है ? क्या सभासचिव महोदय इस समय काम करने वाले अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रजनों की अलग-अलग संख्यायें बतायेंगे ?

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ कोई नई बात प्रारंभ नहीं कर रहा है । कर्मचारियों की भर्ती उन राष्ट्रों से की गई थी जिन्होंने प्रारंभ में अधिक भाग लिया था और उनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं । जहां तक स्वयं एशियाई-अफ्रीकी देशों के बीच समन्याय्य विभाजन का सम्बन्ध है, स्पष्टतः वह समन्याय्य नहीं है क्योंकि बहुत से नये राष्ट्र बन गये हैं । अभी तक एशियाई-अफ्रीकी देशों में हमारे देशवासियों की संख्या सब से अधिक है । यदि हम महा-सचिव द्वारा अब निर्धारित की गई कसौटी को स्वीकार कर लें——जो हम नहीं करते हैं——तो हमारा कोटा पूरा है । संभवतः इधर या उधर एक दो का अन्तर हो सकता है । परन्तु हमने वह आधार स्वीकार नहीं किया है । इस समस्या के उपचार का सिवाय निरन्तर वाद-विवाद और लोकमत के दबाव के जिसका बहुत हद तक प्रयोग किया जा रहा है, और कोई तरीका नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगड़ा चाय उद्योग

†*१५६३. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ५ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४५२ के दो अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस समय के बाद पंजाब सरकार से कांगड़ा जिले में चाय उद्योग के विकास के सम्बन्ध में योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). ज्ञात हुआ है कि चाय-बोर्ड को पंजाब सरकार से एक पुनरीक्षित योजना प्राप्त हुई है। बोर्ड राज्य सरकार को यह सुझाव दे रहा है कि उत्पादकों की सहकारी समितियों की स्थापना से श्री गणेश किया जाय। बोर्ड ने यह भी निश्चय किया है कि सहायता के प्रस्ताव, यदि आवश्यक हों, सहकारी समितियों के कुछ दिन कार्य कर लेने के बाद प्रस्तुत किये जायं।

†**श्री हेमराज** : क्या पंजाब सरकार द्वारा वहां चाय उद्योग के विकास के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की गई है ?

†**श्री करमरकर** : पंजाब सरकार ने कुछ वित्तीय सहायता के प्रस्ताव रखे हैं परन्तु, जैसा मैंने कहा, हमने उन्हें सहकारी समितियां स्थापित करने की सलाह दी है और जब सहायता की योजनायें बोर्ड को प्रस्तुत की जायंगी, तो हम उन पर विचार करेंगे।

†**श्री हेम राज** : क्या केन्द्रीय सरकार इस जिले में चाय उद्योग के विकास के लिये कुछ अनुदान और ऋण देगी ?

†**श्री करमरकर** : यह एक भिन्न प्रश्न है। इस क्षेत्र में चाय का औसत उत्पादन २०० पौंड है जबकि उत्तर भारत के चाय बागान में १००० पौंड है। गवेषणा से ज्ञात हुआ है कि यह उत्पादन दुगना किया जा सकता है और हमने सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया है ताकि उत्पादन बढ़ सके। जब हमें इस सम्बन्ध में सहायता के सुझाव प्राप्त होंगे तो हम से जितनी भी सहायता हो सकेगी उतनी सहायता हम देंगे।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी को विश्वास है कि राज्य सरकार ने जो स्कीम (योजना) भेजी है उसको अम्ल में लाने से कांगड़े का जो चाय उद्योग है वह पूरी तरह से ठीक हालत में आ जायेगा या उसमें और भी कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी ?

श्री करमरकर : पंजाब गवर्नमेंट ने हमें कुछ असिस्टेंस देने के लिये लिखा है और कहा है कि एक फैक्टरी टी क्योरिंग के लिये खोली जाये। हम अपना एक स्पेशल आफिसर भेज रहे हैं और वह वहां पर जा कर देखेगा और हमें रिपोर्ट देगा। उसके बाद जहां तक मुनासिब होगा हम मदद देंगे।

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन

†*१५६५. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थल तथा जल सीमांकन के विषय पर भारत-पाकिस्तान पत्र व्यवहार की प्रगति के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : भारत-पाकिस्तान सीमारेखा के अंकन के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों के बीच हाल ही लिखा-पढ़ी के परिणाम-स्वरूप दोनों देशों के महासर्वेक्षकों (सर्वेयर-जनरल) ने ११ अप्रैल, १९५६ को नई दिल्ली में भेंट की

†मूल अंग्रेजी में

थी और वे पंजाब-पश्चिमी पाकिस्तान सीमारेखा पर क्षेत्र संचालन प्रारंभ करने से पहले का कार्य १ अक्टूबर, १९५६ को तुरंत प्रारंभ करने के लिये सहमत हुए। पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी बंगाल से सीमांकन कार्य १९५० से चल रहा है।

†**श्री कामत :** नई दिल्ली में हुए महासर्वेक्षकों के सम्मेलन में सीमांकन का आधार क्या था-- रेडक्लिफ पंचाट, बागे पंचाट अथवा कोई अन्य चीज ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** महासर्वेक्षकों के सम्मेलन म दृष्टिकोण के प्रविधिक तरीकों की चर्चा की गई; परन्तु इस सीमांकन का आधार रेडक्लिफ प्रतिवेदन है। उसमें दोनों देशों की अनुमति से थोड़ा बहुत हेर-फेर किया जा सकता है।

†**श्री कामत :** और पूर्वी पाकिस्तान के लिये बागे पंचाट ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन में केवल पश्चिमी पाकिस्तान पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री कामत :** सरकार अथवा सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधियों की दृष्टि से पाकिस्तान के प्रतिनिधियों का रवैया सहयोगपूर्ण था या अड़ंगा लगाने वाला ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सम्मेलन प्रविधिक स्तर पर हुआ था; उसका राजनैतिक प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं था। प्रक्रिया यह है कि महासर्वेक्षक उनकी सहयता से रेडक्लिफ पंचाट के आधार पर कार्य प्रारंभ करेंगे। जब कहीं राजनैतिक अथवा अन्य आधार पर मतभेद होता है तो वे उसे छोड़ देते हैं और दोनों सरकारों के पास भेज देते हैं। वे सीमांकन करते जाते हैं। यदि वे सहमत होते हैं तो वे आगे बढ़ते जाते हैं और यदि वे सहमत नहीं होते तो वह मामला दोनों सरकारों को निर्दिष्ट कर दिया जाता है। इस तरह पिछले सम्मेलन में जो कुछ भी चर्चा हुई उसमें किसी भी चीज के सम्बन्ध में असहमति का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

†**श्री कामत :** प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पहले लोक-सभा को बताया था कि पाकिस्तानी फौजों द्वारा किये जाने वाले अधिकांश आक्रमण, अतिक्रमण और अतिचार का कुछ कारण यह भी है कि भारत-पाकिस्तान के बीच उचित सीमांकन नहीं हुआ है। क्या पाकिस्तान द्वारा हाल में भूभाग और हवाई क्षेत्र में बार बार किये गये अतिक्रमणों को देखते हुए भी प्रधान मंत्री यही विचार रखते हैं वे मुख्यतया उचित सीमांकन के अभाव के कारण ही होते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वह केवल सीमांकन से सम्बन्धित है। क्या भूमि आदि पर अतिक्रमण एक निश्चित नीति का परिणाम हैं, यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कामत :** प्रधान मंत्री ने सीमान्त आक्रमणों से सम्बन्धित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सीमांकन की चर्चा की थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने इसकी चर्चा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नहीं की थी, वरन् आक्रमण सम्बन्धी अन्य प्रश्नों के उत्तर में की थी। यह प्रश्न केवल सीमांकन से सम्बन्धित है।

†**श्री कामत :** इसमें कोई अन्तर नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसमें बहुत अन्तर है।

†**श्री गिडवानी :** जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर भारत-पाकिस्तान सीमा कुल कितने मील लम्बी है और उसमें से कितने मील में सीमांकन हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर सीमारेखा की कुल लम्बाई १,५०३ मील है। इसमें से थोड़ा सा भाग, लगभग ३० मील, जल-सीमा (फ्लुइड बार्डर) है जिसके अंकन की आवश्यकता नहीं है। विभाजन के पूर्व ६९० मील का सीमांकन किया गया था। विभाजन के बाद से केवल पश्चिमी ओर ४ मील का सीमांकन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी क्षेत्र में ७७९ मील का सीमांकन किया जाना शेष रह जाता है।

†**श्री कामत :** जलीय सीमा-रेखा (फ्लुइड बार्डर) क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** एक नदी है; वह जलीय रेखा (फ्लुइड लाइन) है।

सामुदायिक परियोजनाओं के लिए चलती फिरती सिनेमा गाड़ियां

†***१५६६. श्री देवगम :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों को कितनी चलती फिरती सिनेमा गाड़ियां दी गई हैं ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) :** २२।

†**श्री देवगम :** ये सिनेमा की चलती फिरती गाड़ियां बिहार में किस तरह वितरित की जायेंगी ?

†**श्री नन्दा :** वे प्रत्येक सामुदायिक परियोजना क्षेत्र के लिये हैं।

†**डा० रामा राव :** ये गाड़ियां केवल बिहार को ही दी गई हैं या अन्य राज्यों को भी ?

†**श्री नन्दा :** वे समस्त देश में दी गई हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : मूवी सिनेमा वान कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को देने के बारे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रान्तों को कितनी मदद दी जा रही है ?

†**श्री नन्दा:** उसका जो खर्चा है वह दिया जा रहा है और उसको चलाने का जो खर्चा होगा वह भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट देगी।

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रचार प्रयोजनों के लिये अधिक गाड़ियां जुटाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री नन्दा :** कितना विस्तार किया जायगा यह विचाराधीन है। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रत्येक सामुदायिक परियोजना क्षेत्र के लिये एक गाड़ी है।

संस्कृत धर्मग्रंथ कार्यक्रम

†***१५६९. श्री शिवनंजप्पा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत धर्मग्रंथ कार्यक्रम इस समय कितने स्टेशनों से प्रसारित किया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** कोई भी संस्कृत धर्मग्रंथ कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता है। कभी-कभी सामान्य संस्कृत कार्यक्रम में संस्कृत की पुस्तकों से दर्शन और नीति सम्बन्धी अंश सम्मिलित कर लिये जाते हैं जिन्हें यदाकदा आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या सरकार भविष्य में शास्त्रों के प्रचार का विचार कर रही है ?

†**डा० केसकर :** यह प्रश्न शास्त्रों के सामान्य प्रचार का है जो केवल आकाशवाणी के द्वारा ही नहीं वरन् अन्य साधनों से भी किया जा सकता है; मैं केवल इस से ही सम्बन्धित हूं।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या हाल में दिए में हुई कवियों की राष्ट्रीय गोष्ठी में इस मामले की चर्चा हुई थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर :** जहां तक मैं जानता हूं, उसमें कुछ संस्कृत की कवितायें पढ़ी गई थीं ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या सरकार महान् कवियित्री श्रीमती शमा राव के नाटकों और कविताओं को आकाशवाणी से प्रसारित करने का विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न शास्त्रों के सम्बन्ध में है ।

†**श्री वेलायुधन:** क्या यह सच है कि आकाशवाणी से प्रसारित की जाने वाली कविताओं में प्रायः उच्चारण ठीक नहीं होता ?

†**डा० केसकर :** श्रीमान्, यह तो व्यक्तिगत मत की चीज़ है ।

†**श्री वेलायुधन :** ऐसा नहीं है ।

†**डा० केसकर :** ऐसा ही है । यह भी एक व्यक्तिगत मत की बात है । संभवतः माननीय सदस्य को यह ज्ञात नहीं है कि उत्तर के पंडित सोचते हैं कि दक्षिण के पंडित वैसा सही उच्चारण नहीं करते जैसा वे करते हैं । संभवतः यह मतभेद तो बना ही रहेगा ।

पटोल बुनना

†*१५७१. **श्री डाभी :** क्या उत्पादन मंत्री १५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटोल बुनने की कला को पुनः विकसित करने के लिये १९५५-५६ के लिये जो ९,००० रुपयों की व्यवस्था की गयी थी, क्या उसका उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस राशि का किस प्रकार से उपयोग किया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) :** (क) पटोल बुनने की कला को पुनः विकसित करने के लिये १९५५-५६ के लिये जो ९,००० रुपये की राशि स्वीकार की गयी थी, वह सौराष्ट्र राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दे दी गई है ।

(ख) उस राशि में से ५ प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका दी जा रही है, पांच हथकरघे खरीदे जा रहे हैं और किराये तथा कर्मचारियों का खर्च अदा किया जा रहा है ।

†**श्री डाभी :** क्या १९५६ के लिये कोई राशि आवंटित की गयी है ?

†**श्री आर० जी० दुबे :** सौराष्ट्र राज्य हथकरघा बोर्ड ने एक योजना भेजी है जिसका ब्योरा निम्नलिखित है : ५ प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिकायें, ५० रुपया प्रति मास के हिसाब से किराया.....

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** हम यह जानकारी नहीं दे सकते कि क्या चालू वर्ष के लिये कोई राशि आवंटित की गयी है या नहीं ।

नेपाल को सहायता

†*१५७२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नेपाल विकास योजना की कार्यान्विति के लिये अभी तक कुल कितनी राशि दी जा चुकी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में किस प्रकार की प्रविधिक सहायता दी गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा नेपाल की विकास योजनाओं की कार्यान्विति के लिये अभी तक ४,५२,८९,३०० रुपया दिया जा चुका है । भारत सरकार द्वारा दी गयी यह सहायता दो प्रकार की है :

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) प्रविधिक; और
(२) आर्थिक ।

प्रविधिक सहायता में तो नेपाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना, विशेषज्ञों की नेपाल में प्रतिनियुक्ति करना तथा प्रविधिक मामलों में परामर्श देना आदि बातें आती हैं ।

आर्थिक साहयता में सड़कें तैयार करना, हवाई अड्डे तैयार करना, सिंचाई सम्बन्धी छोटी-छोटी परियोजनाओं का कार्य, त्रिकोणमित्रीय तथा भूतत्त्वीय मृरिमाप आदि आते हैं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : जहां तक नेपाल की सहायता देने का सम्बन्ध है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार का काम करने का विचार किया गया है ?

†**श्री सादत अली खां** : मैं समझ नहीं सकता कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जरा ऊंचा बोलियेगा ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : यदि कोई व्यक्ति समझना ही न चाहे तो उसे मैं कैसे समझा सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर इसे यहीं छोड़िये ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि जहां तक नेपाल का सम्बन्ध है, वहां पर किये जाने वाले खनन कार्यों के ब्योरे क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : नहीं, इस समय नहीं । हमें इसका उत्तर देने के लिये पूछताछ करनी पड़ेगी ।

कपड़ा उद्योग

†*१५७३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा उद्योग में उसकी संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन के बीच के अन्तर के बारे में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) १ जनवरी, १९५६ को सूती कपड़े की मिलों के लगभग १२० लाख तकुवों तथा २ लाख करघों की संस्थापित क्षमता में से इस समय लगभग १६·४ लाख तकुवे तथा १९,००० करघे काम नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस समय कपड़े की कितनी मिलें बेकार हैं और उसका कारण क्या है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मेरे पास इस समय ठीक-ठीक संख्या नहीं है । मेरा ख्याल है कि लगभग ४०० मिलें हैं । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें ठीक-ठीक संख्या बता सकता हूं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन बेकार मिलों को फिर से काम में लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जैसा मैंने बताया है कुल मिलें ४०० हैं । किसी समय २० मिलें बेकार थीं, इस समय वह संख्या कुछ घट गयी है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वर्तमान मशीनरी में ही संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार का कोई विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इन सभी बातों पर निरन्तर विचार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : तो उत्तर क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन बातों पर निरन्तर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन कितनी मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया गया है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इस समय एक का भी नहीं ।

पूर्वी पाकिस्तान से मुसलमानों का प्रव्रजन

†*१५७४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से मुसलमान दर्शन-बनपुर के रास्ते से भारत में प्रवेश कर रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम दोनों यात्री दर्शन-बनपुर के रास्ते का प्रयोग करते हैं । इस रास्ते से बहुत से मुसलमान आये हैं, वे प्रव्रजक नहीं हैं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : जनवरी १९५६ से लेकर कुल कितने मुस्लिम प्रव्रजक भारत में आये हैं ? क्या उनकी संख्या बढ़ गयी है ?

†**श्री सादत अली खां** : इन रास्तों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के सम्बन्ध में हमारे पास कोई ठीक-ठीक जानकारी नहीं है । इसलिये इसका उत्तर देना कठिन है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक प्रव्रजकों का सम्बन्ध है, प्रव्रजन-पत्र केवल गैर-मुस्लिमों को दिये जाते हैं । भारत में आने के लिये कोई भी मुस्लिम प्रव्रजन-पत्र प्राप्त नहीं कर सकता । वैसे वह भारत में आ अवश्य सकता है । व्यक्तिगत रूप से कोई भी सीमा के पार आ जा सकता है । परन्तु औपचारिक रूप से कोई भी नहीं आ सकता । मैं नहीं समझता कि इन लोगों की संख्या कोई बहुत अधिक है ।

श्री ए ० सी० सामन्त : मैं यह पूछना चाहता था कि क्या पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण की वृद्धि के साथ, इन सीमांत क्षेत्रों में मुसलमानों का भी निष्क्रमण बढ़ गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं । कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है ।

पाकिस्तानियों द्वारा नहरें खोदना

†*१५७७. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २४ मार्च, १९५६ के "हिन्दुस्तान टाइम्ज" के पृष्ठ ९ के स्तम्भ ८ में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने फाज़िलका के पास सुलेमान की सीमा पर बहुत से मजदूर इकट्ठे किये हैं और वहां पर किसी प्रकार का सिंचाई-कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय प्राधिकारियों ने पाकिस्तानी प्राधिकारियों को सूचित किया है कि इस प्रकार का कार्य करने का अर्थ दोनों देशों के बीच हुए करार का उल्लंघन है; और

(ग) उस सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ग). जी हां । समाचार प्राप्त हुआ है कि पाकिस्तानी मजदूर सीमा से लगभग ५०० फुट दूर पाकिस्तान क्षेत्र में एक

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रांच रेलवे लाइन तथा एक छोटी नहर के मिलने के स्थान (क्रासिंग) पर मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह कार्य सिंचाई के प्रयोजन के लिये है अथवा किसी और प्रयोजन के लिये।

(ख) हमारे स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा रोक डालने पर काम एक दिन के लिये बन्द कर दिया गया, परन्तु अगले दिन फिर प्रारम्भ कर दिया गया।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह काम उस भारतीय क्षेत्र में हो रहा है जिस पर कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान ने अधिकार जमा लिया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वह भारतीय सीमा में नहीं है। वह सीमा से पार पाकिस्तान में है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर हो रहे उस कार्य का हमारे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम नहीं जानते कि वह काम वास्तव में क्या है। हम नहीं जानते कि वह कोई सिंचाई का कार्य है अथवा कुछ और है। मैं नहीं समझता कि इसका हमारे क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ा है। जो भी हो, मुझे अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नदी घाटी परियोजनाओं में मिट्टी का जमा हो जाना

†*१५४७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं, अर्थात् दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा नांगल तथा हीराकुड में नदियों के साथ बड़ी भारी मिट्टी के आने से इन बांधो के समय से पूर्व ही बन्द हो जाने का आशंका है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में इस मिट्टी के जमा हो जाने के प्रश्न का अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३**]

विस्थापित व्यक्तियों को अकर्म वेतन

†*१५५२. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरद्वान के नं० ३ कैम्प में अकर्म वेतन के बन्द कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप हाल ही में एक शरणार्थी भूख से मर गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस कैम्प में अकर्म वेतनों को फिर से चालू करने का विचार रखती है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) जी नहीं।

(ख) अकर्म वेतन केवल थोड़े से समय के लिये बन्द किया गया था और उसे फिर से भूतलक्षी प्रभाव दे कर प्रारम्भ कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षाप्रद फिल्में

†*१५५४. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूरी लम्बाई की शिक्षाप्रद फिल्में बनाना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों का नाम तथा लम्बाई क्या है; और

(ग) उस पर कितना व्यय किया गया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी हां

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) जैसा कि १२ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये प्रश्न संख्या ४३६ के उत्तर में कहा गया है, फिल्मों के निर्माण में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का व्यय होता है और नियमित लागत लेखांकन न होने के कारण यह कहना कठिन होगा कि फिल्मों पर वस्तुतः कितना व्यय किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की समस्यायें

†*१५५५. **श्री संगण्णा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों के समाजशास्त्र तथा नरतत्व विभागों तथा अन्य गवेषणा संस्थाओं से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं के अध्ययन के लिये योजनायें प्रस्तुत करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां। चार गवेषणा योजनायें स्वीकृत हुई हैं। उनमें से एक योजना से सम्बन्धित प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। अन्य योजनायें भी बनाई जा रही हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जिला रायबरेली में बिजली लगाना

†*१५५८. **श्री बी० एन० कुरील :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश को जिला राय बरेली में बिजली लगाने के लिये कुछ ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुदान कब दिया गया; और

(ग) क्या बिजली लगाने का काम वहां शुरू हो गया है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) उत्तर प्रदेश की सरकार को वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी गई है न कि अनुदान के रूप में जैसा कि भाग (ख) में उल्लिखित है। यह जानकारी माननीय सदस्य को तारीख १६ मार्च, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३०६ के उत्तर में दे दी गई थी।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५**]

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला क्षेत्र का उपयोग

†*१५६४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा के कोयला-क्षेत्र में रेलवे क्वार्टर बनाये गये हैं;

(ख) उन्हें बनवाने से पहले क्या रेलवे को कोयला-क्षेत्र का मानचित्र दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो फिर वे क्यों बनाये गये; और

(घ) उन के कारण अनुमानतः कितना कोयला बिना निकाले रह जायगा ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (घ). पूरी जानकारी मांगी गई है और समय पर सभा-पटल पर रख दी जायगी। हां, कोरबा में अभी तक कोई रेलवे क्वार्टर नहीं बनाये गये हैं।

ट्रैक्टरों का आयात

†*१५६७. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री एच० जी० वैष्णव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति देने के लिये ट्रैक्टर-आयात के विनियमों में संशोधन करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान् !

(ख) अभी उस का विवरण तैयार होना बाकी है।

सीमा दुर्घटना

*१५६८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी बंगाल की सीमा के नतवा नाम के भारतीय गांव से ३१ मार्च, १९५६ को पाकिस्तानियों द्वारा तीन चरवाहे और सौ जानवर जबरदस्ती ले जाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूरा ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख). ३१ मार्च, १९५६ को करीब १०० हथियारबंद पाकिस्तानी नागरिक नदिया जिला, तेहट्टा पुलिस थाना, नरायनखाल के निकट भारतीय प्रदेश में घुस आये और वे ३ चरवाहे तथा १५० जानवर उठा कर पाकिस्तान में चले गये।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने पूर्वी बंगाल सरकार से इस मामले पर लिखा-पढ़ी शुरू कर दी है जिसमें उनसे यह कहा गया है कि वे इन भारतीय चरवाहों और जानवरों को फौरन छोड़ने के लिये उचित कार्यवाही करें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये अपराधियों को सजा दें। कराची में हमारे हाई कमिश्नर को भी कह दिया गया है कि वह इस घटना के बारे में पाकिस्तान सरकार से बातचीत करे।

त्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी घटना

†*१५७०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** २१ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि २ अक्टूबर, १९५३ को अचींगमोरी-घटना में जो आदिम जातीय कुली मारे गये थे उन की क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी रकम दी गई ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) :** अचींगमोरी में मारे गये १७ आदिम जातीय कुलियों के लिये उन के निकट सम्बन्धियों को १३,६०० रुपये उपदान के रूप में दिये गये ।

निराश्रित विस्थापित स्त्रियां

†*१५७५. **श्री संगण्णा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के विभिन्न भागों में बसाये गये वृद्ध तथा अपाहिज विस्थापितों एवं निराश्रित विस्थापित स्त्रियों के निकेतनों तथा कैम्पों के पुनर्गठन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित की जायगी; और

(ग) इस के लिये क्या राज्य सरकार कोई आर्थिक सहायता देगी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :** (क) उड़ीसा में इस समय कोई निकेतन अथवा कैम्प न होने के कारण, उन के पुनर्गठन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

†*१५७६. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थापित होने के बाद से अब तक राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने क्या काम किये हैं; और

(ख) क्या इसने अधिक सस्ता और अधिक अच्छा इमारती सामान बनाने के लिये कोई योजना तैयार की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर) :** (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६**]

नागा विद्रोहियों से छीने गये शस्त्रास्त्र

*१५७८. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री अमजद अली : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नागा विद्रोहियों के पास से द्वितीय महायुद्ध सम्बन्धी जो शस्त्रास्त्र छीने गये हैं वे अमेरिकी हैं या जापानी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : नागा विद्रोहियों से छीने गये ज्यादातर हथियार ब्रिटिश और जापानी हैं, कुछ थोड़े से हथियार अमरीकी हैं । ये सब दूसरे महायुद्ध के दौरान में और उसके बाद इस क्षेत्र में छोड़े गये (हथियारों के) ढेरों से मिले हैं ।

जम्मू और काश्मीर राज्य में विस्थापित व्यक्ति

†*१५७९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र से काश्मीर आये हुए समस्त विस्थापित व्यक्तियों को बसा दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक जम्मू और काश्मीर में कितने परिवारों का पुनर्वास हो चुका है और कितनों का बाकी है; और

(ग) काश्मीर में विस्थापितों को दिये गये ऋण की कुल रकम कितनी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) अभी नहीं।

(ख) जम्मू प्रान्त में २०,१९० परिवारों को भूमि दे कर बसाया गया है और २,१५४ परिवारों को भूमि प्राप्त करने की अंतिम सूचना दे दी गई है। जम्मू प्रान्त के नगरीय क्षेत्रों में पुनर्वास के लिये २,६३९ परिवार प्रतीक्षा में हैं और काश्मीर प्रान्त में १४० परिवार। राज्य सरकार द्वारा उन्हें यथा-शीघ्र बसाने की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) १ करोड़ ७ लाख रुपये।

पाकिस्तानी विमानों द्वारा सीमा उल्लंघन

†*१५८०. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ मार्च, १९५६ को रावी नदी के किनारे भारतीय क्षेत्र की अजनाला तहसील में अनेक पाकिस्तानी फाइटर (लड़ाकू) जहाज उड़े थे;

(ख) हमारी सीमा के इस उल्लंघन के विरुद्ध क्या सरकार ने कोई शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर मिला है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). हमारे कराची स्थित उच्चायोग से कहा गया है कि वह पाकिस्तानी विमानों द्वारा इस सीमा उल्लंघन तथा अन्य ९ सीमा उल्लंघनों के विरुद्ध शिकायत करे जो पिछली ३० मार्च और ६ अप्रैल के बीच में किये गये। अभी तक उत्तर नहीं मिला है।

जूनागढ़ को पाकिस्तान का भाग दिखाने वाला नक्शा

*१५८१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान के नक्शे में जूनागढ़ को पाकिस्तान राज्यक्षेत्र का एक भाग दिखाया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : जी, हां।

बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†११२७. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री राज्य सरकारों से प्राप्त और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा, शिल्पिक दृष्टि से, परीक्षित बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का नाम बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के टेबल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**योजना, सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)**: केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के निश्चय के अनुसार केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने केवल राज्य सरकारों की १० लाख रुपये या इससे अधिक लागत वाली योजनाओं की ही छानबीन की है। आयोग द्वारा, शिल्पिक दृष्टि से, परीक्षित योजनाओं का नाम बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७]**

दियासलाई के कारखाने

†११२८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक स्थापित किये गये कुटीर दियासलाई के कारखानों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(ख) चालू वर्ष में इस प्रकार के कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) यह कारखाने किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने १९५६-५७ में २०० कुटीर दियासलाई कारखाने स्थापित करने का एक प्रस्ताव भेजा है । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

†**११२९. श्री डाभी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राक्कलन समिति द्वारा अपने बारहवें प्रतिवेदन में की गयी किन सिफारिशों पर कार्यवाही की जा चुकी है; और

(ख) किन सिफारिशों पर अभी कार्यवाही नहीं की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). बहुत सी सिफ़ारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है । योजनाओं को लागू करने के बारे में विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे पहले प्राक्कलन समिति के सामने पेश किया जायेगा ।

स्प्लिट और वेनियर कारखाना

†**११३०. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य में एक स्प्लिंट और वेनियर कारखाना चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५६-५७ में ।

सामुदायिक परियोजना प्रशासन

†**११३१. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में सामुदायिक परियोजना प्रशासन द्वारा आयोजित सम्मेलनों और गोष्ठियों में किन मुख्य समस्याओं पर चर्चा हुई; और

(ख) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में यह सम्मेलन और गोष्ठियां कहां तक सहायक रहीं ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) (१) कुटीर उद्योग, सहकारिता, महिलाओं में कार्य, सामाजिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, आवास आदि की समस्याओं के कार्यक्रमों पर, जिनमें कोई ठोस उन्नति नहीं हुई है ।

(२) सरकारी सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लोक-कार्यक्रम बनाने के लिये कार्यवाही ।

(३) कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षण देने और उनको कार्य पर भेजने सम्बन्धी समस्यायें ।

(४) प्रशासनिक समन्वय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में गोष्ठियाँ बहुत सहायक रहीं। नीति के मामलों और समस्याओं के हल के बारे में एक समूह में रचनात्मक चिंतन के द्वारा व्यक्तियों में अच्छे विचारों का विकास करने के लिये इन गोष्ठियों को सबसे अच्छा माध्यम माना गया है। ऐसी गोष्ठियों में लोकतंत्रात्मक ढंगों पर जोर दिया जाता है और इससे सामुदायिक विकास कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिये आवश्यक बौद्धिक दृष्टिकोण पैदा होने में सहायता मिलती है।

भारत की उत्तरी सीमा

११३२. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** ७ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की उत्तरी सीमा के समानान्तर खींची गई आन्तरिक रेखा को ठीक करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उस सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इनर लाइन को ठीक करने के लिये सरकार अभी विचार कर रही है। जैसे ही फैसला हो जायेगा, परिवर्तनों का एक लेखा सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

विदेशी चलचित्र

†**११३३. चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ सितम्बर, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक भारत में कितने विदेशी चलचित्रों का आयात और प्रदर्शन किया गया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** भारत में आयातित चलचित्रों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एक्सपोज की गयी फिल्मों के देश भर में फुट के आधार पर आयात का एक विवरण वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा २१ मार्च, १९५६ को श्री एम० इस्लामुद्दीन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ भाग (क) के उत्तर में सभा के पटल पर रख दिया गया है। १ सितम्बर १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ में आयात की गयी १३९६ फिल्मों को केन्द्रीय चलचित्र विवाचन बोर्ड ने सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाणित कर दिया था।

भाखड़ा बांध और नंगल पावर हाउस

†**११३४. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध और नंगल पावर हाउस से इस समय कितनी बिजली दी जा रही है; और

(ख) उसे किस प्रकार वितरित किया जाता है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) भाखड़ा पावर हाउस से अभी कोई बिजली नहीं तैयार की जाती, क्योंकि अभी उसका निर्माण हो रहा है। गंगूवाल पावर हाउस में ४८,००० किलोवाट बिजली तैयार की जाती है।

(ख) इस बिजली को पंजाब और पेप्सू के क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों की मांगों के अनुसार वितरित किया जाता है। लगभग ८,००० किलोवाट दिल्ली को दी जा रही है और लगभग ७,००० किलोवाट भाखड़ा बांध के निर्माण कार्य के लिये दी जा रही है।

पैट्रोल

†**११३५. श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५५ में कुल कितना पैट्रोल पैदा हुआ ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर) :** माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी आवश्यक जानकारी को बताना देश के हित में नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उल्हासनगर उपनगर

†११३६. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उल्हासनगर उपनगर में वहां के विस्थापित व्यक्तियों की बेरोजगारी कम करने के लिये कोई उद्योग शुरू किये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत सरकार ने चार योजनायें अनुमोदित कर दी हैं और लगभग एक वर्ष में उन योजनाओं के द्वारा उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है ।

भारत-पाकिस्तान करार

†११३७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) अविभाजित प्रान्तों के विस्थापित सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के दावों (भारत-पाकिस्तान करार, १९४९ के अधीन) के कितने मामले जांच के लिये अभी पड़े हुये हैं; और

(ख) वे कितने समय से पड़े हुए हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) ३१, मार्च १९५६ को १४,६७७ ।

(ख) इन दावों में से अधिकांश तीन या चार वर्ष पुराने हैं ।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†११३८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार ने अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि दी है;

(ख) उक्त राज्य में कितने विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसा दिया गया है और कितनों को अभी बसाना है; और

(ग) क्या उपर्युक्त विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिये नकद राशियां दी गयीं या राज्य सरकार ने उनके लिये मकान बनवा दिये ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

गोदावरी घाटी परियोजना

†११३९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हैदराबाद राज्य को गोदावरी घाटी परियोजना के कार्य के दूसरे प्रक्रम के लिये कुल कितनी राशि रखी गयी है; और

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) कोई राशि नहीं रखी गयी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ऋण

†११४०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन विस्थापित व्यक्तियों के दावे जांचे जा चुके हैं, उनको सरकार ने मकान बनाने के लिये ऋण स्वीकार कर दिया है;

(ख) मकान बनाने के ऋणों के लिये अभी तक कुल कितने आवेदनपत्र राज्य वार प्राप्त हो गये हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गयी और कितनी राशि वास्तव में राज्य-वार वितरित की गयी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) जी, हां।

(ख)

(१)	उत्तर प्रदेश	४८०
(२)	दिल्ली	३,१२६
(३)	बम्बई	७१०
(४)	मैसूर	१४
(५)	राजस्थान	७७६
(६)	पंजाब	१,०६१
(७)	मध्य भारत	७५
(८)	अजमेर	१
(९)	मध्य प्रदेश	३७
	योग	६,२८०

(ग)

नाम		स्वीकृत राशि (लाखों में)	लिखित राशि (लाखों में)
(१)	उत्तर प्रदेश	२८·८०	१२·००
(२)	दिल्ली	६१·२९	२४·७५
(३)	बम्बई	१५·६५	३·२५
(४)	राजस्थान	१२·३३	२·५५
(५)	पंजाब	३०·५०	२०·०३
(६)	मध्य भारत	५·०१	—
(७)	अजमेर	०·०८	—
(८)	मध्य भारत	१·३३	—
	योग	१५४·९९	६२·५८

भाखड़ा परियोजना

†११४१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा परियोजना के अधीन वर्षवार कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हुई;

(ख) अभी तक कुल कितने मील मुख्य नहरें और उनकी सहायक नहरें बनाई गयीं;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अभी कुल कितने मील मुख्य नहरें और उनकी सहायक नहरें बनने को बाकी हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (घ). मांगी गई जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८**]

मध्य भारत में विस्थापित व्यक्ति

११४२. श्री अमर सिंह डामर : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य भारत में विस्थापित छात्रों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो १९४९-५० से १९५३-५४ तक प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी गई;

(ग) अप्रैल, १९४८ से मार्च, १९५४ तक मध्य भारत में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) मध्य भारत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी, हां।

(ख) १९४९-५० से १९५३-५४ तक निम्नलिखित रकम मध्य भारत सरकार को दी गयी :

१९४९-५०	१,९७,९०० रुपये
१९५०-५१	१,८७,४०० "
१९५१-५२	१,००,००० "
१९५२-५३	४५,००० "
१९५३-५४	३०,००० "

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है और इस को एकत्रित करने में जितना समय और मेहनत लगेगी उस के बराबर प्राप्त होने वाला परिणाम नहीं होगा।

(घ) पुनर्वास के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के शरणार्थियों और गैर अनुसूचित जाति/गैर अनुसूचित आदिम जाति के शरणार्थियों में कोई भेद-भाव नहीं होता। इसलिये इस प्रकार के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रसारण केन्द्र

११४३. श्री अमर सिंह डामर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से देश में किन-किन स्थानों पर नये प्रसारण-केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ख) अगले दो सालों में किन-किन स्थानों पर प्रसारण-केन्द्रों के स्थापित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) सभा की मेज पर विवरण रखा जा रहा है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ख) दो या तीन स्टेशन खोले जायंगे। यह अभी विचाराधीन है कि यह कहां-कहां खोले जायें।

सुन्दरवन का विकास

†**११४४. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल राज्य की विकास योजनाओं के अनुसार सुन्दरवन के विकास के लिये आय-व्ययक में कोई धनराशि निश्चित की गई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि निश्चित की गई थी;

(ग) कितना धन खर्च हुआ और किन-किन मदों में; और

(घ) क्या राज्य सरकार इस काम के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि नियत करना चाहती है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ।

कोयले की राज्य-आयत्त खानें

†**११४५. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में भारत में कोयले की राज्य-आयत्त खानों पर कुल कितना खर्चा हुआ; और

(घ) इस अवधि में कुल कितना कोयला निकला ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी):

(क) राजस्व (निर्माण-व्यय) ४,०५,१०,००० रुपये
पूंजी १,६०,२६,००० रुपये अन्तिम प्राक्कलन

(ख) २९,४१,००० टन ।

आयात और निर्यात अनुज्ञप्तियां

११४६. श्री के० सी० सोधिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में आयात (नियंत्रण) आदेश, १९५५ की धारा ५ (३) के अधीन अनुज्ञप्तियों को अन्य व्यक्तियों के नाम में कर देने के लिये कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये;

(ख) उनमें से कितने प्रार्थनापत्र सवीकृत हुये और कितने अस्वीकृत;

(ग) क्या इस दौरान में ऐसे कोई मामले सरकार की सूचना में लाये गये जिनमें पूर्व-अनुमति प्राप्त किये बिना ही अनुज्ञप्तियां दूसरे के नाम में कर दी गई थीं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में ऐसे कितने मामले आये; और

(ङ) कितने मामलों में आयात (नियंत्रण) आदेश, १९५५ की धारा ८ और ९ के अधीन आवश्यक कार्यवाही की गई तथा इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त थी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के प्रार्थनापत्रों के पृथक् आंकड़े **नहीं** रखे जाते ।

(ग) से (ङ). एक विवरण साथ में संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १०]**

आकाशवाणी में नाटक प्रस्तुत करने वाले

†**११४७. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, बंगलौर, में नाटककारों की नियुक्ति करने के लिये कोई समिति स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) इन जगहों के लिये कितने अभ्यर्थी बुलाये गये थे; और

(घ) नाटक प्रस्तुत करने वालों की अपेक्षित अर्हतायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). दो प्रसिद्ध कन्नड लेखकों सर्वश्री मास्ती वेंकटेश अय्यंगार और डी० वी० गुंडप्पा, और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सचिव, तथा आकाशवाणी के महानिदेशक की एक समिति आकाशवाणी, बंगलौर में निर्माताओं को, जिनमें नाटक प्रस्तुत करने वाले भी सम्मिलित हैं, नियुक्ति के लिये सिफारिश करने को बनाई गई है।

(ग) और (घ). सामान्य अर्हता यह है कि व्यक्ति नाटककार के रूप में और/अथवा नाटकों के प्रस्तुतकर्ताओं के रूप में प्रसिद्ध हो। इस प्रसिद्धि की पुष्टि व्यक्ति के पिछले कार्यों से की जाती है, इंटरव्यू द्वारा नहीं। कभी-कभी ख्याति प्राप्त व्यक्तियों से प्रस्तुतकर्ता का काम करने को आग्रह किया जाता है।

त्रिपुरा में मध्यम पैमाने का उद्योग

†११४८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में विस्थापितों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने को क्या सरकार ने मध्यम पैमाने का उद्योग चालू करने के बारे में कोई योजना स्वीकार की है;

(ख) किस-किस प्रकार के उद्योग प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ग) इसमें कितना समय लग जायेगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) से (ग). सीमेंट कंकरीट के नल बनाने की एक योजना स्वीकृत हो चुकी है। तीन अन्य योजनायें जिनमें एक औद्योगिक और चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों के लिये स्प्रिट बनाने की है तथा दो चावल और तेल की वर्तमान मिलों का विस्तार करने की हैं, सरकार के विचाराधीन हैं।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†११४९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिपुरा के विस्थापितों के लिये ऋण की राशि बढ़ाना चाहती है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि की जायेगी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) जी नहीं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही ऋण की राशि स्वीकृत की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये खेतिहर-भूमि का आवंटन

†११५०. { **श्री इकबाल सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बहावलपुर के कितने विस्थापित व्यक्तियों को उनके द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई अपनी भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति के रूप में पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान में पृथक्-पृथक् खेतिहर-भूमि मिली है; और

(ख) कितने व्यक्तियों ने अभी भूमि पर कब्जा नहीं लिया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क)

पंजाब	४१७	कुटुम्ब
पेप्सू	१,५९०	कुटुम्ब
राजस्थान	३,०६४	कुटुम्ब

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

सिम्प्लेक्स इंजन

†११५१. **श्री किरोलिकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर परियोजना में इस्तेमाल करने के लिये जून, १९५३ से मार्च, १९५४ तक कितने सिम्प्लेक्स इंजन खरीदे गये; और

(ख) क्या ये सब इंजन इस परियोजना के लिये अपेक्षित थे ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) सात ।

(ख) इस परियोजना के लिये चार इंजन काम में लाये गये । तीन इंजन आवश्यकता के समय के लिये रखे गये ।

विस्थापित व्यक्ति

†११५२. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना स्वीकृत की है जिसके अनुसार पाकिस्तान की बहावलपुर रियासत के विस्थापितों को ठीक उतने ही लाभ व विशेषाधिकार मिलें; जो पाकिस्तान के अन्य विस्थापितों को दिये जाते हैं;

(ख) बहावलपुर के विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ग) बहावलपुर के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं तथा किन-किन को स्थायी रूप से भूमि का आवंटन किया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :** (क) विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें देने में इस बात का कोई विभेद नहीं किया जाता है कि वे पश्चिमी पाकिस्तान के किस प्रान्त में रहते थे ।

(ख) १९५१ की अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार २,५२,९५६ विस्थापित व्यक्ति पश्चिम पाकिस्तान की देशी रियासतों से भारत आये/बहावलपुर से कितने विस्थापित व्यक्ति आये, इसकी ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ग) बहावलपुर के विस्थापित व्यक्ति दो वर्गों में आते हैं, एक पंजाबी, और दूसरे गैर-पंजाबी । जो पंजाबी थे, उनको अन्य पंजाबी व्यक्तियों की तरह माना गया और उनको भूमि की अर्ध, स्थायी आवंटन योजना के अन्तर्गत पंजाब और पेप्सू में बसा दिया गया । जो गैर-पंजाबी थे, उनको अन्य गैर-पंजाबियों के साथ अन्य राज्यों में, उदाहरणतः दिल्ली, बम्बई, राजस्थान इत्यादि में बसा दिया गया । अब यह फ़ैसला किया गया है बहावलपुर के ऐसे गैर-पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों को भी, जो पंजाब या पेप्सू में रह रहे थे, इन राज्यों में भूमि का आवंटन किया जाये ।

पुनर्वास मंत्रालय की निधि से केवल भावलपुर के विस्थापित व्यक्तियों के लिये ही पेप्सू में राजपुरा बस्ती बसाई गयी है । इसकी जनसंख्या लगभग १५,००० है ।

कुटीर उद्योग

†११५३. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९५५-५६ में विभिन्न सार्थों अथवा व्यक्तियों को कुटीर उद्योगों के विकास के लिये अनुदान दिये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये अनुदान किन-किन को मिले हैं; और

(ग) प्रत्येक को कितना धन दिया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) से (ग). सरकार ने सार्थों को कोई अनुदान नहीं दिये हैं । अनेक मान्य अथवा प्रमाणित संस्थाओं के अलावा, निम्नलिखित व्यक्तियों को अनुदान दिये गये हैं :

व्यक्ति का नाम	स्वीकृत धनराशि	संक्षेप में प्रयोजन
त्रावनकोर-कोचीन के श्री जो कूरियन	रुपये १,५००	एक जेबी चर्खे का आविष्कार करने के लिए और एक आद्य-रूप जेबी चर्खा बनाने को आगे प्रयोग करने के लिये ।
उत्तर प्रदेश के श्री मुहम्मद रजा खां बंगश	१,५००	दक्षिण भारत, पंजाब और काश्मीर का अध्ययन की दृष्टि से भ्रमण करने के बाद जरी के काम के इतिहास तथा विकास पर अपनी किताब पूरी करने में सहायता देने के लिये ।
मांटुंगा औद्योगिकीय	१५,०००	खादी में गवेषणा जारी रखने के लिये ।
प्रयोगशालायें, बम्बई के श्री वी० वी० गुप्ते	३६,०००	कताई का एक परीक्षणात्मक एकक बनाने के लिये ।

स्थानीय विकास कार्य

†**११५४.** { **सरदार इकबाल सिंह :** **सरदार अकरपुरी :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में अब तक पंजाब और पेप्सू राज्यों के लिये स्थानीय विकास कार्यों के लिये कुल कितने के ऋण तथा अनुदान स्वीकृत किये गये और उनके द्वारा लिये गये;

(ख) १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में अब तक इन राज्यों में कौन-कौन से स्थानीय कार्य पूरे किये गये;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में किसी गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा किये गये अथवा सोचे गये किसी स्थानीय कार्य के लिये कोई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक व्यापक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ११**]

हैदराबाद राज्य में विस्थापित कृषक

†**११५५. श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में कितने विस्थापित कृषक बसाये गये हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस राज्य में उनको कुल कितने एकड़ कृषि-भूमि का आवंटन किया गया; और

(ग) कृषकों के आलावा हैदराबाद राज्य में बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) ५११ कुटुम्ब ।

(ख) ४८,१६५ एकड़ ।

(ग) हैदराबाद सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†**११५६. श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४-५५ और १९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार ने ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये हैदराबाद राज्य को जो अनुदान अथवा सहायता दी थी, उसका राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार से यह पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में धन का उपयोग नहीं किया जा सका ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हाँ ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धन का उपयोग जितनी मन्द गति से किया गया, उसकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और राज्य सरकार से योजनाओं की शीघ्र कार्यान्विति के लिये कहा गया है ।

कोसी परियोजना

†**११५७. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी परियोजना प्राधिकार ने वर्ष १९५५-१९५६ में और वर्ष १९५६-५७ के लिये कुल कितने सीमेंट, कोयले और लोहे की मांग की;

(ख) इन में प्रत्येक के कितने परिमाण की मंजूरी दी गयी और कितने परिमाण का उसके द्वारा उपयोग किया गया; और

(ग) क्या यह सच है कि उसको उसकी आवश्यकतानुसार सीमेन्ट और लोहा नहीं दिया गया है जिससे उसके कार्य में बाधा पड़ी है ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दामोदर घाटी निगम

†**११५८. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस सिंचाई दर को, जो दामोदर घाटी निगम जल के उपभोक्ताओं से वसूल की जायेगी अंतिम रूप से निश्चित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रति एकड़ कितनी दर वसूल की जायेगी; और

(ग) भाखड़ा और हीराकुड परियोजनाओं की सिंचाई दरों से तुलना में यह कैसी है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम पानी बंगाल सरकार को दे देगा और वह उस को इस्तेमाल किये जाने के लिये कृषकों को देगी । दामोदर

†मूल अंग्रेजी में

घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार से जो दर वसूल की जायेगी वह तो अभी तय नहीं की गयी है, परन्तु पश्चिमी बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम की सहमति से १९५५ के पानी के लिये यह दरें तय कर दीं थीं :

रबी	१९५४-५५	१० रुपये प्रति एकड़
खरीफ	१९५५	७ रुपये १२ आने प्रति एकड़

(ग) दामोदर घाटी निगम की दर भाखड़ा नंगल की दरों जैसी ही हैं। हीराकुड के लिये अब तक कोई दर तय नहीं की गयी है।

कोसी परियोजना के लिये नमूना-परीक्षण

†११५९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना में केन्द्रीय जल विद्युत आयोग की निगरानी में (१) बन्धों के निर्माण के बाद दोनों बन्धों के बीच के क्षेत्र की दशा; और (२) थमटा और बोन गाँव, वह स्थल जहाँ कोसी के दोनों बन्धों का अन्त होता है, के नीचे के क्षेत्र की दशा और सम्बन्धित क्षेत्रों पर विकर्षण जल मार्गों के प्रभाव के सम्बन्ध में जो नमूना-परीक्षण किया गया था उसके परिणाम क्या हैं; और

(ख) इस नमूना परीक्षण के कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) यह प्रयोग अभी जारी हैं।

(ख) आशा है कि यह प्रयोग अगले तीन महीनों में पूरे हो जायेंगे।

आन्ध्र राज्य की प्रारूप द्वितीय योजना

†११६०. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग के समक्ष जो योजना प्रस्तुत की गई है उसमें कुल कितनी राशि का प्राक्कलन किया गया है;

(ख) कितनी प्राक्कलित राशि को मंजूर करने की प्रस्थापना की गयी है; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि मंजूर की गयी थी और कितनी राज्य द्वारा प्रयुक्त की गयी थी ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) २४४·४३ करोड़ रुपये।

(ख) ११८·८४ करोड़ रुपये।

(ग) (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना का परिमाण ६९·४२ करोड़ रुपये।

(२) किया गया व्यय (१९५१-५४ वास्तविक, १९५४-५५ पुनरीक्षित और १९५५-५६ आयव्ययक) ६४·३२ करोड़ रुपये।

अजरबाइजान में भारतीय मन्दिर

†११६१. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत वैज्ञानिकों ने अज़रबाइजान की राजधानी बाकू के निकट एक वन में एक भारतीय मंदिर का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार द्वारा इस मंदिर के ब्योरे का पता लगाया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). हमें इस मामले के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। हम, फिर भी, पूछ-ताछ कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

गंगानगर जिले में मुसलमान

११६२. श्री पी० एल० बारूपाल : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मुसलमानों की जमीन और जायदाद पर किस का अधिकार होगा, जो १९४७ के बाद पाकिस्तान चले गये थे और १९४९ में भारत वापस आ गये तथा सामान्य निर्वाचनों के पूर्व बिना पारपत्रों के पाकिस्तान लौट गये (क्योंकि वे भारत में मतदान नहीं करना चाहते थे) और वे बाद को फिर भारत लौट आये;

(ख) क्या यह सच है कि गंगानगर जिले के कीकरवाली, नोहा, डबली राठान, पीर कामड़ीया, चक खैरूवाला, सूरेवाला, वसीर आदि गांवों में ऐसे बहुत से मुसलमान हैं, जो कई बार पुलिस द्वारा पाकिस्तान पहुंचाये गये और फिर वे भारत के सरकारी कर्मचारियों से किसी प्रकार सांठ-गांठ कर के अपनी जमीनों व जायदादों पर कब्जा करने के लिये भारत वापिस आ गये हैं; और

(ग) क्या उक्त गांवों के इन मुसलमानों की जमीनें शरणार्थियों को दे दी गई थीं, किन्तु इन के वापस आ जाने पर शरणार्थियों को जमीनों से बेदखल कर दिया गया ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) यदि उक्त व्यक्ति एवेक्वी (निष्क्रमणार्थी) घोषित कर दिय गये थे तो उनकी जायदादों पर कस्टोडियन आफ एवेक्वी प्रापर्टी (निष्क्राम्य सम्पत्ति अभिरक्षक) का अधिकार होगा। किसी व्यक्ति को एवेक्वी घोषित करने की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख एवेक्वी प्रापर्टी ला में किया गया है। यह बताना सम्भव नहीं है कि उक्त व्यक्तियों को एवेक्वी घोषित किया गया था या नहीं। आखिरी तौर पर एवेक्वी घोषित किये गये व्यक्तियों की जायदाद डिस-प्लेस्ड परसन्स कम्पेनसेशन ऐन्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट (विस्थापित का वित्त प्रतिकर तथा पुनर्वास अधिनियम) के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने अपने आधीन कर ली है।

(ख) सरकार के पास यह जानकारी नहीं है। निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गयी जायदादों के मालिक यदि भारत वापिस आ गये थे, या यह प्रमाणित होने पर कि वे पाकिस्तान नहीं गये थे कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐवेक्वी प्रापर्टी एक्ट के अनुसार अपनी जायदादों की वापसी के लिये प्रार्थना पत्र दे सकते थे। क्या गंगानगर में इस प्रकार के मामले हुये हैं, पूछ-ताछ की जायगी।

(ग) एवेक्वी प्रापर्टी ऐक्ट की धारा १६ के अधीन भूमि के बारे में सर्टिफिकेट प्रदान करने का निर्णय करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि उस भूमि पर बसे हुये शरणार्थियों को अनावश्यक रूप से हटाया न जाये। यह मालूम नहीं है कि उक्त गावों में धारा १६ के अधीन जायदाद के वापिस दिलाने से या अनुचित तौर से ज़मीनों को लौटाने के कारण शरणार्थियों को अपनी ज़मीनों से बेदख़ल किया गया है। परन्तु इस मामले की जांच की जायेगी।

गंगानगर जिले में विस्थापित व्यक्ति

११६३. श्री पी० एल० बारूपाल : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज़िला गंगानगर में शरणार्थियों को जो भूमि आवण्टित की गयी थी वह जमीन पाकिस्तान से वापस आये मुसलमानों को लौटा दी गयी है, परन्तु ज़िला गंगानगर के सेटलमेंट अधिकारी जमीनों की किस्तों के रुपये उन गरीब शरणार्थियों से मांग रहे हैं, जिनकी जमीन छीन कर पाकिस्तान से बिना पारपत्र आये हुये मुसलमानों को दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो शरणार्थियों को जमीन देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) और (ख). जिला गंगानगर में एक दो मामलों में शरणार्थियों को दी गयी भूमि को कस्टोडियन आफ एवेक्वी प्रापर्टी (निष्क्राम्य सम्पत्ति अभिरक्षक) राजस्थान ने गैर-निष्क्राम्य करार दिया। कस्टोडियन के आदेशों का पता न होने के कारण स्थानीय

† मूल अंग्रेजी में

सेटलमेन्ट आफिसर ने इन शरणार्थियों के नाम उनकी ज़मीनों के मूल्य सम्बन्धी किश्तों की अदायगी के लिये नोटिस जारी किये। परन्तु इन नोटिसों को लागू नहीं किया गया। इन शरणार्थियों के अपील करने पर कस्टोडियन जनरल आफ़ एवेक्वी प्रापर्टी ने यह मामला स्थानीय कस्टोडियन को और अधिक जांच के लिये भेजा है। यह मामला अब कस्टोडियन के विचाराधीन है। जब तक कि निष्क्राम्य सम्पत्ति सम्बन्धी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, इन शरणार्थियों को अपनी ज़मीनों के बदले दूसरी ज़मीन देने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में सामुदायिक परियोजनायें

†११९४. **श्री रघुबीर सहाय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उत्तर प्रदेश के योजना तथा उद्योग मंत्री द्वारा राज्य विधान सभा में दिये गये इस वक्तव्य की ओर, कि अपने जीवन के तीन वर्ष पूरे करने वाली १८ सामुदायिक परियोजनायें इस मास के अन्त तक बन्द कर दी जायेंगी, आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण, जिसमें इन खण्डों के नामों के साथ उनके जिलों के नाम भी दिये हुए हों, लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी हां। यह खंड १९५२-५३ के सामुदायिक परियोजना क्रम के हैं। खण्ड-आयव्ययक द्वारा किये गये धन से चलने वाले खण्डों में १ अप्रैल, १९५६ से केवल गहन कार्यक्रम का ही अंत होगा। इसके उपरान्त इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड जैसा कर्मचारियों को सेवायुक्त करने का एक कार्यक्रम तथा चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, कुटीरोद्योगों और शिक्षा आदि के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम जारी किये जायेंगे और इनके लिये धन की व्यवस्था राज्य सरकार के विभागीय आय व्ययकों में से की जायगी।

(ख) मांगी गयी सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १२]**

नदियों का आपस में मिलाया जाना

†११९५. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय सर आर्थर काटन की परिकल्पना के अनुसार भारतीय नदियों को नहरों द्वारा आपस में मिला देने का कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) क्या उनकी योजना का ब्योरा मिल सकता है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). दोनों भागों का उत्तर नकारात्मक है।

सामुदायिक परियोजना प्रशासन

†११९६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडोनेशिया की सरकार द्वारा सामुदायिक परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार से क्या परामर्श मांगा गया है; और

(ख) क्या इंडोनेशिया सरकार द्वारा किसी पदाधिकारी की सेवायें भी मांगी गयी हैं ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) सामुदायिक विकास कार्यक्रम तैयार करने में इंडोनेशिया सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता प्रशासन ने सामुदायिक परियोजना प्रशासन के प्रशासक को दो महीने तक इंडोनेशिया का दौरा करने के लिये आमंत्रित किया था। वह जून, १९५५ में गये थे, और अगस्त १९५५ में भारत वापस लौट आये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां। संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता बोर्ड ने सामुदायिक परियोजना प्रशासन से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अनुभव प्राप्त दो पदाधिकारियों की सेवायें इंडोनेशिया में प्रतिनियुक्त किये जाने के लिये ऋण के रूप में देने का अनुरोध किया था। मध्य प्रदेश सरकार के उपविकास आयुक्त श्री एल० एन० वोनगिरवार फरवरी १९५६ में तीन महीने के लिये इंडोनेशिया चले गये। द्वितीय पदाधिकारी, पंजाब कृषक सेवा के श्री के० जी० भंडारी, जो इस समय विकास पदाधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र रांची के प्रिंसिपल हैं, संभवतः हाल ही में छः महीने के लिये जाने वाले हैं।

रूई और पटसन

†११६७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३-५४ और १९५४-५५ में भारत में कुल कितनी रूई और पटसन की खपत हुई ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : रूई का वर्ष पहली सितम्बर को शुरू होता है और अगले वर्ष ३१ अगस्त को समाप्त होता है। दूसरी ओर, पटसन का वर्ष पहली जुलाई से आरम्भ होता है और अगले वर्ष की ३० जून को समाप्त होता है।

रूई और पटसन वर्ष १९५३-५४ और १९५४-५५ में मिलों द्वारा (जिनके सम्बन्ध में पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं) कच्ची रूई और कच्चा पटसन की खपत इस प्रकार है :

	१९५३-५४	१९५४-५५
	(लाख गांठों में)	(लाख गांठों में)
कच्ची रूई	४६·०८	४७·६९
कच्चा पटसन	५३·००	६१·००

गंगानगर जिले में विस्थापित व्यक्ति

११६८. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सन् १९४७-४९ में खुश्की रास्ते से आये बिना दावे वाले सात-आठ हजार शरणार्थियों को गंगानगर जिले में ही बसाने के लिये कोई योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे व्यक्तियों की सूची प्राप्त हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग). ज़िला गंगानगर में निकासी खेती की ज़मीन के दिये जाने का बहुत कुछ काम विभाजन होने के बाद के सालों में पूरा किया जा चुका था और यह ज़मीन शरणार्थियों को जिन के दावे थे या न थे उन को दी गयी। माननीय सदस्य से केन्द्रीय तथा राजस्थान सरकार को ५,२७२ नामों की (न कि सात या आठ हज़ार नामों की) सूची प्राप्त हुई है। किन्तु इस सूची में उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये काफी जानकारी नहीं दी गयी है। इस बारे में माननीय सदस्य को राज्य सरकार द्वारा सूचना दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†११७०. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के सभी राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को पूरा कर लिया गया है अथवा अभी कोई खण्ड अधूरा है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में (राज्यवार) कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड शामिल किये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) राष्ट्रीय विकास सेवा का कार्यक्रम तीन वर्ष का है। २ अक्तूबर, १९५३ से आरम्भ हो कर समय-समय पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का आवंटन किया गया है। इस लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की कार्यावधि के पूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३,८०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को लेने की प्रस्थापना की गयी है। आवंटन योग्य खण्डों के राज्यवार वितरण को अभी अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है।

सहकारी समितियां

†**११७१. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात के मामले में सहकारी समितियों को कुछ अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). सहकारी समितियों को यह अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की जाती हैं;

(१) वह आयकर का सत्यापन कराने की आवश्यकता से उन्मुक्त होती हैं।

(२) वह अपने प्रत्येक सदस्य की कच्चे माल के आयात की आवश्यकताओं के लिये वास्तविक उपभोक्ता लाइसैंसों के लिये आवेदन कर सकती हैं।

(३) उपभोक्ता सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिये कुछ ऐसी उपभोक्ता-वस्तुओं का आयात कर सकती हैं जिनके लाइसैंस अन्यथा केवल सुस्थापित आयातकों को ही दिये जाते हैं।

(४) सहकारी समितियों को कुछ वस्तुओं, जैसे एच० पी० एस०, मूंगफली, प्याज़ और मिर्चों आदि के निर्यात के लिये पृथक निर्यात कोटे भी आवंटित किये जाते हैं।

सिंचाई प्रयोजनों के लिये पेप्सू को अनुदान

†**११७२. श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई के प्रयोजनों के लिये पेप्सू राज्य को १९४७ से १९५६ तक ऋण सहायक अनुदान अथवा आर्थिक सहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी गयी है; और

(ख) क्या दी गयी कुल राशि का उपयोग किया गया है अथवा नहीं ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) पेप्सू सरकार को १९५२ से पूर्व कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया था। १९५२-१९५६ तक की अवधि के लिये राज्य सरकार को ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई वह इस प्रकार है;

भाखड़ा-नंगल	—३,०४,५०,००० रुपये।
विद्युत योजनायें	— ५०,००,००० रुपये।
कमी वाले क्षेत्रों की योजनायें	— ३०,००,००० रुपये।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

छोटे पैमाने के उद्योग

†**११७३. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों को विकसित करने के लिये पैप्सू राज्य को १९४७-१९५६ तक

†मूल अंग्रेजी में

ऋण, सहायक अनुदानों अथवा आर्थिक सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) क्या मंजूर की गयी कुल राशि का उपयोग किया गया है अथवा नहीं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने की योजनाओं की कार्यान्विति के लिये पेप्सू सरकार को वर्ष १९५४-५५ और १९५५-५६ के बीच कुल १२,४८,६३० रुपये (अनुदान—२५,७३० रुपये; ऋण १२,२२,९०० रुपये) की राशि मंजूर की गई है इस प्रयोजन के लिये १९५४ से पूर्व कोई निधि राज्य सरकार को मंजूर नहीं की गई थी ।

(ख) जी, नहीं । राज्य सरकार ने सरकार को सूचित किया है कि उस ने अब तक अनुदान और ऋण में से क्रमशः ३,६६३ रुपयों और ३,२५,५४० रुपयों का ही उपयोग किया है ।

उद्योगों का विकास

†**११७४. श्री राम कृष्ण :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीरोद्योगों को विकसित करने के लिये पैप्सू राज्य को १९५६ तक प्रतिवर्ष ऋणों, सहायक अनुदानों अथवा आर्थिक सहायता के रूप में कुल कितना धन दिया गया है; और

(ख) क्या दी गयी कुल राशि का उपयोग किया जा चुका है अथवा नहीं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) खादी और ग्रामोद्योगों, दस्तकारी तथा रेशम-कीट पालन को विकसित करने के लिये पेप्सू राज्य को ऋणों और सहायक अनुदानों अथवा आर्थिक सहायता के रूप में प्रति वर्ष जो धनराशि दी गई है वह इस प्रकार है :

	अनुदान/सहायता	**ऋण**	**कुल जोड़**
	रुपये	रुपये	रुपये
१९५३-५४	३७,३०३	—	३७,३०३
१९५४-५५	५४,३३८	७२,७२०	१,२७,०५८
१९५५-५६ (३१-१-५६ तक)	१,१७,७७४—१२ आने	५,७०,६३०	६,८८,४०४—१२ आने
कुल जोड़	२,०९,४१५—१२ आने	६,४३,३५०	८,५२,७६५—१२ आने

(ख) जी, नहीं ।

दामोदर घाटी निगम

११७५. श्री के० सी० सोधिया : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने उस में भाग लेने वाली सरकारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्र द्वारा बाढ़ नियन्त्रण के लिये दी गई पूंजी पर लगने वाले ब्याज को छोड़ कर दामोदर घाटी निगम, भाग लेने वाली सरकारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर नियमित रूप से ब्याज दे रहा है । भाग लेने वाली सरकारों की जुलाई १९५४ में एक कान्फ्रेन्स हुई थी जिसमें यह निश्चय किया गया था कि

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम की बाढ़ नियन्त्रण पूंजी में केन्द्र द्वारा लगाये गये भाग पर कोई ब्याज नहीं पड़ना चाहिये। इस निश्चय के अनुसार दामोदर घाटी निगम में केन्द्र द्वारा लगाई गई पूंजी के इस भाग पर ब्याज नहीं दिया है।

भारतीय नदियों का वार्षिक जलप्रवाह

†**११७६. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की नदियों का कुल वार्षिक जलप्रवाह कितना है;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में भिन्न-भिन्न बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कितनी जलराशि का प्रयोग किया गया है;

(ग) कौन-कौन सी नदियों को अछूता छोड़ दिया गया है; और

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव रखे गये हैं ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) अनुमानतः भारतीय नदियों का कुल वार्षिक प्रवाह १३५६० लाख एकड़ फ़ीट है।

(ख) बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं पर लगभग २८६ लाख एकड़ फीट जल का प्रयोग हुआ है।

(ग) सिंचाई की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र और गंगा की कुछ सहायक नदियों जैसे कमला, बाघमती और बूढ़ी गंडक आदि जो उत्तरी बिहार में है को छोड़ दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में साबरमती और नर्मदा नदी पर भी सिंचाई की कोई परियोजना नहीं बनाई गई है। किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नर्मदा नदी के लिये बहुत सी परियोजनाएँ शामिल की जा रही हैं। जहाँ तक उनसे विद्युत् प्राप्त करने का सम्बन्ध है प्रथम योजना में अभी तक निम्नलिखित नदियों को नहीं छेड़ा गया है :

१. ताम्रपर्णी
२. परयार
३. चलाकुडी
४. कावेरी
५. शार्वती
६. कृष्णा
७. गोदावरी
८. महानदी
९. गंगा
१०. सतलुज

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बड़े, मध्यम तथा छोटे पैमाने की सिंचाई तथा विद्युत् सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं पर ७४० लाख एकड़ फ़ीट पानी का प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है।

सर्पगन्धा

†**११७७. श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में सर्पगन्धा जड़ी बूटी की मांग बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) १९५३, १९५४ और १९५५ में क्रमशः इसकी कितनी मात्रा निर्यात की गई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). उसकी संक्षिप्त सूचना तो उपलब्ध नहीं हो सकी है। इस जड़ी बूटी की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है यह निश्चय नहीं किया जा सका है। अतः निर्यात के बढ़ाने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) समुद्री व्यापार के लेखों में सर्पगन्धा के पृथक् आंकड़े नहीं दिये जाते हैं ।

नाहन फाउंड्री लिमिटेड

†११७८. **श्री बूवराघस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाहन फाउंड्री लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश) में कोई श्रमिक संस्थाएँ हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम; और

(ग) प्रत्येक संस्था में कितने श्रमिक हैं ।

†**वाणिज्य, और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). यह सूचना मिली है कि इस समय नाहन फाउंड्री लिमिटेड में केवल एक ही श्रमिक संस्था है । वह संस्था नाहन फाउंड्री मज़दूर पंचायत के नाम से प्रसिद्ध है । हाल ही की एक सूचना के अनुसार उसके कोई ३० व्यक्तियों ने उस संस्था से कुछ कारणों से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है । किन्तु अभी तक यह पता नहीं चला है कि क्या उन्होंने कोई पृथक् संस्था बनाई अथवा नहीं ।

(ग) नाहन फाउंड्री मज़दूर पंचायत, नाहन, के कोई ४०० सदस्य हैं ।

निर्माण कामगर

†११७९. **श्री रामानन्द दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन विभिन्न ठेकेदारों के साथ लगभग कितने निर्माण कामगर काम कर रहे हैं;

(ख) सरकार ने विभिन्न श्रेणी के कामगर के लिये मजदूरी की क्या दरें निश्चित की हैं तथा उनके लिये अन्य क्या सुविधाएँ हैं; और

(ग) इन निर्माण कामगरों के कल्याण के लिये क्या कार्य किया जा रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री क सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) लगभग १५,००० ।

(ख) मजदूरी के सम्बन्ध में बनाई गई नवीनतम अनुसूची की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १३]** न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार कामगरों को सप्ताह में ६ दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी दी जाती है ।

(ग) उनके लिये पीने का पानी, आरामगाहों, उपहार गृहों, प्राथमिक चिकित्सा, सहायता नहाने धोने के स्थान, शौचालय तथा शिशु-गृहों आदि की व्यवस्था की जाती है ।

खादी आदि का क्रय

†११८०. **श्री रामानन्द दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में मिलों और फैक्टरियों तथा कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों से कितनी खद्दर, मिल का कपड़ा, जूते, चप्पलें, बूट तथा चमड़े का अन्य सामान खरीदा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम प्रतिकर भत्ता

†११८१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के आसाम और त्रिपुरा के ज़िलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये मंहगाई के कारण आसाम प्रतिकर भत्ता मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस दर से तथा किस तारीख से उन्हें यह दिया जा रहा है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) उनको अपने वेतन का २० प्रतिशत इस विशेष भत्ते के रूप में दिया जाता है। उसकी अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाएँ नीचे दी जाती हैं। यह भत्ता १ अप्रैल, १९५५ से अथवा उनके भर्ती होने की तिथि से, जो भी बाद में हो, दिया जा रहा है ।

अभिधान	अधिकतम	न्यूनतम
अधीक्षक इंजीनियर		१५० रु० प्रति मास
अधिशासी इंजीनियर		१२५ "
सहायक इंजीनियर		१०० "
सहायक अधिशासी इंजीनियर		१०० "
पर्यवेक्षक	५० रु० प्रति मास	६० "
तीसरे श्रेणी के अन्य कर्मचारी	३० "	६० "

विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्तियां

†११८२. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से १९५५ तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कितनी बस्तियाँ बनी हैं; और

(ख) कितने ऐसे विस्थापित व्यक्ति हैं जिन्हें अभी भी रहने के लिये स्थान देना बाकी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के लिये अभी तक कुल ४७ बस्तियाँ बनाई गई हैं। ये बस्तियाँ पश्चिमी खंड में हैं। और पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के लिये १४९ शहरी बस्तियां बनाई गई है। ये सभी पर्वी खंड में हैं। किन्तु १९५२ से लेकर १९५५ तक बनाई गई बस्तियों के सम्बन्ध में अभी सूचना नहीं मिल सकी है ।

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले कुछ विस्थापितों को छोड़ कर शेष सभी को सरकारी मकानों तथा निष्क्रान्त व्यक्तियों के मकानों में स्थान मिल चुका है। पूर्वी खंड में, सरकारी कैम्पों तथा आवासों को छोड़ कर अन्य कोई विस्थापित व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी प्रकार का स्थान न मिला हो। चाहे वह उस का स्वामी हो अथवा किराये पर रहता हो अथवा किसी मित्र अथवा सम्बन्धी के साथ उसका मिल कर उपयोग कर रहा हो, उसे किसी न किसी प्रकार जगह मिल ही गई है ।

विस्थापित विधवाएं तथा दुर्बल व्यक्ति

†११८३. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विस्थापित अनाथों, विधवाओं, घायल तथा दुर्बल बूढ़े व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनको पेन्शन अथवा निर्वाह भत्ते मिल रहे हैं;

(ख) प्रति मास इन पर कितनी राशि व्यय होती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५४-५५ में इस कार्य के लिये बजट में कितनी राशि रखी गई थी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) ३१ मार्च १९५६ को इस प्रकार पेन्शन लेने वाले व्यक्तियों की संख्या ३९ थी और निर्वाह भत्ता लेने वाले व्यक्तियों की संख्या २०० थी ।

(ख) प्रति मास पेंशनों के रूप में १,८४० रु० व्यय होते हैं । जैसे ही किसी व्यक्ति को मुआवज़ा मिल जाता है उसका निर्वाह भत्ता बंद कर दिया जाता है । अतः उसके व्यय के आकड़े प्रतिमास बदलते रहते हैं ।

(ग) पेंशन १७,००० रुपये ।
निर्वाह भत्ता १२ लाख रुपये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नौकरियां

†**११८४. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कितनी अतिरिक्त नौकरियाँ देने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या यह लक्ष्य निर्धारित करते समय इसमें सामान्य वैज्ञानिक तथा छंटनी से होने वाली बेरोज़गारी के आंकड़े भी जोड़ लिये गये हैं;

(ग) यदि हां तो इसके लिये कितनी संख्या जोड़ी गई है; और

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में वैज्ञानिक, नवीकरण तथा छंटनी आदि की वजह से कितनी नौकरियाँ कम होने का अनुमान लगाया गया है——(१) कपड़ा उद्योग, (२) पटसन उद्योग, (३) प्रतिरक्षा, (४) रेलवे और (५) परिवहन——इसमें भराई तथा ढुलाई आदि भी शामिल हैं ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) अर्थ-व्यवस्था के ग़ैर-कृषि क्षेत्र में नई नौकरियों का लक्ष्य ८० लाख के लगभग है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में आने वाले १६ लाख लोगों के लिये पूर्णकालिक कार्य दिलाने का लक्ष्य रखा गया है । घरेलू वस्तुओं सम्बन्धी व्यवसायों में लगे हुए ३० लाख लोगों को भी पूर्ण-कालिक नौकरी दी जायेगी । इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में पूर्ण-कालिक रोज़गार की व्यवस्था से उससे होने वाली आय में १७ प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नवीकरण तथा वैज्ञानिकन की जो पद्धति रखी गयी है उससे वर्तमान उद्योगों में कोई त्वरित परिवर्तन नहीं आयेगा । इससे अधिक श्रमिक विस्थापित नहीं होंगे ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्ययन के लिये दौरा

†**११८५. श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारतीय अधिकारियों का कोई दल विदेशों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिये भ्रमण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों की संख्या क्या है तथा उन्हें किन-किन देशों का भ्रमण करना है; और

(ग) इस दौरे पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) यह दल ३०-३-१९५६ को लौट आया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सामुदायिक कार्यों के विकास का अध्ययन करने के लिये पांच भारतीय अधिकारियों का यह दल स्वीडन, डेन्मार्क, ब्रिटेन, हालैंड, नार्वे तथा इज़राइल गया था ।

(ग) ४६,४०० रु० (प्राक्कलित) ।

भाखड़ा नंगल कंट्रोल बोर्ड

†११८६. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नंगल बोर्ड की फरवरी तथा मार्च १९५६ में कोई बैठकें हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो किन लोगों को इसमें भाग लेने के लिये बुलाया गया था और यह बैठकें किन स्थानों पर हुईं; और

(ग) क्या नंगल बांध का कार्य निश्चित समय सूची के अनुसार प्रगति कर रहा है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** (क) जी, हां । बोर्ड की दो बैठकें हुई थीं;

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ग) नंगल बांध जुलाई १९५४ में पूरा हो गया था ।

घानी

†११८७. **श्री देवगम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्धा अथवा मगनवाडी घानी के गाँवों में प्रचार के लिये क्या कार्रवाही की गई है;

(ख) इसके निर्माताओं के पते तथा इसका मूल्य; और

(ग) क्या रेलवे इसके बनने के स्थान से गाँव तक ले जाने के भाड़े में कुछ रियायत दे रही है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) वर्धा घानी के प्रयोग के सम्बन्ध में आदर्श प्रदर्शन केन्द्र बनाये जा रहे हैं । इन को लगाने के लिये स्वीकृत संस्थाओं की सिफारिश पर वित्तीय सहायता भी दी जाती है । उसमें ५० प्रतिशत अनुदान के रूप में और ५० प्रतिशत ऋण के रूप में होती है । इन घानियों के प्रचार के लिये प्रदर्शनियाँ की जा रही हैं तथा प्रकाशन के अन्य साधन उपयोग में लाये जा रहे हैं ।

(ख) उनके पते तथा कीमतें संलग्न विवरण में दी गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) जी नहीं ।

सहकारी आवास संस्थाएँ

†११८८. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५५-५६ में किन्हीं सहकारी आवास संस्थाओं को सीधे कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) केन्द्रीय सरकार सहकारी आवास संस्थाओं को सीधे कोई सहायता नहीं देती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

घानी का तेल

११८९. श्री देवगम : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलों से चलाई जाने वाली अच्छी किस्म की घन्नियों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इन घन्नियों का व्यापार कौन-कौन लोग करते हैं, उनके पते क्या हैं और उनके मूल्य क्या हैं;

(ग) जहां ये घन्नियां बनाई जाती हैं वहां से इनके परिवहन के लिये, इन्हें लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से, रेलवे के भाड़े में कोई रियायत दी जाती है;

(घ) क्या इन्हें चलाने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है; और

(ङ) तेलियों की अपेक्षित मात्रा में तिलहनों को उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) अच्छी किस्म की वारधा की घन्नियों के प्रयोग का प्रदर्शन करने वाले नमूने के प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र खोले जा रहे हैं। इन अच्छी किस्म की घन्नियों को लगाने के लिये वैत्तिक सहायता मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा दी जाती है और वह आधी अनुदान रूप में होती है तथा आधी ऋण रूप में। इन घन्नियों को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं तथा प्रचार के अन्य उपाय भी अपनाये जाते हैं।

(ख) घन्नियों का व्यापार करने वाले के पते और उनके मूल्य संलग्न विवरण में दिये जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ग) नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) तिलहन भरने और उसे तेलियों को देने के लिये सरकार सरकारी संस्थाओं और पंजीबद्ध संस्थाओं को आसान शर्तों पर ऋण देती है।

नमक निधि

११९०. श्री के० सी० सोधिया : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नमक उत्पादन क्षेत्रों में बूढ़े और अपाहिज खनिकों की सहायता के लिये कोई निधि रखी जाती है;

(ख) इस निधि की वार्षिक प्राप्ति कितनी है और उस में खनिकों और सरकार का अंश अलग-अलग कितना-कितना है; और

(ग) इस निधि से इस समय कितने खनिकों को सहायता दी जा रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

आर्थिक सर्वेक्षण

†**११९१. श्री एम० डी० जोशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों को तत्सम्बन्धी राज्यों के मुख्य नगरों में आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिये अनुदान दिये गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया गया था;

(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों से यह जानने के लिये कोई प्रतिवेदन मांगा है कि क्या अनुदानों का प्रयोग हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या लोक-सभा पटल पर विवरणों की एक प्रतिलिपि रखी जायेगी;

(ङ) क्या बम्बई राज्य में नगरों का सर्वेक्षण करने का कार्य 'स्कूल आफ़ इकोनोमिक्स एण्ड सोशोलोजी' को दिया गया था; और

(च) बम्बई राज्य में किन-किन नगरों में सर्वेक्षण किया गया था ?

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा): (क) जी, हां। मुख्य-मुख्य नगरों के आर्थिक सर्वेक्षण के लिये कुछ विश्वविद्यालयों, कालिजों और गवेषणा संस्थाओं को अनुदान दिये गये थे।

(ख) योजना के अनुमानित व्यय के अनुसार अनुदान की राशियां भिन्न-भिन्न हैं। विभिन्न नगर सर्वेक्षणों के लिये स्वीकृत अनुदानें तथा अब तक उनके किये गये प्रयोग का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८**]

(ग) तथा (घ). किये गये व्यय तथा की गई प्रगति सम्बन्धी तिमाही विवरण गवेषणा कार्यक्रम समितियों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। ये सामान्य प्रतिवेदन होते हैं। योजना आयोग को माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है वह देने में प्रसन्नता होगी।

(ङ) 'स्कूल आफ़ इकोनोमिक्स एण्ड सोशोलोजी' ने बम्बई नगर के बारे में जो सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की एक योजना बनाई है वह स्वीकृत हो गई है और दूसरी जांच हो रही है। कुछ दूसरे नगरों के बारे में विभिन्न संस्थाओं और कालिजों ने जो योजनायें प्रस्तुत की हैं वे स्वीकृत हो गई हैं और उनकी जांच हो रही है।

(च) बम्बई, बड़ौदा, पूना, सूरत और हुबली।

शीतोष्ण-नियंत्रित एकक

†११९२. **श्री केशव अय्यंगार :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को किराये पर देने के लिये एस्टेट आफिस के पास कुल कितने शीतोष्ण-नियन्त्रण एकक हैं।

(ख) किन श्रेणी के सरकारी कर्मचारी इन्हें किराये पर पाने के अधिकारी हैं; और

(ग) १९५५ की गर्मियों में संघ सरकार के कितने मंत्रियों को ये एकक दिये गये थे ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर) :** (क) शीतोष्ण-नियन्त्रण एककों की संख्या, जो सरकारी कर्मचारियों के निवासस्थान पर उपयोग के लिये एस्टेट आफिस द्वारा किये जाते हैं, वह मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा उसी श्रेणी के अन्य व्यक्तियों की अपने घर तथा कार्यालयों में मांग की पूर्ति करने के पश्चात जो बचते हैं उन पर निर्भर होती है।

(ख) चिकित्सा अथवा इसी प्रकार के अन्य दूसरे आधार पर किये गये विशेष प्रकार से नियतन को छोड़ कर शीतोष्ण-नियन्त्रण एकक केवल उन्हीं पदाधिकारियों को दिये जाते हैं जिसका दर्जा सचिव के बराबर होता है।

(ग) १९५५ की गर्मियों में विभिन्न मंत्रियों के घरों पर १५ शीतोष्ण-नियन्त्रण एकक लगाये गये थे और उनमें से ३ मंत्रियों के कार्यालयों में तीन एकक लगाये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक भू-सम्पत्ति

†११९३. **श्री सिद्धनंजप्पा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मैसूर सरकार को राज्य में एक औद्योगिक भू-सम्पत्ति की स्थापना करने के लिये ऋण तथा अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण और अनुदान की स्वीकृत राशि क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) जी, हां ।

(ख) ऋण — ७००,००० रुपये
अनुदान — १०,००० रुपये

स्थानीय विकास निर्माण-कार्य

११९४. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में स्थानीय विकास निर्माण-कार्यों के लिये मध्य भारत सरकार को कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया था; और

(ख) जिस प्रयोजन के लिये अनुदान दिया गया था, उस के लिये राज्य ने कितनी राशि खर्च की ?

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन १९५३-५४ में किया गया। मध्य भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिये १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में क्रमशः २·८० लाख व १०·४० लाख रुपये का अनुदान दिया गया ।

(ख) राज्य सरकार की सूचनानुसार केन्द्रीय अनुदान की ८·८६ लाख रुपये की राशि राज्य सरकार ने कार्यक्रम के आरम्भ से सितम्बर १९५५ के अन्त तक व्यय की ।

जिला योजना निकाय

११९५. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **योजना** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों में जिला-स्तर पर जिला योजना निकाय बनाये गये हैं ?

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : सब राज्य सरकारों ने ज़िला स्तर पर योज़ना-निकाय स्थापित कर दिये हैं ।

काम पर स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी

†११९६. **डा० जाटववीर :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्दर्न इलैक्ट्रीकल डिवीज़न संख्या १, नई दिल्ली के काम पर स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को गत छः वर्षों से कोई वेतन-वृद्धि नहीं मिली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित कर्मचारी पिछले पांच वर्षों से अपने मामलों के बारे में अभ्यावेदन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कारण है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस मामले में इतनी देरी की है; और

(घ) इस मामले में अन्तिम आदेश कब तक जारी किये जाने की आशा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) से (ग). जी नहीं। हालांकि कुछ ऐसे मामले थे जिन में प्रारम्भिक वेतन गलत निश्चित कर दिया गया था इस लिये कुछ कठिनाई थी और इस कारण कुछ अभ्यावेदन मिले थे।

(घ) वेतन-वृद्धि स्वीकृत करा के आदेश ९-३-१९५६ को जारी कर दिये गये हैं।

'वायर मैन'

†**११९७. डा० जाटववीर** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नार्दर्न इलैक्ट्रीकल डिवीज़न संख्या १, नई दिली के श्रेणी २ के 'वायरमैन' का ६०–७५ रुपये वाले संशोधित वेतन-क्रम के निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग 'क' के उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों का प्रव्रजन

†**११९८. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से व्यक्ति अब भी जम्मू और काश्मीर राज्य में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो १९५५ के दौरान में कुल कितने व्यक्ति आये; और

(ग) उनको बसाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) से (ग). पूछी गई जानकारी जम्मू और काश्मीर राज्य से एकत्रित की जा रही है और मिलने पर लोक-सभा पटल पर रखदी जायेगी।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...	१५५७–७६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५४४	बनावटी खादी की बिक्री ...	१५५७–५८
१५४५	विश्व पंचांग में सुधार	१५५८–५९
१५४६	राष्ट्रीय अनुशासन योजना ...	१५५९–६०
१५४८	आयुर्वेदिक भेषज जांच समिति	१५६०
१५४९	कहवा उत्पादन ...	१५६०–६१
१५५०	भट्टियां	१५६२
१५५१	पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्ति	१५६२–६३
१५५३	अन्तर्राष्ट्रीय जल को गंदा करना	१५६३
१५५६	हसदेव बहुप्रयोजनीय परियोजना ...	१५६३–६४
१५५७	निर्माण संयंत्र और मशीनों सम्बन्धी समिति	१५६४
१५५९	दिल्ली में मुसलमानी क्षेत्र	१५६४–६५
१५६०	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पुर्तगाल का मामला...	१५६६–६७
१५६१	अम्बर चर्खा	१५६७–६८
१५६२	संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रजन	१५६९
१५६३	कांगड़ा चाय उद्योग	१५७०
१५६५	भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन	१५७०–७२
१५६६	सामुदायिक परियोजनाओं के लिये चलती फिरती सिनेमा गाड़ियां	१५७२
१५६९	संस्कृत धर्मग्रंथ कार्यक्रम	१५७२–७३
१५७१	पटोल बुनना ...	१५७३
१५७२	नेपाल को सहायता	१५७३–७४
१५७३	कपड़ा उद्योग	१५७४–७५
१५७४	पूर्वी पाकिस्तान से मुसलमानों का प्रव्रजन	१५७५
१५७७	पाकिस्तानियों द्वारा नहरें खोदना	१५७५–७६
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१५७६–१६०५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५४७	नदी घाटी परियोजनाओं में मिट्टी का जमा हो जाना ...	१५७६
१५५२	विस्थापित व्यक्तियों को अकर्म वेतन	१५७६
१५५४	शिक्षाप्रद फिल्में...	१५७७
१५५५	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की समस्यायें	१५७७
१५५८	जिला रायबरेली में बिजली लगाना	१५७७
१५६४	कोयला क्षेत्र का उपयोग	१५७८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५६७	ट्रैक्टरों का आयात	१५७८
१५६८	सीमा दुर्घटना	१५७८
१५७०	उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी घटना	१५७८—७९
१५७५	निराश्रित विस्थापित स्त्रियां...	१५७९
१५७६	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ...	१५७९
१५७८	नागा विद्रोहियों से छीने गये शस्त्रास्त्र	१५७९
१५७९	जम्मू और काश्मीर राज्य में विस्थापित व्यक्ति ...	१५७९—८०
१५८०	पाकिस्तानी विमानों द्वारा सीमा-उल्लंघन ...	१५८०
१५८१	जूनागढ़ को पाकिस्तान का भाग दिखाने वाला नक्शा ...	१५८०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११२७	बाढ़ नियंत्रण योजनायें	१५८०
११२८	दियासलाई के कारखाने	१५८०—८१
११२९	प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही	१५८०—८१
११३०	स्पिलट और वेनियर कारखाना	१५८१
११३१	सामुदायिक परियोजना प्रशासन	१५८१—८२
११३२	भारत की उत्तरी सीमा	१५८२
११३३	विदेशी चलचित्र	१५८२
११३४	भाखड़ा बांध और नंगल पावरहाउस	१५८२
११३५	पैट्रोल ...	१५८२
११३६	उल्हासनगर उपनगर	१५८३
११३७	भारत-पाकिस्तान करार	१५८३
११३८	उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ...	१५८३
११३९	गोदावरी घाटी परियोजना...	१५८३
११४०	विस्थापित-व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ऋण	१५८४
११४१	भाखड़ा परियोजना	१५८४—८५
११४२	मध्य भारत में विस्थापित व्यक्ति ...	१५८५
११४३	प्रसारण-केन्द्र ...	१५८५
११४४	सुन्दरवन का विकास	१५८५—८६
११४५	कोयले की राज्य-आयत्त खानें ...	१५८६
११४६	आयात और निर्यात अनुज्ञप्तियां ...	१५८६
११४७	आकाशवाणी में नाटक प्रस्तुत करने वाले	१५८६—८७
११४८	त्रिपुरा में मध्यम पैमाने का उद्योग	१५८७
११४९	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	१५८७
११५०	विस्थापित व्यक्तियों के लिये खेतिहर व्यक्तियों का आवंटन	१५८७
११५१	सिम्प्लेक्स इंजन	१५८८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
११५२ विस्थापित व्यक्ति	१५८८
११५३ कुटीर उद्योग	१५८८–८९
११५४ स्थानीय विकास कार्य	१५८९
११५५ हैदराबाद राज्य में विस्थापित कृषक ...	१५८९–९०
११५६ छोटे पैमाने के उद्योग	१५९०
११५७ कोसी परियोजना	१५९०
११५८ दामोदर घाटी निगम	१५९०–९१
११५९ कोसी परियोजना के लिये नमूना परीक्षण ...	१५९१
११६० आन्ध्र राज्य की प्रारुप द्वितीय योजना ...	१५९१
११६१ अज़रबाइज़ान में भारतीय मंदिर	१५९१
११६२ गंगानगर जिले में मुसलमान ...	१५९२
११६३ गंगानगर जिले में विस्थापित व्यक्ति	१५९२–९३
११६४ उत्तर प्रदेश में सामुदायिक परियोजनायें ...	१५९३
११६५ नदियों का आपस में मिलाया जाना	१५९३
११६६ सामुदायिक परियोजना प्रशासन	१५९३–९४
११६७ रूई और पटसन ...	१५९४
११६८ गंगानगर जिले में विस्थापित व्यक्ति	१५९४
११७० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	१५९४–९५
११७१ सहकारी समितियाँ	१५९५
११७२ सिंचाई प्रयोजनों के लिये पेप्सू को अनुदान	१५९५
११७३ छोटे पैमाने के उद्योग	१५९५–९६
११७४ उद्योगों का विकास	१५९६
११७५ दामोदर घाटी निगम ...	१५९६–९७
११७६ भारतीय नदियों का वार्षिक जलप्रवाह	१५९७
११७७ सर्पगन्धा	१५९७–९८
११७८ नाहन फाउण्ड्री लिमटेड	१५९८
११७९ निर्माण कामगर ...	१५९८
११८० खादी आदि का क्रय ...	१५९८
११८१ आसाम प्रतिकर भत्ता ...	१५९९
११८२ विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्तियां	१५९९
११८३ विस्थापित विधवायें तथा दुर्बल व्यक्ति ...	१५९९–१६००
११८४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नौकरियां ...	१६००
११८५ सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्ययन के लिये दौरा	१६००–०१
११८६ भाखड़ा नंगल कंट्रोल बोर्ड ...	१६०१
११८७ घानी	१६०१
११८८ सहकारी आवास संस्थाएं ...	१६०१

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११८८	घानी का तेल	१६०२
११९०	नमक निधि — —	१६०२
११९१	आर्थिक सर्वेक्षण	१६०२–०३
११९२	शीतोष्ण नियंत्रित एकक	१६०३
११९३	औद्योगिक भू-सम्पति	१६०४
११९४	स्थानीय विकास निर्माण-कार्य	१६०४
११९५	जिला योजना निकाय	१६०४
११९६	काम पर स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी	१६०४–०५
११९७	वायरमैन	१६०५
११९८	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों का प्रव्रजन ...	१६०५

M42LSD—20-6-57—190—GIPF.—5

बुधवार
18 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २——प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ४, १९५६

(१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६)

1st Lok Sabha
(XII Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library
24.11.83

बारहवां सत्र, १९५६

(खंड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षेपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक	२४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक ... २५३३–२६०२

विचार करने का प्रस्ताव २५३३

खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००

कार्य मंत्रणा समिति—

तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२

विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५

विचार करने का प्रस्ताव २६०२

खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५

दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—

तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८

नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७

राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७

दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६

दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००

सभा का कार्य २७००–०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१

नियम समिति—

तीसरा प्रतिवेदन २७०८

राज्य-पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७

दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—

पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

पृष्ठ

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३० म०पू०

स्थगन प्रस्ताव

बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री कामत से बम्बई में नौसेना के डाकयार्ड और डिपो में असैनिक कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। हड़ताल कब शुरू हुई थी ?

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) कल।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : अभी तक मुझे कोई शासकीय जानकारी नहीं मिली है। मेरा सुझाव है कि श्री कामत एक अल्प सूचना प्रश्न पूछें। तब मैं सारी विस्तृत बातें सभा के सामने रखूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह क्यों हुई थी ?

†**श्री कामत** : बम्बई में नौसेना के डाकयार्ड और डिपो महत्वपूर्ण संस्थान हैं। उनमें हड़ताल होने से बम्बई का सामान्य जीवन अव्यवस्थित हो जायेगा। क्या बात है कि समाचार पत्रों ने तो इसका उल्लेख किया परन्तु मंत्रालय को प्रतिवेदन नहीं मिला।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रस्ताव स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार पर आधारित है। क्योंकि विवाद तय करने के लिये कोई तन्त्र स्थापित नहीं किया गया इसलिये उन पदाधिकारियों ने हड़ताल कर दी। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश पर बिना यह जाने कि आदेश ठीक था या ग़लत सरकार की निन्दा कैसे की जा सकती है ?

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

विवाद तय करने के लिए तन्त्र धीरे-धीरे ही स्थापित किया जा सकेगा। एक दम स्थापित करने के लिए कहना अनुचित होगा। इस स्थगन-प्रस्ताव का कुछ प्रयोजन होना चाहिए। वह प्रयोजन क्या है ?

†**श्री के० के० बसु** (डायमंड हार्बर) : सरकार हड़ताल रोकने में असफल रही है। सरकार को सारी बातें सभा को बतानी चाहिये। एक-दो दिन में प्रतिरक्षा मंत्री यह जानकारी प्रस्तुत करें ताकि सभा निश्चित कर सके कि दोषी कौन है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम भी चाहते हैं कि सब तथ्य सभा के सामने रखे जायें और मेरे सहयोगी ने कहा है कि वे उन्हें सभा के समक्ष रखेंगे। सब से अच्छी बात तो यह होगी कि अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाये। एक-दो दिन में जैसे ही हमें पूर्ण तथ्य प्राप्त हो जायेंगे हम सभा के सामने रख देंगे।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : यह पर्याप्त गम्भीर स्थिति है और इसका प्रभाव भारत की प्रतिरक्षा पर पड़ेगा। यदि यह विषय अविलम्बनीय महत्व का है तो हमें चर्चा करने का अधिकार है।

†**श्री कामत** : प्रस्ताव गृहीत कर लिया जाये और इस पर चर्चा होने दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत का प्रस्ताव केवल समाचार पत्र में दी गई इस जानकारी पर आधारित है कि विवाद तय करने के लिये सरकार द्वारा कोई तन्त्र स्थापित नहीं किया गया। इसी आधार पर मुझे अनुमति देनी है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि जब उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाये वे इस पर एक स्वतन्त्र वक्तव्य दें।

†**डा० काटजू** : इसकी तिथि २१ कर दीजिये ताकि सुसंगत जानकारी इकट्ठी करने के लिये पर्याप्त समय रहे।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : जब सरकार की निन्दा की जाये तब सभा को उसके बारे में निर्णय देना चाहिए अथवा अध्यक्ष को विनिर्णय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रक्रम पर तो मुझे अनुमति देनी है कि इसे ग्राह्य किया जाये अथवा नहीं। मेरी अनुमति के पश्चात् सभा का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। मैं विषय को परसों तक के लिये स्थगित करता हूं।

†**श्री कामत** : क्या आपका विनिर्णय यह है कि स्थगन-प्रस्ताव सदैव निन्दा प्रस्ताव होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय को अभी तय करना अनावश्यक है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चाय नियमों के संशोधन

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९, उपधारा (३) के अधीन चाय नियमों, १९५४ में कुछ अग्रेतर संशोधन करने की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ७४६, दिनांक २१ मार्च, १९५५ की एक प्रति पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस०-१३३/५६]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

नारियल जटा बोर्ड की कार्यवाहियों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम के कार्यकरण पर अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ उपधारा (१) के अधीन ३० सितम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाली कालावधि के लिये नारियल जटा बोर्ड की कार्यवाहियां और नारियल जटा उद्योग अधिनियम के कार्यकरण के अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस०–१३४/५६]**

भारत और इंग्लैंड के बीच दोहरे द्विकराधान रोकने के लिये करार

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : १५ मार्च, १९५६ को तारांकित प्रश्न संख्या ७११ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में मृत व्यक्तियों की भू-सम्पत्तियों पर लगाये गये शुल्क के बारे में दोहरा करारोपण रोकने तथा वित्तीय अपवंचन का निवारण करने के लिये भारत सरकार तथा इंग्लैंड की सरकार के बीच हुए करार की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस०–१३५/५६]**

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

पचासवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के वियधेकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का पचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के ३२वें प्रतिवेदन से जो सभा में १७ अप्रैल, १९५६ को उपस्थापित किया गया था सहमत है ।"

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इसकी कुछ प्रस्थापनाओं से हम सहमत नहीं हैं। और मुझे कुछ संशोधनों की सूचना देनी है । अतएव यह विषय कल तक के लिये स्थगित किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कल उपस्थित किया गया था। उस समय संशोधन की सूचना दी जा सकती थी । आपका संशोधन क्या है ?

†**श्री कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

> "इस रूप भेद के साथ कि राज्य पुनर्गठन विधेयक के लिये सिफारिश किये गये, 'Three days' [तीन दिन] के स्थान पर 'Four days' [चार दिन] रख दिया जाये ।"

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : पांच दिन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : पांच दिन और अच्छे होंगे। सत्र के अन्त में कार्य निबटाने में जल्दबाजी की जाती है। यह विधेयक बहुत बड़ा तथा महत्वपूर्ण है और इसका संविधान पर प्रभाव पड़ता है। अतएव इस के लिये ५ दिन नियत किये जाने चाहियें। अन्यथा हम अच्छी तरह वाद-विवाद नहीं कर सकेंगे। हमें आज सुबह ही बहुत प्रतिवेदन मिले हैं। उन्हें पढ़ने के लिये समय चाहिये। संयुक्त समिति को सौंपने से पहले इस पर चर्चा के लिये एक सप्ताह नियत किया जाना चाहिये। कम से कम चार दिन तो अवश्य नियत किये जाने चाहियें।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : हमें बहुत से वाद-विवादों की प्रतियां आज ही सुबह मिली हैं और मैं उन्हें पढ़ नहीं पाया हूं। यह विधेयक महत्वपूर्ण है, अतएव सब पत्रों का पढ़ना आवश्यक है। अतः कम से कम इस प्रयोजन के लिये ५ दिन अवश्य नियत किये जाने चाहियें।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये अठारह घंटे नियत किये गये थे, यहां केवल आठ घंटे दिये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**। यह अठारह घंटे हैं आठ नहीं।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : विधेयक महत्वपूर्ण है। इस लिये इस को एक सप्ताह दिया जाना चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत)**: इस विषय पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी। जिसमें सब वर्गों और दलों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने यह समय सर्व सम्मति से निश्चित किया था। अब यह तय करना सभा का काम है कि वह अपने प्रतिनिधियों के निर्णयों को माने अथवा उसमें परिवर्तन कर सभा के काम में अव्यवस्था पैदा कर दे। सभा का निर्णय मुझे मान्य होगा। यह विधेयक, जहां तक इसके उपबन्धों का सम्बन्ध है, पहली बार नहीं आ रहा है। श्री कामत ने कहा कि विधेयक बड़ा है। विधेयक बड़ा नहीं है परन्तु कुछ सप्ताह पहले इसके उपबन्धों पर बहुत बड़ी चर्चा हो चुकी है। इतनी चर्चा सभा में किसी अन्य प्रश्न या प्रतिवेदन पर नहीं हुई, और प्रत्येक माननीय सदस्य को विधेयक पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिल गया था।

†**श्री कामत** : नहीं।

†**पंडित जी० बी० पंत** : यदि कुछ लोग अनुपस्थित थे तो वे शायद चाहेंगे कि दूसरों को ढ़ील दे दी जाय। वर्तमान प्रस्ताव तो विधेयक को केवल संयुक्त समिति को सौंपने के सम्बन्ध में है। संयुक्त समिति में इसके प्रत्येक अनुच्छेद और खण्ड की जांच करने का अवसर मिलेगा। अतः मैं समझता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृत प्रस्ताव को मानने में कोई हानि नहीं होगी। परन्तु सभा जो कुछ तय करेगी वह मैं मानूंगा। अन्य सदस्यों की तरह मैं भी सभा के समय को मूल्यवान समझता हूँ। यदि सभा कार्य मंत्रणा समिति के सर्व सम्मत निर्णयों को बदलना चाहे तो बदल सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को वक्तव्य देने का मैंने अवसर दिया और मैंने मंत्री का कथन भी सुना। अब मैं प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा। मैं अब अन्य किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

जब समिति का प्रतिवेदन स्वीकार करने के बारे में प्रस्तावक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तब समिति के अन्य माननीय सदस्य उसका समर्थन नहीं करते और केवल प्रस्तावक को ही उसका समर्थन करना पड़ता है। यदि ऐसी बात होती रही तो मैं कार्य मंत्रणा समिति समाप्त कर दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी इस विधेयक को इस के विचार प्रक्रम पर समाप्त किये जाने की सम्भावना नहीं है क्योंकि समस्त विधेयक के विरुद्ध कोई भी नहीं है। संयुक्त समिति में इस पर पूर्ण विचार किया जायेगा और तत्पश्चात इस सभा को इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

अब माननीय सदस्य यह तय करें कि क्या इस समय इस प्रक्रम पर समय ३ घंटे से बढ़ा कर पांच घंटे कर दिया जाये।

[**अध्यक्ष महोदय** ने संशोधन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा और वह अस्वीकृत हुआ।]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के ३२वें प्रतिवेदन से जो सभा में १७ अप्रैल, १९५६ को उपस्थित किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कुछ विधियों का विस्तार करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपर्युक्त प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और **स्वीकृत हुआ।**

†**पंडित जी० बी० पंत** : मैं विधेयक* को पुरःस्थापित करता हूँ।

राज्य पुनर्गठन विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयकों को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री के० के० बसु** (डायमंड हार्बर) : संसद् कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से मुझे मालूम हुआ है कि विधेयक एक मास पहले सभा पटल पर रखे गये विधेयक के समान ही है। विधेयक सभा के समक्ष लाने से पूर्व हमें बताया गया था कि १६ जनवरी को सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल की सीमा के समायोजन के बारे में सरकार ने जो घोषणा की थी उसे प्रभावी बनाया जायेगा। मैं आश्वासन चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल और बिहार की सीमा के समायोजन के बारे में इस विधेयक में उपबन्ध कर लिया गया है अथवा इस सत्र में सभा के समक्ष लाये जाने वाली अन्य किसी विधेयक में उपबन्ध किया जायेगा। इस प्रश्न के उत्तर पर ही हम अपना रुख निश्चित करेंगे।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : जो विधेयक मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह बिल्कुल उसी प्रकार का है जो पिछले महीने १६ ता० को सभा पटल पर रखा गया था। पश्चिमी बंगाल और बिहार की सीमाओं के समायोजन के बारे में बातचीत चल रही है और इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

*राष्ट्रपति की सिफारश से पुरःस्थापित।

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]
पश्चिमी बंगाल और बिहार सम्बन्धी विधेयक यथा समय पुरःस्थापित किया जायेगा। यह मैं अभी नहीं कह सकता कि कब किया जायेगा। मैं चाहता हूँ कि वह इस सत्र में पुरःस्थापित किया जाये परन्तु मैं आश्वासन नहीं दे सकता।

†**श्री केलप्पन** (पोन्नानी) : संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उन राज्यों के विधान मंडलों का परामर्श लेने के लिये बाध्य है जिन पर परिवर्तनों का प्रभाव होता है। त्रावणकोर-कोचीन का परामर्श नहीं लिया गया। यद्यपि वह विघटित हो गया है फिर भी उसकी ओर से संसद् परामर्श नहीं दे सकता। ऐसे उपबन्ध आस्ट्रेलिया और अमरिका के संविधानों में भी हैं।

माना कि हमारे राष्ट्रपति को अधिक शक्ति प्राप्त है और वे उनके सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं फिर भी वे परामर्श लेने के लिये बाध्य हैं। मेरा सुझाव है कि या तो संविधान में परिवर्तन करना चाहिये अथवा परिवर्तनों को तब तक के लिये स्थगित कर देना चाहिये जब तक वहां चुनाव न हो जायें और विधान मंडल स्थापित न हो जाये।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : माननीय सदस्य यह आपत्ति नहीं उठा सकते क्योंकि २९ मार्च को स्वीकृत उद्घोषणा में हमने त्रावणकोर-कोचीन के सम्बन्ध में इस अनुच्छेद को निलम्बित कर दिया है।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : श्री केलप्पन द्वारा उठाई गई आपत्ति विधि के अनुसार मान्य नहीं है। जब उद्घोषणा की गई थी तब अनुच्छेद ३ के परन्तुक का निलम्बन कर दिया गया था। इसमें सम्बन्धित राज्य का उल्लेख था। अतः वह लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त विधान मंडल की शक्तियां संसद् को मिल गई हैं और राज्य विधान मंडल के अधिकार में जितने विषय थे उसका निबटारा संसद् कर सकती है। राज्यों के पुनर्गठन का मामला अपवाद नहीं हो सकता। मान लीजिये कि कोई राज्य किसी विशेष परिस्थितियों में प्रशासन करने में असमर्थ हो और उसका उपचार उसकी सीमाओं के समायोजन में हो तो संसद् प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है क्योंकि इस मामले में राज्य विधान मंडल की शक्तियां संसद् को मिल जायेंगी।

यह विधेयक त्रावनकोर-कोचीन विधान-मंडल की पिछले महीने की १६ ता: को सौंपा गया था। उस समय वह कार्य कर रहा था। तब से ३० दिन बीत चुके हैं। किसी कठिनाई से वह अपना मत हमें न दे सका परन्तु इस से वैधिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। अनुच्छद ३ के उपबन्ध यदि प्रभावी होते तो भी उनका पालन किया गया है। कोई भी इस आधार पर आपत्ति नहीं उठा सकता कि अनुच्छेद के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व भावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं गृह-कार्य मंत्री की बातों को मानता हूँ। उस राज्य के विधान मंडल के विघटन के बाद उसकी शक्तियां इस संसद् को मिलती हैं। समाचार पत्रों में दिया गया है कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य की सीमाओं के बारे में वहां के मंत्राणाकार ने कुछ निर्णय भेजे हैं। संसद् में उनकी चर्चा की जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस पर विधेयक के समय चर्चा की जायेगी। प्रश्न यह है :

"कि भारत के राज्यों के पुर्नगठन और तत्संबन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (छठा संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

यह विधेयक पिछले सत्र में पुरःस्थापित किया गया था। इसके द्वारा उच्चन्यायालयों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संघ और राज्यों की कार्यपालिका की शक्तियों सम्बन्धी उपबन्धों का संशोधन किया जाना था। हम उसके उपबन्धों पर चर्चा नहीं कर सके। अब राज्य पुनर्गठन विधेयक के कुछ उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये संविधान में कुछ संशोधन किये गये हैं। कुछ संशोधन उन्हीं विषयों के हैं जिनका उल्लेख उस विधेयक में है जिसे मैं वापस ले रहा हूं। अन्य वैसे ही विषयों का भी इसमें उपबन्ध है। यदि इन उपबंधों को सभा के समक्ष समेकित विधेयक में रखा जाये तो संसद् के लिये सुविधाजनक होगा तथा उससे समय की बचत भी होगी। इससे सब सदस्यों को सुविधा रहेगी और समय की बचत होगी। अतएव मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को वापस लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : प्रक्रिया नियमों के नियम १४७ के अनुसार विधेयक तब वापस लिया जा सकता है जब विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्तावना समाप्त की जानी हो। विधेयक के उपबन्धों को तब समाप्त किया जा सकता है जब बाद में उस विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना हो जिससे उस में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में सारवान रूप से फेर बदल हो जाये।

षष्ठ संशोधन विधेयक की १० धारायें ज्यों की त्यों नवें संशोधन विधेयक में रख दी गई हैं। अतएव उपबन्धों में सारवान रूप में फेर बदल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो चर्चा के दौरान में उस विधेयक के उपबन्धों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसे सोच कर सरकार ने विधेयक को वापस लेने के तीन कारण दिये हैं जिनका नियम १४७ में कोई उल्लेख नहीं है। मेरा निवेदन है कि प्रस्ताव नियम-बाध्य है और विधेयक वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : मैं जो कुछ कहना चाहता था उसमें से बहुत कुछ मेरे मित्र ने कह दिया है और अब मैं केवल यही कहूँगा कि जब सरकार ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव करती है तो हम उससे यह आशा रखते हैं कि वह नियमों का पालन करे। जो व्याख्यात्मक ज्ञापन हमें दिया गया है, उसमें बताए गए कारणों पर नियम १४७ लागू नहीं होता।

इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल यह कहा जा सकता है कि यह सभा का समय बचाने के लिये रखा गया है। परन्तु इस से अच्छा तो यह होता कि नया विधेयक रखा जाता जिसमें केवल वे खण्ड होते जो पहले विधेयक में नहीं हैं और दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार किया जाता। इसलिये सभा के समय की बचत करने के बहाने नियमों का उल्लंघन करके विधेयक को वापिस लेने की अनुमति नहीं दे सकते। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा इस सम्बन्ध में यह प्रश्न भी उठेगा कि नये विधेयक में वैसे ही खण्ड न हों जैसे कि पुराने विधेयक में थे। आपको याद होगा कि पहले आपने एक बार यह आदेश दिया था कि जब कोई विधेयक वापिस लेने के बाद उसके स्थान में नया विधेयक रखा जाय तो उस की प्रतियां भी सदस्यों को दी जायें जिससे कि वे यह देख सकें कि नये विधेयक के उपबन्ध पहले उपबन्धों से भिन्न हैं या नहीं। इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकार ने इस आदेश का पालन भी नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राघवाचारी]

इसलिये मेरा कहना है कि यह जो कुछ किया जा रहा है नियमों के अनुकूल नहीं है; अतः इस विधेयक को वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : हमें जो व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, वह नियम १४७ के अनुकूल नहीं है। हमारे सामने वह संशोधन नहीं है जो कि रखा जाना है। हम यह नहीं जानते कि उससे इस विधेयक के उपबन्ध बदल जायेंगे या नहीं। अन्यथा हम यह आपत्ति कर सकते थे कि यह पुराने विधेयक जैसा ही है।

परन्तु आज माननीय मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नये विधेयक में वही उपबन्ध हैं जोकि उसमें हैं जो वापिस लिया जा रहा है। यदि उन्होंने "वही उपबन्ध" शब्दों का प्रयोग किया है तो यह विधेयक इस सभा में इस सत्र में नहीं रखा जा सकता। इसीलिये मैं कहता हूं कि इस विधेयक को वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : नये विधेयक में कुछ उपबन्ध अवश्य हैं जो पुराने विधेयक में थे, परन्तु इस विधेयक का ढांचा दूसरा ही है। यह उन नये राज्यों के सम्बन्ध में है जो बनाये जाने हैं। उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के होंगे। राज्यों के विधान मण्डल भिन्न आधार पर बनाये जायेंगे। सारी स्थिति बदल गई है, यद्यपि कुछ पुराने उपबन्ध शायद वैसे ही रख लिये जायें। यह इसलिये कि उच्च न्यायालय तो रहेंगे ही परन्तु वे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय होंगे। राज्य पुनर्गठन विधेयक के उपबन्धों के परिणाम स्वरूप जो योजना आवश्यक हो गई है, इस विधेयक को उसके अनुकूल बनाने के लिये पुराने विधेयक की सारी रूपरेखा बदलना तो वैसे भी ज़रूरी हो जायगा। यह विधेयक उससे भिन्न है। इसमें कई उपबन्ध हैं और इन विधेयकों का आधार भी भिन्न है और इसलिये उन का स्वरूप सारतः भिन्न है। इसके अतिरिक्त कोई किसी विधेयक को वापिस लेना चाहे तो ऐसी कोई बात नहीं कि वह वापिस न ले सके। कुछ परिस्थितियों में विधेयक वापिस लेना ठीक हो सकता है, कुछ में नहीं। मैंने जो कारण बताए हैं उन पर किसी ने आपत्ति नहीं की अर्थात् यह कि ऐसा करने से सभा को सुविधा होगी और उसका समय बचेगा, इसलिये, स्वयं सभा का हित इस बात में है कि यह विधेयक वापिस ले लिया जाय और उसके स्थान में एक नया विधेयक रखा जाय। कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिससे सभा की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगता हो और सभा किसी विषय पर विचारपूर्ण दृष्टिकोण अपना कर उसे ऐसे ढंग से निबटा सकती है कि उससे अन्त में सभा को ही लाभ पहुंचे। सच तो यह है कि कोई भी निर्णय करने में सभा को यह कसौटी अपने सामने रखनी चाहिये।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है वह उस ज्ञापन में कही गई बातों से भिन्न है जो हमें दिया गया है। वे कह रहे हैं कि विचारपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिये इत्यादि।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : यह बात आपको अवश्य तर्क-रहित लगी होगी।

†**श्री कामत** : आपको विरोधी दल से भी समझदारी का पाठ पढ़ना चाहिये।

मेरा निवेदन यह है कि हमें उस विधेयक की प्रतियां नहीं मिलीं जिसके बारे में माननीय मंत्री कह रहे हैं कि वह पहले विधेयक से भिन्न है। मैं समझता हूँ कि उस विधेयक की प्रतियां मिलने तक इस मामले को उठा रखा जाय जिससे हम यह जान सकें कि वह इस पुराने विधेयक से भिन्न है अथवा नहीं। ज्ञापन में कहा गया है कि यह वैसा ही है माननीय मंत्री कह रहे हैं कि यह भिन्न होगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि अभी इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक को वापिस लेने की अनुमति का विरोध नियम १४७ के आधार पर किया जा रहा है। उसमें कहा गया है कि विधेयक के भार-साधक सदस्य इस आधार पर विधेयक को

†मूल अंग्रेजी में

वापिस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकते हैं कि उसमें अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है । इस नियम के दूसरे भाग में कहा गया है :

"(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में सारवान रूप से फेर बदल हो जायगी ।"

क्या माननीय मंत्री यह कहते हैं कि नये विधेयक से सारवान रूप से फेर बदल हो जायगी ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं यह कहता हूँ कि विधेयक के सारे ढांचे में फेर बदल हो गई है । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य धैर्य रखें और बाधाएं न डालें ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : सारे प्रश्न को इस नये ढांचे की पृष्ठ भूमि में देखना चाहिये । उच्च न्यायालय उन राज्यों के लिये बनेंगे जो पुराने राज्यों से भिन्न होंगे । इसी प्रकार, विधान मण्डल भी भिन्न प्रकार के होंगे । तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो असाधारण सी है । इस परिस्थिति में, सभा का समय बचाने के लिये और उसका काम सुविधापूर्वक करने के लिये यही ठीक है कि यह विधेयक वापिस ले लिया जाय और उसके स्थान में एक नया विधेयक रखा जाय जिसमें वैसे ही उपबन्ध हों परन्तु जो सभी बातों पर लागू होने वाले हो ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इस सम्बन्ध में सभा की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगता हो । मैं समझता हूँ कि किसी विधेयक का वापिस लिया जाना सभा के हित में हो और उसके लिये सुविधाजनक हो, तो प्रत्येक परिस्थिति में ऐसा हो जाना चाहिये ।

†**श्री राघवाचारी** : हमें जो ज्ञापन दिया गया है वह भिन्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कितनी बार माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति देनी होगी । विधेयक के प्रभारी सदस्य विधेयक सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देते हुए बाद में भी बोल सकते हैं । परन्तु इस प्रकार माननीय सदस्यों का बोलना ठीक नहीं हैं ।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, जब तक इस विधेयक में पुराने विधेयक के उपबन्धों की ओर निर्देश है, नियम १४७ के अन्तर्गत पुराने विधेयक को वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

मैंने पहले भी कहा है कि जब कोई विधेयक रखा जाना हो तो उसकी प्रतियां उपलब्ध की जाती हैं । माननीय सदस्य संसदीय सूचना कार्यालय स प्रतियां ले सकते हैं और पुराने विधेयक से इसकी तुलना कर सकते हैं ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सेलम) : यदि विधेयक की प्रतियां उसके पुरःस्थापित होने से पहले परिचालित हो जायें तो यह विशेषाधिकार भंग होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा नहीं होगा ।

यहां माननीय मंत्री ने विधेयक रखने की सूचना दी है और वे उसे वापिस लेना चाहते हैं । यदि सभा उसके वापिस लिये जाने की अनुमति नहीं देती, तो क्या होगा ? और कोई सदस्य तो इस के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर नहीं सकता । इसलिये जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, नियम १४७ से सभा के कार्य की व्याप्ति में बाधा पड़ती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

इसलिये मैं नियम ४०१ के अन्तर्गत अध्यक्ष को दिये गये अधिकार का प्रयोग करूँगा। उस में कहा गया है :

"४०१. ऐसे सब विषय जिन का इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से सम्बन्धित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायगे जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश दे।"

यह जो विशेष स्थिति उत्पन्न हुई है, उस को ध्यान में रखते हुए, मैं यह निदेश देता हूँ कि नियम १४७ के कारण यहां इस प्रस्ताव के रखने में बाधा नहीं पड़ेगी। अब मैं इसे सभा के सामने रखता हूँ।

†**श्री कामत** : कृपया इस नियम को फिर से पढ़िये। इस में कहा गया है "ऐसे सब विषय जिन का विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो।" इस सम्बन्ध में विशिष्ट उपबन्ध है। तो फिर आप अपने इस अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : अच्छा तो यह होता कि सरकार इस नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव करती।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थिति ऐसी है कि विस्तृत उपबन्ध आवश्यक हैं। पुराने विधेयक के उपबन्ध पर्याप्त नहीं थे, इसलिये उस में अन्य उपबन्ध रखना भी ज़रूरी है। दो विधेयकों पर विचार करने में सभा का समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।"

जो इसके पक्ष में हैं वे "हां" कहें और जो विरुद्ध हैं वे "नहीं" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि "हां" वालों की संख्या अधिक है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : "नहीं" वाले अधिक हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर मत विभाजन की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री के० के० बसु** : हम चाहते हैं कि इस प्रश्न पर मत विभाजन हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह किसी सिद्धान्त का विषय नहीं है, नहीं तो मैं इस पर मत विभाजन होने देता। यह बड़ी मामूली सी बात है। हाँ, यदि प्रस्ताव के विरोधी माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन के नाम रिकार्ड में आ जायें तो वे कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जायें।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : सिद्धान्त का विषय तो यह है कि ऐसे प्रश्न पर, जिसके सम्बन्ध में विशिष्ट उपबन्ध है, आप ने अवशिष्ट उपबन्ध को लागू किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो माननीय सदस्य अपने स्थानों में खड़े हो जायें।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : हम चाहते हैं कि मत विभाजन हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मत विभाजन की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री कामत** : तब हमारे सामने इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि हम विरोधी स्वरूप उठकर चले जायें। हम तभी बैठेंगे जब इस प्रश्न पर मत विभाजन होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : श्रीमान्, आप का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है । पहले आपने नियम १४७ का हवाला दिया और फिर अवशिष्ट शक्तियों वाले नियम का हवाला दे कर पहले नियम को छोड़ दिया । आप इस प्रस्ताव पर मत विभाजन की अनुमति दे सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चलिये, आगे चलें । जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरुद्ध हैं, वे अपने स्थानों में खड़े हो जायें ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं । हम खड़े नहीं होंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो मुझे यह घोषणा करनी पड़ेगी कि अनुमति दी जाती है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(इस पर श्री कामत सभा से उठ कर चले गये)

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पंडित जी० बी० पन्त : मैं विधेयक* को पुरःस्थापित करता हूँ ।

विनियोग (संख्या २) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष, १९५६-५७ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हूआ

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं विधेयक* को पुरःस्थापित करता हूँ ।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : मेरा अनुरोध है कि विनियोग विधेयक पर चर्चा के लिये कुछ समय नियत किया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ ।

---

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुरःस्थापित

†मूल अंग्रेजी में

वित्त विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री सी० डी० देशमुख द्वारा १७ अप्रैल, १९५६ को पुरःस्थापित इस प्रस्ताव पर और आगे चर्चा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : कल मैं देश की वित्तीय निधि पर संसद् के नियंत्रण के महत्व की चर्चा कर रहा था। आज के पत्र में श्री सी० डी० देशमुख का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने परियोजनाओं की पूरी-पूरी जांच पड़ताल के लिये मंत्रियों और योजना आयोग के उप-सभापति की एक समिति बनाने के सम्बन्ध में अपनी प्रस्थापना की चर्चा की है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह समिति संसदीय समिति नहीं होगी। हमने तो इस बात की चर्चा की थी कि राज्यों को जो वित्त दिया जाय उस पर संसद् का नियंत्रण हो।

पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कम्पनियां बन रही हैं। नये इस्पात कारखानों पर ही ६ अरब रुपये खर्च हो जायगा। हाल ही में एक संशोधन द्वारा लोक-लेखा समिति इन कम्पनियों की जांच कर सकेगी। परन्तु समिति के पास समय न होने के कारण ये कम्पनियां बिल्कुल स्वच्छंद हो गई हैं और उन पर संसद् का नियंत्रण नहीं रहा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन कम्पनियों के काम की जांच करने के लिये एक समिति बनाई जाये।

दूसरी बात यह है कि सरकार कई कम्पनियों, मुख्यतया विदेशी कम्पनियों को बड़ी-बड़ी धन राशियों के ठेके दे रही है। ये कम्पनियां इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी आदि देशों की हैं। यह देखा गया है कि इन के साथ करार करने में बड़ी-बड़ी ग़लतियां की जाती हैं जिन के फलस्वरूप करोड़ों रुपये की हानि होती है। इनकी ओर संसद् का ध्यान तभी दिलाया जाता है जब हानि हो चुकती है। इसमें सन्देह नहीं कि इन संविदाओं और करारों को सभा पटल पर रखा जाता है परन्तु संविदा करने वाले तो अधिकारी हैं जिन्हें व्यापार का ज्ञान या अनुभव नहीं होता। प्रश्न यह है कि इन संविदाओं और करारों के निष्पादन से पहले उनकी जांच करने के लिये एक संसदीय समिति क्यों न हो। मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि इस प्रकार के परामर्श ऐसे उचित ठेकों के तैयार करने में जो देश को हानिकर न हों, बहुत हद तक सहायक सिद्ध होंगे। मेरा सुझाव है कि इन पर उचित संसदीय नियंत्रण बनाये रखने के लिये लोक-लेखा समिति, और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर इस सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष विचार किया जाये। सरकार द्वारा नियंत्रित समवायों के कार्यों की जांच करने के लिये, संसद् की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। सरकार द्वारा किये गए ठेकों की जांच के लिये भी एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये और अनुपूरक व्यय की प्रस्थापनाओं की जांच करने के लिये भी एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में हमको दी गई विदेशी सहायता के लिये भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमें जिन निकायों ने अंशदान दिया वह हैं भारत-अमरीका कार्यक्रम और आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन; ग़ैर-सरकारी संगठनों में फोर्ड फ़ॉन्डेशन ने सबसे अधिक अंशदान दिया है। नारवे आदि अन्य देशों ने भी अंशदान दिया है।

हमने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में अनेक अभ्यावेदन देखे हैं। यह बात बड़े ही नाजुक प्रश्नों से सम्बन्धित है, इसलिये स्पष्ट शब्दों में मैं यह तो कहना नहीं चाहता हूं विदेशी सहायता स्वीकार की जाय अथवा नहीं। मैं अन्तर्राष्ट्रीय नीति संबंधी इन मामलों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता

†मूल अंग्रेजी में

हूं, परन्तु मैं केवल यही कहूंगा कि विदेशों में, विशेष रूप से सरदार जे० जे० सिंह के समान अमरीका में निवास करने वाले भारतीयों ने और राजाजी के समान हमारे वयोवृद्ध राजनीतिज्ञों ने समाचार-पत्रों में जो विचार प्रगट किये हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिये और सरकार को इस मामले में किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचना चाहिये ।

विधेयक के ब्यौरे के सम्बन्ध में मैं आयकर विभाग के प्रशासन के विषय में अवश्य ही कुछ बातें कहना चाहता हूँ । आयकर विभाग निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है और इस विभाग के कर्मचारियों को सम्पदा शुल्क विभाग आदि में भी नियुक्त किया जा रहा है । इसलिये भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और मैं इन्हीं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ । आयकर पदाधिकारी ही आयकर विभाग के प्रशासन की रीढ़ हैं । इन व्यक्तियों को मानवीय सम्बन्धों, कानूनों और नियमों का ज्ञान होना चाहिये । परन्तु, दुर्भाग्यवश, मेरा अपना अनुभव यह रहा है कि इन आयकर पदाधिकारियों को वित्त अधिनियम में किये गये नवीनतम संशोधनों तक का पता नहीं रहता है । यदि इन पदाधिकारियों को इस सम्बन्ध में बनाये गये विभिन्न विधानों का पता नहीं रहता तो खतरा यह है कि निर्धार्य के साथ न्याय नहीं किया जा सकेगा । मुझ को नहीं मालूम है कि आय-कर पुस्तिका में भी आवश्यक सुधार किये जा रहे हैं अथवा नहीं । उच्च स्तर पर प्रशासन के ठीक न रहने के कारण किसी के लिये भी यह अपेक्षा करना सम्भव नहीं होता है कि आयकर-विधियों का ठीक ढंग से प्रशासन किया जायेगा ।

अब, हम से जिस विधेयक को पारित करने को कहा जा रहा है, उसमें आयकर पदाधिकारियों को और अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं । यह अधिकार बहुत ही ज्यादा है मुझे उन लोगों के साथ जरा भी सहानुभूति नहीं है जो सरकार को कर नहीं देते हैं । परन्तु साथ ही, संसद् में हम लोगों का यह कर्त्तव्य है कि हम यह देखें कि आयकर पदाधिकारियों को जो अधिकार दिये जाते हैं उन का ठीक ढंग से उपयोग किया जाता है और यह कि आयकर पदाधिकारी कानून जानत हैं । धनी व्यक्ति आयकर विभाग द्वारा कभी नहीं सताये जाते हैं । केवल मध्यम वर्ग के लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट होता है । इसलिये मैं लोक-सभा और सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि इन आयकर-पदाधिकारियों को उचित हिदायतें दी जानी चाहियें, उन को आय-कर पुस्तिकायें दी जानी चाहियें और उनको ठीक ढंग से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये ।

आयव्ययक पर सामान्य चर्चा के समय बोलते हुए मुझ को डीज़ल तेल पर लगाये गये कर के सम्बन्ध में उल्लेख करने का अवसर प्राप्त हुआ था । डीज़ल तेल का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में, जहां सस्ती बिजली उपलब्ध नहीं होती है, कृषि-कार्यों के लिये किया जाता है । मद्रास में भी डीज़ल तेल पर चार आना बिक्रीकर लगाया गया है और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा भी चार आना बिक्रीकर लगा दिया गया तो यह कर कृषकों को बहुत अधिक परेशान करेगा । कृषक ही हमेशा ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन को सब से अधिक कष्ट होता है और ऐसा कम ही होता है जब भारत सरकार उन के हितों का ध्यान रखती है । ऐसी परिस्थितियों में, मैंने आशा की थी कि वत्त मंत्री डीजल तेल का उल्लेख करेंगे । परन्तु उन्होंने इस का कोई भी जिक्र नहीं किया क्योंकि सम्भवतः जो व्यक्ति सत्तारूढ़ होते हैं उनको कृषकों की परेशानियों का पता ही नहीं चलता है । मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी और डीज़ल तेल के शुल्क को कम कर देगी ।

मेरी दूसरी बात कुटीर उद्योगों पर कर लगाये जाने के सम्बन्ध में है । वित्त मंत्री न जाने किस प्रकार का संतुलन कायम करना चाहते हैं । बिजली का प्रयोग करने वाले कारखानों में बनने वाले साबुन और कागज़ पर तो कर लगा ही हुआ है । अब वह बिजली का इस्तेमाल करने वाले कारखानों में बने साबुन और कार्ड बोर्ड पर कर लगाना चाहते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमानों के उद्योगों को शुरू करने का एक कारण यह भी है कि हम अधिक नौकरियों का उपबन्ध करना चाहते हैं । इन

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

छोटे-छोटे उद्योगों में अधिक व्यक्तियों को नौकरियां दी जा सकती हैं। इस का परिणाम यह है कि जब एक ओर हम छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं उसी समय हम इस प्रकार के कर लगा कर उन को बिजली का उपयोग करने वाले कारखाने के मुकाबले में लाते जा रहे है। जहां तक मैं जानता हूँ, सरकार की यह नीति नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस कर को रद्द कर दिया जाये।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : वित्त मंत्री ने कल के अपने भाषण में करों में जिन रियायतों की घोषणा की है, उन के लिये मैं उनको यथासम्भव बधाइयां देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वर्ष जितने कराधान की कोशिश की जा रही है वह अब भी चरम सीमा पर बना रहेगा। इस समय मैं जो पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि करों में जो यह रियायतें की जा रही हैं वह कुल मिलाकर धन के रूप में कितनी होंगी? लोक-सभा को इस बात का पता नहीं है कि इन रियायतों का क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे आशा है कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय सरकारी प्रवक्ता इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे।

दूसरी बात जो मेरी समझ में नहीं आती है वह निगम कर के सम्बन्ध में है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, केवल उन समवायों को जिन में व्यवसायगत व्यक्ति—अर्थात् वकील डाक्टर आदि—आते हैं, इन रियायतों का लाभ प्राप्त हो सकेगा और व्यापारिक संस्थाओं का अधिकांश भाग वित्त मंत्री द्वारा दी गई रियायतों से लाभान्वित नहीं हो पायेगा। मैं चाहता हूँ कि इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया जाये क्योंकि देश ने तो अधिक रियायत पाने की आशा की थी, परन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो व्यापारीवर्ग को कोई रियायत नहीं दी गई है।

इस संदर्भ में मैं एक सारभूत प्रश्न उठाना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री और उनके सहयोगी उस पर ध्यान देंगे। वित्त मंत्री ने अपने आय व्ययक भाषण में कहा था कि अधिकर लगाये जाने के बाद अधिकर संहित उच्चतम खण्ड आय कर ९१·९ प्रतिशत होगा। परन्तु मेरे पास यहाँ ऐसे आँकड़े और तालिकायें हैं जिनके आधार पर मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि यह ९१·९ प्रतिशत ही नहीं वरन् संयुक्त पूंजी समवायों के लिये ९४·४ प्रतिशत और पंजीबद्ध सार्थों के लिये, यदि अंशधारी अथवा सांझीदारी की आय १,५०,००० रुपये से अधिक हो, ९७·७१ प्रतिशत हो जायेगी। इस प्रकार वित्त मंत्री द्वारा कहे गये ८·३१ प्रतिशत के समान आधार के स्थान पर ग़ैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों को केवल ५·६ प्रतिशत और पंजीबद्ध सार्थों को २·२९ प्रतिशत की ही बचत हो पायेगी। मैं कर वसूल करने के पहलू पर विवाद नहीं करना चाहता, मैं तो केवल वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों को ही चुनौती देता हूं। मैं तो चाहूंगा कि इस बात का ब्यौरा बताया जाये कि ९१·९ की प्रतिशतता किस प्रकार से निकाली गई थी। यदि मेरा हिसाब ग़लत हो तो उसकी ग़लती बतायी जाये।

मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ क्षेत्र के छोड़ दिये जाने के प्रश्न की जांच की जानी चाहिये। मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में भी जो आंकड़े दिये हैं वह सही नहीं हैं। यह सच है कि वित्त मंत्री ने निर्धार्य द्वारा अदा किये जाने वाले आयकर और अधिकर को सम्मिलित कर के यह दिखा दिया है कि अधिकतम खंड ९१·९ प्रतिशत से अधिक नहीं है। परन्तु यदि सब बातों का ध्यान रखा जाये तो स्थिति बिल्कुल ही भिन्न है।

यह कहने के उपरान्त, अब मैं उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार ने स्टैण्डर्ड वैकुअम ऑयल कम्पनी से यह समझौता किया है कि देश में उत्पादित तेल को दस वर्ष तक

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन शुल्क संरक्षण दिया जायेगा। मैं इस समझौते के औचित्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेरा प्रश्न केवल यह है कि आश्वासन में तो यह कहा गया है कि आयात किये जाने वाले मोटर-पैट्रोल के आयात-शुल्क में और देश में ही उत्पादित किये जाने वाले मोटर-पैट्रोल के उत्पादन शुल्क में कम से कम दो आने का अन्तर रहेगा, परन्तु सरकार ने जो ज्ञापन तैयार किया है, उस में कहा गया है कि इस विशेष प्रकार के तेल के लिये आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क बराबर रहेगा। मैं वित्त मंत्री से केवल यही जानना चाहता हूं कि परिचालित किये गये ज्ञापन का वास्तविक अर्थ क्या है क्योंकि मैं समझता हूं कि यह दोनों एक ही नहीं हो सकते हैं।

यह कहने के बाद मैं अपने माननीय मित्र श्री चेट्टियार को इस बात पर बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े ही शालीन ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य करने के ढंग पर प्रभावशाली नियंत्रण लगाये जाने की मांग की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में बड़ी गम्भीर शिकायत करनी है। मैंने सार्वजनिक निगमों पर संसदीय नियंत्रण रखे जाने का प्रश्न उठाया था और वित्त मंत्री ने दो आश्वासन दिये थे। उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है।

उनका पहला आश्वासन तो यह था कि समवाय विधि विधेयक में, जो उस समय प्रवर समिति को सौंपा हुआ था, संसद् को नियंत्रक अधिकार देने के लिये आवश्यक संशोधन कर दिये जायेंगे; और यदि ऐसा करना संभव न हुआ तो वह इस सभा को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिये विशेष विधान पुरःस्थापित कर देंगे। पिछली बार भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था। उस समय उत्पादन उपमंत्री श्री सतीशचन्द्र ने उसका उत्तर देने का प्रयास किया था, परन्तु उनको यह भी ज्ञात नहीं था कि उस आश्वासन का आशय क्या था। लोक-सभा की यह अवहेलना सहन नहीं की जा सकती है। पिछले महीने की २० तारीख को भी आय व्ययक को प्रस्थापनाओं के समय से पूर्व प्रगट हो जाने के सम्बन्ध में हुए वाद-विवाद में मैंने कुछ सुझाव दिये थे और श्री तुलसी दास किलाचन्द ने भी कल कुछ सुझाव दिये थे, परन्तु वित्त मंत्री ने उन सुझावों को ठुकरा दिया है। अब मैं इस संदर्भ में दो सुझाव देना चाहता हूं।

सब से पहले तो मैं श्री किलाचन्द के इस सुझाव का हृदय से समर्थन करता हूँ कि सरकार बढ़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का विवरण प्रस्तुत करते हुए समय-समय पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया करे। इसके अतिरिक्त, इस संदर्भ में मैं यह बात और कहना चाहता हूँ कि लोक-सभा द्वारा एक ऐसे शासन यंत्र की स्थापना की जाये जो इस बात की व्यवस्था करे कि ऋणों सम्बन्धी कार्यक्रम और घाटे की अर्थ-व्यवस्था की समस्या का निबटारा ठीक ढंग से किया जा सके। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कुल मिलाकर २५,०० करोड़ रुपयों का घाटा होगा परन्तु फिर भी इस सभा को इस बात की जांच करने का अधिकार नहीं है कि ऋण किस प्रकार से लिये जाते हैं और घाटे की अर्थ-व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : क्या माननीय सदस्य का कहना यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ९०० करोड़ का घाटा रहा था ?

†**डा० लंका सुन्दरम्** : यही तो वित्त मंत्री ने कहा था। हमको अंतिम आंकड़े तो मिलने ही हैं। यदि मेरे माननीय मित्र मुझ को कुछ और विवरण बता सकें तो मैं आभार मानूंगा।

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : अंतिम आंकड़े लगभग ३५० से ४०० करोड़ रुपये तक होंगे।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : यही तो मैंने कहा था। मेरे माननीय मित्र समझे ही नहीं थे। वित्त मंत्री ने इस सभा में कहा था कि कुल अंतर ९०० करोड़ रुपये का होगा और इसके लिये वह नासिक प्रेस का आश्रय

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लंका सुन्दरम्]
लेने जा रहे थे। यदि आप ठीक से हिसाब लगायें तो संभवतः वह राशि ३५० करोड़ रुपये ही हो। कुल अन्तर्ग्रस्त राशि २५,०० करोड़ रुपये होगी। मैं आप को सुझाव देता हूँ कि इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह कह रहे थे कि वह केवल ३५० करोड़ रुपये के लगभग हो।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : किन्तु हमें कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं। जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है वह लगभग १६,०० करोड़ रुपये हो सकती है। विदेशी सहायता के बारे में हम में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि वह क्या होगी।

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : ४०० करोड़ रुपये की उक्त राशि को घाटे की अर्थ-व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उसे अब तक गिना नहीं गया है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : केवल दो दिन पूर्व वित्त मंत्री ने कहीं अन्यत्र बोलते हुए कहा था कि इसमें ३०० या ४०० करोड़ रुपये और मिलाने होंगे। मैं केवल अनुरोध करता हूँ और इस सभा का और विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूँ कि सभी सहायक विषयों के सम्बन्ध में घाटे की अर्थ-व्यवस्था के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये उचित उपबन्ध किया जाना चाहिये। मैं आप को एक और सुझाव देता हूं। प्राक्कलन समिति की एक उपसमिति को आप निदेश दे सकते हैं कि वह इस प्रश्न का शीघ्र और समग्र अध्ययन करके उस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र श्री गुह मेरे सुझाव को अस्वीकार नहीं करेंगे।

आय व्यक जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में माननीय वित्त मंत्री से मेरा काफी पत्र व्यवहार हुआ है। गत वर्ष मैंने उन्हें १४ करोड़ रुपये के विभेद बतलाये थे और उन्होंने मुझे लिखा था कि ऐसा असावधानी के कारण हुआ था। उसे आय व्यक के अन्तिम वृत्तान्तर में सुधारा गया था। इस बार भी मैंने कुछ बातें उठाई थीं जिनका उत्तर माननीय मंत्री ने तत्परता से दिया और मैंने उनके पत्र का उत्तर भी दिया था। मैंने केवल स्पष्ट ग़लतियां ही बताई थीं।

मुझे उनका २३ मार्च का पत्र प्राप्त हुआ जिसका उत्तर मैंने २ अप्रैल को दिया था। ६ अप्रैल को उन्होंने मुझे लिखा है :

> "इस प्रकार की एक व्यौरेवार टिप्पणी तैयार करने का आपने जो कष्ट किया है उस की मैं सराहना करता हूं। मैं उस की ओर आवश्यक ध्यान देकर शीघ्र ही फिर से आप को लिखूंगा।"

किन्तु इस सभा में मुझे सहायता प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह यह कहते हैं कि सदस्यों को इस सभा में इन प्रश्नों में से किसी को भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिये ?

†**डा० लंका सुन्दरम्** : यदि यह मान भी लिया जाये कि हम पुनः निर्वाचित होकर अगले वर्ष यहां आयेंगे तो भी हमें एक वर्ष से पूर्व यह अवसर प्राप्त नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने लिये जो रास्ते हैं उनका उपयोग सदा कर सकते हैं। प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मैं पूर्ण नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं छिद्रान्वेषण के उद्देश्य से आलोचना नहीं कर रहा हूँ। यहां जो बात हो रही है वह पत्रव्यवहार के बारे में है और मैं कहना चाहता हूं कि जब बातें कही जाती हैं तो उनका उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिये। इस सभा में

†मूल अंग्रेज़ी में

समयाभाव के कारण सभी बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता है इसलिये पत्र व्यवहार के बारे में मैं केवल तीन बातें कहता हूं। मैंने कई सुझाव दिये हैं......

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्): श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। जब माननीय सदस्य इस सभा में ऐसे प्रश्न उठाते हैं तो क्या माननीय मंत्री को यह अधिकार है कि यहां उठाई गई बातों का उत्तर देने के बजाय वह व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य से पत्र व्यवहार करें। यदि चर्चा का उत्तर देते समय उन बातों का उत्तर देना माननीय मंत्री के लिये संभव न हो तो वह उन बातों का उत्तर देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखें। माननीय मंत्री द्वारा किसी सदस्य से पत्र व्यवहार किया जाना उचित नहीं है और मुझे इसमें आपत्ति है। यह ग़लत बात है और मैं इस प्रश्न पर विनिर्णय चाहता हूँ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : इसके पूर्व कि आप विनिर्णय दें मैं आप से निवेदन करता हूँ कि श्री थामस ने यही प्रश्न दो वर्ष पूर्व भी उठाया था और आपने विनिर्णय दिया था कि उन्हें सभा पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिये और इस कारण उन्हें सभा पटल पर रखा गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पत्र व्यवहार के इस निर्देश को देखता हूँ। मेरा कथन है कि जानकारी प्राप्त करने के लिये किसी प्रश्न को सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और चर्चा के दौरान में माननीय सदस्य विशिष्ट बातों को उठा सकते हैं। मुझे यह जानकारी भी है, और कुछ अवसरों पर मैंने सुझाव या निदेश भी दिये हैं कि जब किसी माननीय सदस्य द्वारा कोई बात उठाई जाये और यदि वह माननीय मंत्री को इस बात की सूचना दे, तो उसमें कोई हानि नहीं है। उसमें कई बातें हैं। वास्तव में कटौती प्रस्तावों से ही वह विशिष्ट रूप से उत्पन्न होती हैं। मांगों के बारे में कोई ८०० कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे और इसलिय उन विशिष्ट कटौती प्रस्तावों के बारे में अग्रिम सूचना देने तक की प्रथा प्रचलित थी जिससे कि उनपर समुचित ध्यान दिया जा सके। इसलिये किसी भी माननीय सदस्य को पत्र-व्यवहार द्वारा माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण पूछने का अधिकार है, किन्तु मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को यहां पत्र व्यवहार का उल्लेख नहीं करना चाहिये। वह पूछ सकते हैं "मैं यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं"। जो जानकारी उन्हें पहले ही प्राप्त है उसका उल्लेख यहां किया जाना आवश्यक नहीं है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मुझे संतोष नहीं है यही बात है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य पत्र व्यवहार का उल्लेख करने के बजाय यह कह सकते हैं कि "मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ"। प्रत्येक सदस्य और मंत्री के बीच जिन पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है वह सभी मैं यहां रखना नहीं चाहता हूँ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मेरा यह उद्देश्य नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये वह यह कह सकते हैं "मैं इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं"।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : वही मैं भी कह रहा हूं। आय-व्ययक पर हुई चर्चा के समय १५ तारीख को मैंने जो तीन बातें उठाई थीं उन्हें मैं अब भी उठा रहा हूं।

केन्द्र द्वारा राज्यों को प्रदत्त ऋणों के बारे में तीन विभिन्न स्थानों में विभिन्न आंकड़े हैं। अभिलेख से यह सिद्ध होगा कि आय-व्ययक पर हुई चर्चा के समय बोलते हुए मैंने यह बात कही थी और माननीय मंत्री और मेरे बीच पत्र व्यवहार होने के बाद भी स्थिति वही है। मैं उस बात के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लंका सुन्दरम्]

मैं अधिक समय ले रहा हूं और मेरे भाषण के समय अन्तर्बाधाएं हुई हैं और विनिर्णय दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसके बाद माननीय सदस्य जब भी बोलने के लिये खड़े हों तो उन्हें अन्तर्बाधाओं का उल्लेख नहीं करना चाहिये । वह भाषण के अविभाज्य अंग हैं । यदि कोई माननीय सदस्य कुछ बोलते हैं और किसी अन्य सदस्य द्वारा आपत्ति की जाती है तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है । इसलिये जितना समय उन्हें प्राप्त होता है उसमें सभी अन्तर्बाधायें और प्रत्येक बात शामिल है । मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं "आप ने हस्तक्षेप किया" ।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** यह तो मैंने नहीं कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है ।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** मैं इस बात को संक्षेप में कहूँगा ।

दूसरी बात जिसका निर्देश मैं करना चाहता हूं वह यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय योजना के भी परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये राजस्व और पूंजी के अन्तर्गत राज्यों को जो अनुदान दिये गये हैं उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिये ।

अन्त में मैं यह चाहता हूँ कि १ अप्रैल, १९५१ से पूर्व सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में जो धन राशियां विनियोजित की गई थीं उन के बारे में एक विवरण दिया जाये ताकि माननीय सदस्यों को विशिष्ट आय-व्ययक वर्ष में विनियोजित या वर्ष के अन्त में विनियोजित की जाने वाली कुल राशि की जानकारी प्राप्त हो सके । सार्वजनिक उपक्रमों को करोड़ों रुपये के ऋण दिये जाते हैं और मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्यों की सुविधा की दृष्टि से इन सभी बातों को एक स्थान पर दिया जाना अधिक अच्छा होगा ।

यही अनुरोध मैं बार-बार करता आया हूं और मैं छिद्रान्वेषी आलोचाना नहीं कर रहा हूं । मेरे और माननीय मंत्री के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था उसके बाद की स्थिति वही है । मैंने लोक हित को दृष्टि में रखते हुए ही यह बात कही है । यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई तो मेरा ख्याल है सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग चार हज़ार करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त होगी । इसलिये यह आवश्यक है कि इस सभा को सभी बातों का अध्ययन करने और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों को नियंत्रित करने का अवसर प्राप्त होना चाहिये ।

†**श्री विमला प्रसाद चालिहा** (शिवसागर –उत्तर लखीमपुर) : आर्थिक नीति और माननीय वित्त मंत्री के आर्थिक प्रस्तावों के सम्बन्ध में मेरी जो प्रतिक्रिया है वह भविष्य के लिये आत्मविश्वास से पूर्ण है । माननीय वित्त मंत्री जिस तरह देश की उलझनों को हल कर रहे हैं उसके लिये मैं उन्हें बधाइयां देता हूं । हमने कृषि और औद्योगिक उत्पादन और कई अन्य बातों में काफ़ी प्रगति की है और इस प्रगति में हमारी आर्थिक नीति का भी योगदान है ।

मैं जानता हूं कि कुछ व्यक्ति निराशावादी हैं और वह प्रगति को देख नहीं पाते हैं । यदि इन सब बातों को देखते हुए भी वह प्रगति की ओर से उदासीन हैं तो हम लाचार हैं ।

हमें काफी लम्बाई तय करनी है और जिस गति से हम चल रहे हैं उसे देखते हुए इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे । इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण और जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का निर्णय यह बातें उस मार्ग का संकेत करती हैं जिधर हम जाना चाहते हैं । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि ऐसे राष्ट्रीयकरणों से जन सामान्य का लाभ

†मूल अंग्रेजी में

ही होगा। राष्ट्रीयकरण की आलोचना की गई है और यह आरोप लगाया गया है कि हम ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं और उस क्षेत्र की उपक्रमण की शक्ति प्रभावित हो रही है। मेरा ख्याल है कि हमें ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का रक्षण नहीं करना है वरन् सामान्य जन के सर्वोत्तम लाभ को देखना है।

वास्तव में देखा जाये तो ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की रक्षा सरकार नहीं कर सकती है। यह कार्य तो ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को समाज की अपनी सेवायें अर्पित करके करना है। किन्तु ग़ैर-सरकारी क्षेत्र ने सामान्य जन के मानस में अपनी कोई सुखद समृति नहीं छोड़ी है। खाद्यान्न और वस्त्र के अभाव के दिनों में ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का सामान्य जन के प्रति जो व्यवहार रहा था वह उचित नहीं था। निस्संदेह इसके कुछ अपवाद भी हैं और वह समाज से अब भी समादर प्राप्त करते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र अपने अस्तित्व को बनाये रखना चाहता है तो यह सामान्य जन की इच्छा पर ही निर्भर है।

कृषिजन्य वस्तुओं के गिरते हुए मूल्यों को रोकने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्योंकि इस देश के सामान्य जन को धनवान या निर्धन बनाना एक बड़ी हद तक कृषि जन्य वस्तुओं पर निर्भर है। खाद्यान्नों के गिरते मूल्यों को रोकने के लिये जो योजना बनाई गई थी वह वास्तव में कहां तक सफल हुई है यह मैं नहीं जानता हूं, किन्तु यदि वह सफल हुई है तो मेरा अनुरोध है कि इस योजना को देश भर में शीघ्रता से और संगठित तरीके से क्रियान्वित किया जाये।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारी राष्ट्रीय आय में लगभग १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है यह बात अत्यन्त उत्साहवर्द्धक है। यह स्वयं एक महान् सफलता है किन्तु साथ ही हमें यह देखना है कि यह वृद्धि सामान्य जन तक पहुंची है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। कुछ समय पूर्व हमने यह सुझाव दिया था कि देश में विभिन्न ग्राम समूहों के बारे में आंकड़े एकत्रित किये जायें ताकि विभिन्न आय वर्गों की आय प्रतिशतता जानी जा सके और हम यह देख सकें कि राष्ट्रीय आय का देशवासियों में समान वितरण हो।

जहां तक सम्पदा शुल्क का सम्बन्ध है हम यह देखते हैं कि इन सभी वर्षों में हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। यदि इस कर से बचने का प्रयास किया गया है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। वित्त मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रश्न की जांच करे और सभी असंदिग्ध बातों को दूर करे।

जहां तक कराधान प्रस्तावों का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव लोकप्रिय नहीं हो सकता है। तथापि अधिकर की वृद्धि का मैं स्वागत कर सकता हूं। किन्तु साथ ही मैं वित्त मंत्री का ध्यान देश के अविकसित क्षेत्रों के विकास की ओर आकर्षित करता हूं। मेरे लिये यह प्रश्न काफी बड़ा है और मैं इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दे सकता हूं। कन्तु मैं आशा करता हूं कि वह स्वयं इस प्रश्न की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

इसी प्रकार हमने कृषि और कुटीर और ग्राम उद्योगों का भी सहकारिता के आधार पर संगठन किये जाने की ओर काफी ध्यान दिया है। दुर्भाग्य से भारत में सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो सका है। किन्तु यदि भारत की प्रगति होनी है तो सहकारिता को अवश्य सफल बनाया जाना चाहिये और माननीय मंत्री को यह देखना चाहिये कि वह अपनी कराधान नीति से सहकारिता को प्रोत्साहन दे सकते हैं अथवा नहीं।

बेरोज़गारी का प्रश्न अभी तक हल नहीं हो सका है और हम अपनी अन्य योजनाओं के अतिरिक्त कुटीर और ग्राम उद्योगों के विकास पर भी विश्वास कर रहे हैं। किन्तु मैं यह देखता हूं कि इन योजनाओं के लिये हमने जितने धन का उपबन्ध किया था उतना हमने व्यय नहीं किया है। साथ

[श्री विमला प्रसाद चालिहा]
ही हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया है। कुटीर उद्योगों के विकास के लिये वित्त से कहीं अधिक आवश्यकता है देशभर में संगठनकर्ताओं द्वारा कार्य किये जाने की। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में जो विभिन्न बोर्ड बनाये गये हैं वह संगठनकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को प्रशिक्षण देने और उन्हें सेवायुक्त करने का प्रयास करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि अम्बर चरखे की कार्यक्षमता के बारे में जो प्रयोग किये जा रहे थे वह इसी बीच समाप्त हो गये होंगे। हमें प्रयोगों की सफलता में अत्यंत दिलचस्पी है क्योंकि इसकी सफलता पर हमारी भावी आयोजना बहुत कुछ निर्भर करेगी।

अल्प बचत योजना की सफलता अपेक्षातीत रही है। मुझे प्रसन्नता है कि पंचायत संगठनों ने इस कार्य में हमारा साथ दिया है। यह ठीक ही है कि बीमा व्यवसाय का हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं किन्तु इसके लिये हमें पंचायत संगठनों और अन्य ग्रामीण संगठनों से सहायता लेनी होगी।

बागान उद्योग और विशेषकर चाय उद्योग के बारे में वित्त मंत्री कुछ निर्देश कर रहे थे। चाय एक ऐसी वस्तु है जिससे हमें विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। किन्तु चाय के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव लक्षित हुए हैं। मेरा ख्याल है कि १९५४ में चाय के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई थी और १९५५ में ठीक इसके विपरीत हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उतार-चढ़ाव इस उद्योग में अन्तर्विष्ट हैं किन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम इन उतार-चढ़ावों को अपने उद्योग श्रम और राज्यकोष को प्रभावित करते रहने दे सकते हैं? कुछ समय पूर्व हमने संविहित मूल्य समानता निधि के स्थापित किये जाने का सुझाव दिया था। मैं उसी प्रस्ताव को सरकार के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं सम्बन्धित मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्राचीन रक्षित स्मारकों की देखभाल की ओर वह अधिक ध्यान दें। मुझे खेद है कि इस दिशा में आसाम राज्य के पुरातत्व विभाग की गतिविधियां नगण्य हैं। मैंने माननीय मंत्री का ध्यान १० अगस्त, १९५५ को इस बात की ओर आकर्षित किया था और उन्होंने संयुक्त महानिदेशक को एक पत्र लिखा था जिसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस उपेक्षा का अन्त होगा और इन स्मारकों की देखभाल अच्छी तरह से की जायेगी।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के महा मंत्री ने जो वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था उसे पढ़ कर मुझे प्रसन्नता हुई है। उक्त वक्तव्य 'स्टेटसमैन' में ११ मार्च, १९५६ को प्रकाशित हुआ था। उन्होंने वक्तव्य में कहा था कि रूस की पार्टी कांग्रेस का अनुभव था कि कतिपय परिस्थितियों के अन्तर्गत संसदीय प्रणालियों से और गृह युद्ध का प्रश्रय लिये बगैर समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में उनके लिये यह एक बड़ी अनुभूति है, किन्तु उसे जानने के लिये रूस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई निष्पक्ष पर्यवेक्षण करे तो उसे ज्ञात होगा कि स्वयं भारत इसका एक उदाहरण है। हमारे इन मित्रों ने इस बात को काफी समय के बाद महसूस किया है फिर भी देर आयद सो दुरुस्त आयद।

†**श्री एम० आर० कृष्ण०** (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अनुसूचित और आदिम जातियों की दशा को सुधारने के लिये गृह-मंत्रालय ने उल्लेखनीय कार्य किया है और मैं उसे बधाई देता हूं। किन्तु अतीत में जिस तरह अच्छी योजनाओं पर धन व्यय किया जाता था उस प्रकार अब नहीं किया जाता है। उनके पास बहुत-सी योजनायें हैं जिन पर कि धन व्यय किया जाना चाहिये क्योंकि उन से वास्तव में आदिम जातियां लाभान्वित होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं गृह-मंत्रालय से अनुरोध करने वाला था कि इन जातियों के लिये गृह निर्माण के हेतु एक पृथक् कोष स्थापित किया जाये। आवास से सम्बन्धित मंत्रालय ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। योजना आयोग ने भी विगत पांच वर्षों में कोई विशेष कार्य नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी आदिम जातियों को आवास सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई है। किन्तु गृह-मंत्री ने इन बातों के लिये एक पृथक् बोर्ड गठित करने का आश्वासन दिया है और इसलिये इस बात पर मेरे द्वारा अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

भविष्य में गठित किये जाने वाले इस बोर्ड के बारे में मैं कुछ कहूंगा। मेरा ख्याल है कि इस बोर्ड में हरिजन जाति के सदस्य और कई ग़ैर-हरिजन सदस्य भी रहेंगे। फिर भी मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड का, जो निश्चय ही गृह-मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करेगा, अध्यक्ष एक ग़ैर-हरिजन व्यक्ति हो। मैं इस बात पर इसलिये बल देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ राज्यों में वहां हरिजन कल्याण का विभाग किसी हरिजन सदस्य को सौंपा गया है वहां वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इसमें उसकी कार्यक्षमता का दोष नहीं है किन्तु उक्त सदस्य हरिजन कल्याण और उनके स्तरोन्नयन के बारे में ही बोलता है और इस कारण मंत्रि मंडल के अन्य सदस्य उसे साम्प्रदायिक समझते हैं। यदि यही बातें कोई ग़ैर-हरिजन सदस्य कहता है तो यह समझा जाता है कि वह राष्ट्र की सेवा कर रहा है। इसलिये इस बोर्ड का अध्यक्ष कोई ग़ैर-हरिजन व्यक्ति होना चाहिये।

मुझे आशा है कि गृह-मंत्रालय द्वारा बोर्ड के लिये योग्य सदस्य चुने जायेंगे। इस बोर्ड को अत्यन्त अल्प अवधि में आदिम जातियों की दशा को सुधारने के लिये कार्य करना है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर काफी बल दिया जा रहा है। देश में नये उद्योग प्रारम्भ किये जायेंगे और मैं यह कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि भारी उद्योगों से सम्बन्धित मंत्रालयों को उन स्थानों में उद्योग स्थापित करने चाहियें जो पिछड़े हुये हैं। उदाहरण के लिये यदि किसी राज्य में किसी भारी उद्योग की स्थापना की जाती है तो सभी सहायक उद्योग भी वहीं केन्द्रित हो जायेंगे और इस तरह केवल उसी राज्य की जनता लाभान्वित हो सकेगी।

इन कारखानों में नौकरी के मामले में, उसी राज्य विशेष के लोगों को अधिमान्य दिया जाता है और अन्य राज्य के लोगों को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचता है। उदाहरण के लिये, पेराम्बूर यात्री डिब्बा कारखाना मद्रास नगर के बीच में स्थित है और इससे आंध्र या केरल के लोगों को कोई सहायता नहीं मिल सकती है। यदि वह किसी सीमावर्ती स्थान पर होता तो शायद कई राज्यों की जनता को लाभ पहुंचता। अतः मैं सम्बन्धित मंत्रालय से अपील करता हूं कि भविष्य में उद्योग ऐसे स्थानों पर, अर्थात सीमान्तों पर स्थापित किये जायें, जिससे कि न केवल एक राज्य बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी लाभ उठा सकें।

हैदराबाद राज्य में रामगुडंम स्थान पर जो बिजली पैदा होती है, उसका उपयोग करने के लिये वहां कोई उद्योग नहीं है। यदि वहां बिजली के उपकरण बनाने का या उर्वरक बनाने या इंजीनियरिंग का एक कारखाना स्थापित कर दिया जाये, तो इससे न केवल हैदराबाद राज्य को बल्कि आंध्र और अन्य स्थानों के लोगों को भी लाभ होगा।

मैं कुछ शब्द छावनी बोर्डों के बारे में कहना चाहता हूं। सामान्यतया छावनियों में रहने वाले लोग समझते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। हैदराबाद में इसके एकीकरण से पहले, निज़ाम की सरकार छावनी क्षेत्रों के विकास के लिये बहुत रुपया दिया करती थी। भारत सरकार भी अपना अंश देती थी। किन्तु एकीकरण के बाद राज्य सरकार ने अनुदान बन्द कर दिया है और छावनी के कार्य केन्द्र द्वारा दिये गये रुपये से चलाये जाते हैं। छावनी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार को योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, किन्तु इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये

[श्री एम० आर० कृष्ण]

छावनी बोर्ड का काम अच्छी तरह नहीं चल रहा है। मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वह छावनियों की ओर विशेष ध्यान दे क्योंकि हैदराबाद एक बहुत बड़ी छावनी है और उसमें अनुसूचित जातियों के बहुत से लोग रहते हैं।

राज्यों के और केन्द्र के शिक्षा विभाग शिक्षा के प्रसार के लिये ग़ैर-सरकारी अभिकरणों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। हैदराबाद में बहुत से ग़ैर-सरकारी अभिकरण ऐसे हैं जो कि टेकनिकल स्कूल और कालेज खोलना चाहते हैं किन्तु शिक्षा विभाग उन्हें कोई सहायता नहीं देता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम जूनियर टेकनिकल संस्थायें शुरू करना चाहते हैं किन्तु अभी तक शिक्षा विभाग ग़ैर-सरकारी अभिकरणों को, जो कि इन स्कूलों को चलाना चाहते हैं, ठीक-ठीक जानकारी भी दे सकने की स्थिति में नहीं है। इधर-उधर की बातें कह दी जाती हैं। मैं शिक्षा विभाग से प्रार्थना करता हूं कि वह आवश्यक जानकारी इकट्ठी करने और उन्हें सहायता देने में विलम्ब न करे।

मेरी जाति के लोगों को असुविधा हो रही है, क्योंकि उन्हें त्रुटिपूर्ण शिक्षा दी गई है। इस समय उन्हें सुरक्षित रिक्तियों पर निर्भर करना पड़ता है। किन्तु जब भी किसी विभाग में कोई सुरक्षित रिक्ति होती है तो उसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं भरा जाता है? यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार की शिक्षा पाकर अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति कोई अन्य व्यवसाय नहीं चुन सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को टेकनिकल शिक्षा दी जानी चाहिये ताकि वे स्वतंत्र बन सकें और केवल सरकारी सेवाओं पर निर्भर न करें। मैं गृह-कार्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकारों को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को टेकनिकल शिक्षा देने के लिये टेकनिकल संस्थाएं शुरू करने के लिये विशेष निदेश दे।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** (गया पश्चिम): हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा होने से लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ है और क्या जनसाधारण तक यह लाभ पहुंचा है। मेरा अनुभव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी पहले की तरह ही है। इससे प्रकट होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी जनसाधारण को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा अत: मैं अनुभव करता हूं कि हमें सम्पत्ति सम्बन्धों में आमूल परिवर्तन करना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा वितरण के मामले में लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। उत्पादन प्रणाली पर ही वितरण प्रणाली निर्भर होती है। यह परिवर्तन धीरे-धीरे और क्रमश: किये जाने चाहियें और सार्वजनिक क्षेत्र को धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिये। मुझे खेद है कि ग्राम्य पुनर्वास के सम्बन्ध में प्राय: कुछ भी नहीं किया गया है।

मैं योजना बनाने वालों से सहमत हूं कि भूमि की समस्या को सबसे पहले हल किया जाना चाहिये। मुझे खेद है कि जमींदारी उन्मूलन भी बहुत देर से हुआ है, परन्तु अब हम भू-धारण की अधिकतम सीमा निश्चित करने की अवस्था में हैं। किन्तु हम देखते हैं कि इस मामले में भी विभिन्न राज्यों की नीति में समन्वय नहीं है। कुछ राज्यों में अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिये विधान बनाये जा रहे हैं और विधेयक प्रवर समिति में प्रतिवेदित कर दिये गये हैं। कुछ राज्यों में यह अधिनियमित किये जा चुके हैं। परन्तु कुछ राज्यों में भू-धारण की कोई सीमा नहीं। आप जितनी भूमि चाहें रख सकते हैं। हमें इस समस्या के हल के लिये सर्वतोमुखी दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक और वास्तविक होना चाहिये। हमें बेकारी और रोजगार के आंकड़ों को ज्ञात करना चाहिये।

हमें यह ठीक-ठीक मालूम करना चाहिये कि ग्रामों में बेकारी किस हद तक फैली हुई है। हाल ही में हमने छोटे पैमाने के उद्योगों और कुटीरोद्योगों के विकास के लिये २०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की

†मूल अंग्रेजी में

है । इस विषय में हमें यह मालूम करना है कि किस प्रकार के छोटे और कुटीरोद्योग किन प्रदेशों में स्थापित और सफल हो सकेंगे और उन लोगों की रुचि और प्रवृत्तियां क्या हैं, जिनके लिये ये कुटीरोद्योग चालू किये जायेंगे । हमें यह भी देखना है कि राष्ट्रीय धन का कितना अंश ग्रामों तक पहुंचता है । मेरे विचार से योजना निर्माता इससे अनभिज्ञ नहीं हैं । यह सत्य है कि सर्वतोमुखी निर्माण कार्य हो रहा है और नव-जागृति फैलती जा रही है । परन्तु मेरा विचार यह है कि यदि सरकारी सहायता देनी बन्द कर दी जाय तो समस्त व्यवस्था धराशायी हो जायेगी । मैं नहीं जानता कि छोटे पैमाने के उद्योग के लिये दिया गया यह २०० करोड़ रुपया ग्रामीण लोगों तक पहुंचेगा या योजना के क्रियान्वित होते-होते यह ५० करोड़ रुपये हो जायेगा । समस्या यह है कि धन के वितरण के लिये सिफारिशें करने की जो प्रणाली है उसका अन्त होना ही चाहिये । सरकारी अभिकरणों को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिये । सरकारी व्यवस्था की त्रुटियों का एक उदाहरण तकावी ऋणों से मिलता है । ये किन लोगों को मिलते हैं । उन लोगों को जिनकी पदाधिकारियों तक पहुंच होती है ।

हम मद्यनिषेध की बातें करते हैं । किन्तु हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जो लोग इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये प्रभारी होते हैं वे स्वयं खुले आम पीते हैं । वे भूल जाते हैं कि इस का जनता पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है ।

भूमि के लिये प्रतिकर देने के विषय में जो विभेद है वह दूर होना चाहिये । उन कृषकों को जिन्हें भूमि से वंचित किया जाता है, उस भूमि के लिये जिसके लिए सरकारी विभाग १,००० से ५,००० रुपये तक देते हैं प्रति एकड़ ५० रुपये या ७५ रुपये प्रतिकर दिया जाता है, क्या यह उचित है ? राज्य बैंक के २०० रुपये के एक-एक अंश के लिये १,७५० रुपये प्रतिकर दिया गया है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे । एक गलत धारणा प्रचलित है कि भूमि पर कोई लागत नहीं आती है । हो सकता है कि कुछ जमीदारों को भूमि उत्तराधिकार में मिली हो किन्तु भूमि भी एक प्रकार का विनियोग है । क्या कोई जाचें की गई हैं अथवा अमुक भूमि किसी ने अपनी बचत से खरीदी है या उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है यह ज्ञात किया जाना चाहिये । आप को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जिन लोगों ने अपनी बचत से जमींदारी खरीदी है, उन्हें पर्याप्त प्रतिकर दिया जाये और जिन्होंने उसे निःशुल्क प्राप्त किया है, उन्हें नाममात्र प्रतिकर दिया जाये । वर्तमान व्यवस्था यह है कि एक व्यक्ति को २०,००० एकड़ भूमि से वंचित किया जाता है, तो उसे प्रति एकड़ ५० रुपये प्रतिकर दिया जाता है, और दूसरे को २०० एकड़ से वंचित किया जाता है, तो उसे भी इसी दर से प्रतिकर दिया जाता है । स्पष्ट है कि पहला व्यक्ति तो अपने आप को बसा लेगा, किन्तु दूसरा कंगाल हो जायेगा । इस बात पर योजना आयोग और सरकार को विचार करना चाहिये ।

एक छोटी सी बात और है । कल वित्त मंत्री ने कहा था कि एक पदाधिकारी ने इस बात की जांच की है कि आय-कर विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम तो नहीं है । किन्तु मैंने "स्टेट्समैन" में पढ़ा है कि इस विभाग में २०० पदाधिकारी फालतू हैं । यदि हम अपनी आवश्यकताओं का भी ठीक अनुमान नहीं लगा सकते, तो यह मंत्रालय के नाम पर धब्बा है ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री वी० पी० नायर** (चिरयिन्कील) : मुझे खेद है कि वित्त विधेयक की चर्चा के समय लगभग सभी मंत्री सदन से अनुपस्थित हैं । श्री भगत यहां हैं किन्तु यदि हम प्राकृतिक संसाधन या किसी अन्य मंत्रालय के बारे में बोलें, तो वह क्या उत्तर दे सकेंगे । मेरे विचार में इस अवसर पर प्रत्येक महत्व-पूर्ण मंत्रालय के किसी न किसी प्रतिनिधि को उपस्थित रहना चाहिये था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आप से सहमत हूं । माननीय अध्यक्ष भी इस सम्बन्ध में निर्णय दे चुके हैं । सम्भव है मंत्री भोजन के लिये गये हों । मुझे आशा है श्री भगत नोट ले रहे होंगे और वे इन्हें सम्बन्धित मंत्रालयों तक पहुंचा देंगे और अन्य मंत्रियों से भी कहेंगे कि उन्हें उपस्थित रहना चाहिये ।

†**श्री वी० पी० नायर** : वित्त मंत्री ने हमें बताया है कि अनुमानतया ३० करोड़ रुपये का आय-कर अपवंचन हुआ है । उन्होंने यह भी कहा है कि आय-कर विभाग में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है । मेरे विचार में कर अपवंचन की राशि इस से बहुत अधिक होगी । दो तीन वर्षों से हम आयकर इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकी है कि पूर्ण-रूप से सन्तोषजनक हो । मैं यह सुझाव दूंगा कि एक या दो करोड़ रुपये खर्च करके आय-कर विभाग के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था की जाये जिस से कि सरकार से दो-एक पाई का आय-कर भी कोई व्यक्ति बचा न सके । केवल एक दो छोटे-मोटे परिवर्तन करने से कोई लाभ नहीं होगा । यदि आय-कर प्रशासन की सब त्रुटियां दूर कर दी जायें, तो पांच वर्षों में १५० रुपये वसूल हो सकते हैं ।

मैं कुछ बातें सेवाओं के बारे में कहना चाहता हूं । विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर सेवायुक्त रखना प्रशासन की दृष्टि से एक असंगति है । सरकार कहती है कि वह समाज का समाजवादी ढांचा बनाना चाहती है । किन्तु हम देखते हैं कि हजारों कर्मचारी, विशेषतया तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, अब भी अस्थायी हैं । उन्हें वे सुविधायें या अधिकार प्राप्त नहीं है जो कि स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त हैं । क्या चीज सरकार को इन्हें स्थायी बनाने से रोकती है ? मैं जानता हूं कि इस लोक-सभा के कर्मचारियों में भी कुछ अस्थायी व्यक्ति हैं । जब संसद् और योजना आयोग का काम जारी रहेगा ही, तो इन के कर्मचारियों को अस्थायी बनाये रखने का कोई कारण नहीं ।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को साधारण सुविधायें भी प्राप्त नहीं हैं । उनके आवास की समस्या बहुत गम्भीर है । मैं ने दिल्ली में इन की बस्तियां देखी हैं, जहां छोटे-छोटे मकानों में कई-कई परिवार रहते हैं । यह बहुत खेद की बात है कि ४० हजार से ५० हजार तक व्यक्तियों को छोटी से छोटी सुविधायें भी प्राप्त नहीं हैं । इन के बारे में नीति को बदलना आवश्यक है ।

अब मैं राशियों के नियतन के प्रश्न को लेता हूं । इस विषय में किसी भी सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया है और त्रावनकोर-कोचीन राज्य की जानबूझ कर उपेक्षा की गई है । उसे जिस नियतन को पाने का अधिकार था, वह भी उसे नहीं दिया गया है । आप जानते हैं कि त्रावनकोर-कोचीन में जनसंख्या सब से अधिक घनी है और बेकारी भी सब से अधिक है । प्रति व्यक्ति कृषियोग्य भूमि १/३ एकड़ है । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने हमारे लिये क्या किया है ? पिछले तीन-चार वर्षों में भारत सरकार ने औद्योगिक उपक्रमों में ११४ से ११५ करोड़ तक रुपया लगाया है जिस में से त्रावनकोर-कोचीन को इसका चौथाई भी नहीं मिला है जब कि इस की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का १/६ वां भाग है । इस राज्य की विचित्र समस्यायें हैं, और वह केवल केन्द्रीय सरकार की सहायता से ही हल हो सकती हैं ।

केन्द्रीय सरकार की निर्यात आय और विदेश विनिमय आय में अंशदान देने में भी त्रावनकोर-कोचीन राज्य किसी से पीछे नहीं है । समूचे देश की रबड़ की मांग यही राज्य पूरी करता है । काली मिर्च, इलायची और काजू अर्थात् यहां सभी कुछ पैदा होता है । इतना होने पर भी अनुदानों और अर्थ-सहायता की ५०० करोड़ रुपये की कुल राशि में से त्रावनकोर-कोचीन को केवल ४·५ करोड़ रुपया दिया गया है । यह उचित नहीं है । इसकी ओर यदि विशेष नहीं तो उचित ध्यान देने पर भी चार करोड़ की बजाये २० करोड़ रुपया दिया जाना चाहिये था क्योंकि हमारी कुछ विशेष समस्यायें हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

बेरोजगारी अधिक है, उद्योग नष्ट हो रहे हैं, हाथ करघा उद्योग भी अच्छी अवस्था में नहीं है । हमें पर्याप्त सहायता नहीं दी गई है ।

गंधहीन वनस्पति तेलों पर अब ७० रुपये प्रति टन उत्पादन शुल्क लिया जा रहा है । इन में नारियल का तेल भी सम्मिलित है । क्या यह धन आयात किये जाने वाले कोपरा और नारियल के तेल पर आयात शुल्क बढ़ा कर प्राप्त नहीं किया जा सकता ? नारियल के मूल्य पर त्रावनकोर-कोचीन की जनता का जीवन निर्भर करता है । हम श्रीलंका से कोपरा और नारियल का आयात करते हैं जो कि गत कुछ वर्ष से बढ़ता चला जा रहा है । १९४८–४९ में ११४ लाख रुपये, १९५४–५५ में ४४४ लाख रुपये और अप्रैल से दिसम्बर, १९५५ तक ५११ लाख रुपये का कोपरा आयात किया गया । १९५०–५१ में १०६ लाख रुपये का, १९५१–५२ में २३९ लाख रुपये का और १९५४–५५ में १७४ लाख रुपये का नारियल का तेल आयात किया गया । इनके मूल्य घटते-बढ़ते रहते हैं क्योंकि इसका सारा कारबार कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के हाथ में है । परन्तु इस वस्तु पर देश का भविष्य और अर्थ-व्यवस्था आधारित है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि श्रीलंका के कोपरा और नारियल पर आयात शुल्क क्यों नहीं बढ़ाया गया है ?

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा में मेरे राज्य के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । योजना के प्रारूप में यहां के खनिज संसाधनों को देश के औद्योगिक विकास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया गया है और उनके विकास का उत्तरदायित्व राज्य पर डाला गया है । त्रावनकोर-कोचीन के केवल ७०० या ८०० व्यक्ति खनिज उद्योग में काम कर रहे हैं । इसलिये नहीं कि वहां खनिज पदार्थों की कमी है । वहां बाक्साइट, चीनी मिट्टी और ऊष्मसह मिट्टी उपलब्ध है । इस राज्य के एक क्षेत्र में १५० लाख टन प्रति वर्ग मील चीनी मिट्टी पाई जाती है । योजना मंत्री ने बताया कि द्वितीय योजना अवधि में कुम्भकारी पर लगभग आठ करोड़ रुपया खर्च होगा । इसकी मांग तो निश्चित ही है । फिर सरकार एक कुम्भकारी कारखाना क्यों नहीं खोल देती ? कई लाख टन मोनाजाइट वाले रेत का निक्षेप पाया गया है । लिग्नाइट भी उपलब्ध है जिसे एकत्र करने के लिये केन्द्रीय सरकार को एक अग्रिम परियोजना आरम्भ करनी चाहिये ।

हमारे राज्य के टैक्नीशियन्स भाखड़ा नंगल और चितरंजन के कारखानों में काम कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में उन्हें रोजगार नहीं मिलता है ।

ग्रैफाइट और अभ्रक को भी नहीं निकाला जाता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि यह राज्य का ही कर्त्तव्य है, परन्तु मैं पूछता हूं कि इन खनिज पदार्थों के विकास के लिये पंचवर्षीय योजना या इस वर्ष के बजट में कोई अग्रिम परियोजना आरम्भ करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ? बुनियादी उद्योगों के बिना उन्नति करना असम्भव होगा ।

हमारे राज्य में उत्पन्न हुआ रबड़ कलकत्ता और बम्बई भेजा जाता है । इस रबड़ से डनलप कम्पनी आफ इंडिया को १९५० के पश्चात सात करोड़ रुपये का लाभ हुआ है । यातायात के विकास के लिये रबड़ उद्योग का विकास जरूरी है तो क्यों न एक सरकारी कारखाना खोला जाये । यह इसलिये नहीं किया जाता क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि जनता के प्रति न्याय नहीं करते हैं । श्री अच्युतन या श्री थामस ने कभी नहीं कहा कि उनके राज्य की वही दल उपेक्षा कर रहा है जिसके कि वे सदस्य हैं । वहां की मूल समस्या औद्योगिक संसाधनों का विकास करना है । केरल की मूल समस्या वहां के बुनियादी उद्योगों का विकास करना है जिसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

त्रावनकोर-कोचीन की जनता की मांगों के प्रति भारत सरकार के हृदयहीन बर्ताव का मैं विरोध करता हूं । वहां की जनता की मांगों की घोर उपेक्षा की गई है ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक में जो नये कर लगाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में बोलने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की अर्थ-व्यवस्था, कर-व्यवस्था और वित्त-व्यवस्था का मुख्य आधार होना चाहिये सभी लोगों के लिये समान अवसर उपलब्ध करना, धन की वृद्धि तथा सामाजिक और आर्थिक विषमतायें दूर करना ।

इस कसौटी पर अगर हम इस वित्त विधेयक को कसें, या जो आर्थिक नीति बजट में घोषित की गयी है उसको देखें तो मुझे कहना पड़ता है कि यद्यपि हमारी दशा में अवश्य सुधार हुआ है, जिसके लिये कि हम सरकार को बधाई देते हैं, लेकिन यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने जो अपने सामने आर्थिक विषमता को दूर करने का आदर्श रखा है, उस आदर्श की प्राप्ति के लिये कर की प्रणाली में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन होना चाहिये वह हमें देखने में नहीं आ रहा है । इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । कर जांच आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि हम अपना सार्वजनिक व्यय करने के लिये जो कर लगाते हैं वह राष्ट्रीय आय का बहुत थोड़ा हिस्सा है । जब तक कि कर जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है उस समय तक जो कर केन्द्र में, राज्यों में और स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाया जाता था वह हमारी राष्ट्रीय आय का केवल ग्यारहवां हिस्सा था । कर जांच आयोग ने यह भी बतलाया है कि हिन्दुस्तान में कर लगाने के अनेक उद्देश्यों में सब से प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विषमता को दूर करना होना चाहिये । मुझे इस बात की खुशी है कि इस साल कुछ ऐसे कर लगाये गये हैं कि जिन से उस आदर्श की कुछ अंशों में पूर्त्ति होती है । लेकिन मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा कि आर्थिक विषमता को दूर किये बिना उसी तरह समाज की उन्नति नहीं हो सकती जिस तरह कि भूमि को समतल किये बिना उसमें उत्पादन नहीं किया जा सकता । इसलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक चतुर किसान की तरह वे समाज की अर्थ-व्यवस्था को समतल बनाने का प्रयत्न करें और इसमें जो ऊबड़-खाबड़ इस समय है उसको हटावें, तभी समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सकेगा । ये विषमतायें दूर होने पर ही समाज मजबूत हो सकेगा और हम प्रजातन्त्र को मजबूत और सफल बना सकेंगे । इन विषमताओं के रहते हमारी गरीबी, बेरोजगारी, अर्ध बेकारी आदि की समस्यायें हल नहीं हो सकतीं । इन विषमताओं के दूर हुए बगैर साधारण जनता की उन्नति नहीं हो सकती ।

कल मुझे यह सुन कर बहुत खुशी हुई कि कर जांच आयोग ने जिन करों की सिफारिश की है उन पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और अगले पांच वर्षों में उनको धीरे-धीरे लगाने का प्रयत्न करेगी । यह बहुत ही आशावर्धक बात है ।

मैं एक बात की तरफ वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । वह यह कि हमने अपने संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में यह कबूल किया है कि हम हर एक आदमी को काम देंगे और सामाजिक सुरक्षा का काम जल्दी से जल्दी करेंगे । इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री का ध्यान एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि मेरे निजी अनुभव की है । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में गया और वहां सभा की । उस सभा में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि, "मैंने जिन्दगी भर खेतों में काम करके उत्पादन का काम किया है, आज मैं वृद्ध हूं और मेरे परिवार में पुत्र आदि कोई नहीं है, और आज इस वृद्धावस्था में मुझे कोई खिलाने वाला नहीं है" । उसने पूछा कि मेरे लिये स्वराज्य में क्या प्रबन्ध हुआ है ? यह बात सही है कि जो संगठित उद्योग हैं उन में मजदूरों की भलाई के लिये उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिये बहुत काम हुआ है, उनके लिये हमने कानून भी बनाये हैं और केन्द्र ने और राज्यों ने उनकी भलाई के लिये बहुत काम किया है और इसके परिणाम-स्वरूप इन उद्योगों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी दशा में सुधार भी हुआ है । लेकिन जो संगठित नहीं हैं, जिन के पास वाणी नहीं है, जिन की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, वे उपेक्षित हैं । गांवों में आज ऐसे बहुत से भूमिहीन मजदूर हैं जो कि सुबह से शाम तक परिश्रम करके समाज के लिये उत्पादन

करते हैं लेकिन जब उनको बुढ़ापा आता है तो कोई उनको देखने वाला नहीं होता । क्या ऐसे लोगों की तादाद समाज में कुछ कम नहीं है ? ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिश्रम करके देश का उत्पादन बढ़ाते हैं जिस से कि हमारे राष्ट्र की आय बढ़ती है, पर इनके लिये अभी तक न तो केन्द्रीय सरकार और न राज्य सरकारें सामाजिक सुरक्षा का कोई कानून बना सकी हैं । मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह समस्या बहुत बड़ी है । यदि अगले दस सालों में हम ऐसे उपेक्षित भूमिहीन मजदूरों की बुढ़ापे में देख-भाल के लिये और बीमारी के समय चिकित्सा आदि के लिये प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे तो हमारा कल्याण-कारी राज्य का दावा गलत साबित होगा । हमारे संसदीय पुस्तकालय में खेतिहर मजदूरों की आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में की गई जांच की रिपोर्टें मौजूद हैं । उन से इस प्रकार के मजदूरों की दशा का पता चलता है । मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इन रिपोर्टों की समीक्षा और विश्लेषण के लिये एक विशेष समिति निर्माण करें जो उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सम्बन्ध में सुझाव दे । मैं समझता हूं कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों को उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहियें । बिहार में यह दशा है कि जिसके घर में चार आदमी हैं और वह अकेला कमाने वाला है, यदि वह चार दिन के लिये भी मलेरिया से पीड़ित हो जाता है तो उसके घर चूल्हा नहीं जलता । मेरा अनुरोध है कि पंचायतें, या राज्य सरकारें या केन्द्रीय सरकार इन लोगों की इस अवस्था में सहायता करने की कुछ व्यवस्था करें । या इनकी आमदनी (रोज की मजूरी) का कुछ हिस्सा लेकर कोई कंट्रीब्यूटरी स्कीम (अंशदायी योजना) चलायी जाये ताकि बीमारी की अवस्था में इन लोगों को उससे सहारा मिले । इस समस्या की ओर से आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा । यदि आप कहें कि हमने अपने सामने समाजवादी समाज का आदर्श रखा है, तो ऐसा कहने मात्र से उनको कोई संतोष नहीं हो सकता ।

मैं एक जगह अपने प्रान्त में गया तो मुझे एक आदमी ने कहा कि हम घर में दो आदमी हैं और मेरे पास दो बैल हैं । उसने कहा कि जो भूमि सम्बन्धी कानून बन रहा है हो सकता है कि आगे चल कर इससे फायदा हो, लेकिन इस समय यह अवस्था है जो लोग बटाई पर दूसरों के खेत जोत कर अपनी गुजर चलाते थे उनका काम बन्द हो गया है । आज व्यवस्था यह है कि घर में दो आदमी हैं, उनके पास बैल भी हैं, लेकिन उन के पास काम नहीं है । इसका कारण यह है कि आज बिहार में जो बटाईदारी का कानून बन रहा है उसके कारण जमीन वालों ने बटाई की जमीन छीनना शुरू कर दिया है । नतीजा यह है कि ये मजदूर लोग निठल्ले बैठे हुये हैं और उनके पास काम नहीं है । इस कारण वे दुखी रहते हैं । ऐसी स्थिति पैदा होने देना समाज के लिये बड़ा ही खतरनाक है इसलिये मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी कानून बनाया जाये उसमें इनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था अवश्य की जाये ताकि जब वे बेकार या बीमार हो जायें तो उनको आवश्यक सहायता दी जाये । इसका प्रबन्ध ग्राम पंचायत, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार सब को मिलकर करना चाहिये ।

अब मैं इनकमटैक्स डिपार्टमेंट (आय-कर विभाग) के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । यह सही है कि अभी तक मैंने इस विभाग के काम में बहुत कम दिलचस्पी ली है । इनकमटैक्स के कानून के बारे में मेरी ज्यादा जानकारी भी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपने वह किताब देखी होगी जो कि एक श्री एन० नन्दी नामक सज्जन ने लिखी है और वह किताब जिसका कि नाम **"दी इल्ज दैट बिसेट दी इन्कम टैक्स"** है, उसकी प्रतियां सदन के कुछ सदस्यों को उन्होंने दी हैं । मैं उस पूरी किताब को तो नहीं पढ़ सका लेकिन उसके कुछ एक अध्यायों को मैंने अवश्य पढ़ा है । उसी के साथ-साथ कर जांच आयोग की जो सिफारिशें हैं इनकमटैक्स संगठन के सम्बन्ध में, उसको भी मैंने पढ़ा है और उससे पता चलता है कि इनकमटैक्स (आय-कर) की जो कार्यप्रणाली है, उसका जो संगठन है, सेंट्रल बोर्ड आफ

[श्री श्रीनारायण दास]

(रेवन्यू केन्द्रीय राजस्व बोर्ड), इन्सपेक्शन डाइरेक्टरेट (निरीक्षण निदेशालय), इनकमटैक्स ग्राफिसर्स या असिस्टेंट कमिश्नर्स, इन सब के संगठन को देख करके, यद्यपि कर जांच आयोग का उस दृष्टि से संगठन उपयुक्त है या नहीं, संगठन का काम ठीक चलता है या नहीं, संगठन में ट्रेंड (प्रशिक्षित) और योग्य आदमी हैं या नहीं, इस बात की उन्होंने जांच नहीं की है लेकिन फिर भी जो कुछ जांच उन्होंने की, उसके आधार पर उन्होंने इस बात की आवश्यकता बतलाई है कि एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञों) की एक कमेटी बनाई जाये जो इनकमटैक्स वसूल करने के लिये संगठन बना हुआ है, उसकी जांच क । उन्होंने यह भी कहा है कि अभी इस संगठन में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो अनक्वालिफाइड (अनर्ह) हैं और जिनको कि पर्याप्त अनुभव नहीं है। पहले ऐसे ही लोगों को नकमटैक्स आफिसर्स बनाया जाता था जो डिपार्टमेंट में ८-८ या १०-१० वर्ष साधारण कार्य कर चुकते थे और उस जिम्मेदारी के काम को सम्भालने योग्य हो जाते थे लेकिन अब तो शायद एक वर्ष की ट्रेनिंग देने के पश्चात् यह जिम्मेदारी का काम उनको सौंप दिया जाता है। मैं वित्त मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करूंगा कि हालांकि जो किताब लिखी गई है, उस किताब के लिखने का ढंग मुझे पसन्द नहीं है, यह बात मैं मानता हूं लेकिन चूंकि उस किताब में एक एक्स गवर्नमेंट एम्प्लाइ (भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी) ने कुछ सुझाव दिये हैं, तो सरकार को उन सुझावों पर गौर करना चाहिये और उनकी छानबीन होनी चाहिये और अगर उनसे कुछ फायदा सरकार उठा सकती है तो उठाना चाहिये यही मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा।

अन्त में मैं एक बात यह भी कहूंगा कि अभी कल वित्त मंत्री महोदय ने हमें बतलाया कि एक स्पेशल आफिसर नियुक्त किया गया है जिसने कि कहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में स्टाफ (कर्मचारियों) की कमी नहीं है लेकिन कर जांच आयोग की रिपोर्ट में बतलाया गया है कि सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू ने उस कमीशन को बताया कि स्टाफ की कमी की वजह से ही बहुत से महत्वपूर्ण काम नहीं देखे जा सके। कमीशन ने इनकमटैक्स के मामलों का जो ब्योरा दिया है, उससे भी पता चलता है कि इनकमटैक्स के संगठन में जो अफसर लोग काम करते हैं, उनके काम करने के ढंग में शायद कुछ कमी है, वैसे उस डिपार्टमेंट में बहुत से उत्साही अफसर काम करते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है वित्त मंत्री महोदय एक ऐसी समिति का निर्माण करें जो इनकमटैक्स के संगठन के बारे में जांच करें कि वह संगठन समयानुकूल है या नहीं।

एक बात की ओर मैं और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा और हालांकि मैंने उस सम्बन्ध में व्यक्तिगत जांच नहीं की है लेकिन यह सुनने में आया कि किसी एक गांव में इनकमटैक्स आफिसर रहते थे जो कि काम कहीं और दूसरी जगह पर करते थे, वहां से एक मारवाड़ी उनके गांव में आया और उस अफसर की माता के श्राद्ध पर जो हजारों रुपये खर्च हुए, वह सारा खर्च उस मारवाड़ी ने उठाया। दूसरी रिपोर्ट यह सुनने में आयी है कि बहुत से ऐसे इनकमटैक्स विभाग के इन्सपैक्टर्स हैं जिन की कि आय बहुत थोड़ी है लेकिन उनके गांवों में जाइये तो मालूम होगा कि दनादन जमींदारों से वे जमीनें खरीद रहे हैं और उनके बड़े-बड़े मकानात बन रहे हैं और इन चीजों को देखकर लोगों के दिल में यह शक पैदा होता है कि वहां पर अफसर लोग ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और इनकमटैक्स डिपार्टमेंट के अन्दर जो पवित्रता होनी चाहिये, वह विद्यमान नहीं है। मैं जैसा कि अभी श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने कहा था, चाहता हूं कि कानून का अमल इस तरह से होना चाहिये कि जिस से कानून की दृष्टि में अपराधी चाहे वह कोई भी हो बड़ा या छोटा, बच न सके और कानून को इस तरह व्यवहार में न लाया जाना चाहिये जिससे कर की चोरी करने वाले तो बच जायें और जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं वे इसलिये न बच पायें कि वे सम्बन्धित अफसर को खुश नहीं कर सके, मैं इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि इनकमटैक्स में जितने अफसरान काम करने वाले हैं, सब के सब बेईमान हैं, सम्भव है, ज्यादातर

इमानदार ही होंगे, लेकिन जो थोड़े से लोग बेईमानी करते हैं, उन पर खास निगरानी रखनी चाहिये और इस बात की जांच करनी चाहिये कि उनके जो कार्य हैं वे कहां तक देश के हित में हैं और कितने वे ऐसे काम करते हैं जिनका कि जनता पर बुरा असर पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं केवल एक प्रार्थना और करूंगा कि यह जो मोटे कपड़े पर दो पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से उत्पादन शुल्क बढ़ाया जा रहा है, इसका असर ज्यादातर गांव के गरीब आदमियों पर पड़ने वाला है । यह ठीक है कि वित्त मंत्री ने धोतियों और साड़ियों पर उत्पादन शुल्क नहीं बढ़ाया है लेकिन मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि गांवों के रहने वाले कोरदार धोती नहीं पहनते बल्कि वह तो मोटे कपड़े को धोती की तरह इस्तेमाल करते हैं, वे उस मोटे कपड़े का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिस पर कि धोती या साड़ी नाम नहीं लिखा रहता है और इसीलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यह जो दो पैसे प्रति वर्ग गज का उत्पादन शुल्क आपने मोटे कपड़े पर बढ़ाया है उसको हटा दीजिये ।

दूसरे, मैं यह अनुरोध करता हूं कि डीजल आयल जहां तक कि वह खेती के काम में इस्तेमल होता है, उस पर यह टैक्स न लिया जाय तो हिन्दुस्तान के किसानों के लिये हितकर होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उनके कार्यकाल में देश में उत्पादन भी बढ़ा और धन भी बढ़ा । मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो राज्य के निर्देशक सिद्धान्त हैं, उनकी ओर बराबर ध्यान रखें ताकि हमने जो अपने देश में हर तरह की विषमता को मिटा कर एक समाजवादी समाज की स्थापना की कल्पना की है उसको स्थापित करने में कामयाब हों ।

†**श्री जी० एच० देशपांडे** (नासिक—मध्य) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं ।

हमें स्वतन्त्र हुए नौ वर्ष हो गये हैं और इन वर्षों में हम ने काफी उन्नति की है । इस वर्ष इस उन्नति की गति को बढ़ा दिया गया है और कराधान की कुछ नई प्रस्तावनायें रखी गई हैं । इससे कठिनाई तो होगी परन्तु नवीन कर लगाये बिना देश उन्नति नहीं कर सकता है । स्वतन्त्रता के साथ-साथ जो समस्यायें हमारे समक्ष आई थीं उनको हल करने में हम कुछ हद तक सफल रहे हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय खाद्य की बड़ी कमी थी अतः कुछ परियोजनायें आरम्भ की गईं जिनसे हमें लाभ हुआ और उनके परिणाम सन्तोषजनक निकले । हमने अपने लक्ष्यों से अधिक उत्पादन किया है । अब हमें दूसरे दृष्टिकोण से कार्य करना होगा । हमें उन लोगों की आर्थिक और सामाजिक हालत को सुधारने के प्रयत्न करने होंगे जो कई शताब्दियों से पिछड़े हुए हैं । अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन प्रदेशों की उपेक्षा नहीं की जा सकती जिन की हालत अच्छी नहीं है । जैसे कि मेरे प्रदेश में सिंचाई पर लागत बहुत अधिक आती है । कुल १७० लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था की गई है परन्तु मेरे प्रदेश में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है । वहां सिंचाई की केवल एक मुख्य परियोजना गोगापुर परियोजना आरम्भ की गई थी । इस पर पहले ३३४ लाख रुपये की लागत आने का अनुमान था परन्तु अब उसे बढ़ा कर चार करोड़ रुपया कर दिया गया है । इसका कार्य १९४९ में आरम्भ हुआ था परन्तु अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

गत पांच वर्षों में मराठी भाषी लोगों की शिकायत यह रही थी कि उनके हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था परन्तु मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना में उनके लिये हितकर कुछ योजनायें सम्मिलित कर ली गई हैं । कमी वाले क्षेत्रों के लिये कुछ अधिक लागत वाली परियोजनायें आरम्भ करनी होंगी परन्तु वे रक्षात्मक योजनायें होंगी । तभी इन प्रदेशों की समस्या हल होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जी० एच० देशपांडे]

आप देखेंगे कि मराठी प्रदेश को मध्य प्रदेश से भी कुछ आर्थिक हानि पहुंची है हैदराबाद राज्य में भी मराठवाड़ा क्षेत्र उपेक्षित था। पंचवर्षीय योजना में भी इन क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। मराठवाड़ा में एक भी बड़ी परियोजना आरम्भ नहीं की गई। मेरे जिले में गोदावरी नदी बहती है जो औरंगाबाद और मराठवाड़ा में होकर जाती है। हम कुरुंडवाड़ परियोजना के लिये अनुरोध कर रहे हैं। इससे औरंगाबाद जिले के कमी वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा।

बड़े उद्योग स्थापित करने के लिये कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है और हर एक स्थान उनके लिये उपयुक्त नहीं होता है, परन्तु जहां तक कुटीर उद्योगों का सम्बन्ध है देश भर में उनका जाल बिछाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इसके बिना रोजगार की समस्या हल नहीं की जा सकती।

गत नौ वर्ष में हरिजनों और आदिवासियों के लिये बहुत कुछ किया गया है परन्तु ग्रामों में जाकर देखने से पता चलता है कि अभी भी शहरी और ग्रामीण जीवन में कितना अन्तर है। इसका कारण बिजली और संचार साधनों का अभाव है। वहां के स्कूलों में पढ़ाने के लिये अधिक वेतन पर भी योग्य अध्यापक नहीं मिलते हैं क्योंकि वहां बिजली आदि की सुविधायें नहीं हैं। जब तक बिजली और संचार साधनों की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक ग्रामीण जीवन में सुधार करना असम्भव है।

हरिजनों के विषय पर कई बार चर्चा की जा चुकी है। मैं गत ३५ वर्ष से इनके सुधार के लिये कार्य कर रहा हूं। मुझे आशा है कि १० या १२ वर्ष में यह समस्या हल हो जायेगी। परन्तु इन ३५ वर्षों में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा है। दूर स्थित ग्रामों में लोग अब भी अन्धविश्वासी हैं। आप के सामने लोग भले ही कह दें कि हरिजनों को प्रत्येक सुविधा दी जाती है और विधि का पालन किया जाता है, परन्तु वास्तव में ऐसी हालत नहीं है। अकेले में हरिजन स्वीकार करते हैं कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। इसका एक मात्र उपचार यही है कि हरिजनों के सुधार के लिये अधिनियमित विधि कठोरता से लागू की जाये। इसका तरीका यह हो कि प्रत्येक गांव में एक पंजी रखी जाये और जो भी पदाधिकारी वहां जाये वह सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनों को कुएं पर लेजा-कर पानी पिलाये और उन्हें मन्दिर में ले जाये। ५० या ६० बार ऐसा करने पर वे लोग भी इसका समर्थन करने लगेंगे जो इस समय अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में नहीं है। इसके बिना ग्रामीण क्षेत्रों से अस्पृश्यता को नहीं हटाया जा सकता।

अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए लोगों और प्रदेशों को सामने रखा जाये और कुटीर उद्योग स्थापित किये जायें।

संचार साधनों और यातायात सुविधाओं में भी सुधार होना चाहिये। मेरा अनुभव है कि यातायात विभाग का कार्य ठीक प्रकार नहीं चल रहा है।

बम्बई-आगरा सडक, जिस पर यातायात सबसे अधिक है, मेरे जिले के बीच से होकर जाती है। नासिक से बम्बई तक सड़क अच्छी है परन्तु थाना और नासिक के बीच वाले टुकड़े की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। गोदावरी नदी पर इस सड़क का जो पुल है वह बहुत पुराना हो चुका है और मैं कई वर्ष से लिख रहा हूं परन्तु गत चार या पांच वर्षों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। देश के राजपथों की यह हालत है। देश की प्रगति कार्यकुशल संचार साधनों और सक्षम यातायात पर निर्भर करती है।

उसकी भी जांच की जानी चाहिये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसकी उचित जांच पड़ताल नहीं की गई थी। यदि उन दिनों परिवहन की पर्याप्त सुविधायें होतीं, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कहीं अधिक लाभदायिनी सिद्ध हुई होती।

योजना आयोग का एक प्रस्ताव यह भी है कि नासिक के भारतीय सुरक्षा प्रेस के लिये अपेक्षित कागज बनाने के लिये एक कागज बनाने की मिल स्थापित की जाये। इसे नासिक में ही स्थापित किया जाना चाहिये, अन्यथा हमें प्रति दिन परिवहन पर काफी रुपया खर्च करना पड़ेगा। नासिक में पानी और बिजली की सुविधायें प्राप्त हैं ही ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था, और अब उससे दूनी संख्या के ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा। लेकिन, मेरी तरफ के तो एक भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। कोयला परियोजना तो केवल बम्बई और दक्षिणी महाराष्ट्र के लिये ही है। उत्तरी महाराष्ट्र के लिये कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों रांधा-भान्दरदर योजना को आरम्भ नहीं किया गया है यद्यपि बम्बई सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया था।

हमें अधिक विद्युत्, ग्राम विद्युतीकरण, अधिक सिंचाई, अस्पृश्यता निवारण और उत्तम परिवहन तथा संचार की सुविधाओं की आवश्यक्ता है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** (त्रिवेन्द्रम्) : वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस काल में राष्ट्रीय विनियोजन कितना किया गया है और विनियोजन में लगी पूंजी में बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय की प्रतिशतता कितनी है? यदि हमारी राष्ट्रीय आय हमारे कुल विनियोजन के अनुसार ही बढ़ी है, तो मेरा विचार है कि हमने कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की है।

मैं वित्त विधेयक का जोरदार विरोध करती हूं। वित्त मंत्री सदैव ही कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदनों को शास्त्रों की भांति उद्धत करते रहते हैं, पर वे प्रतिवेदन कभी भी लोक-सभा के सामने नहीं रखे जाते हैं। उन प्रतिवेदनों को जनता की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। फिर भी, उनको आधार बनाकर करों में वृद्धि की जाती है। सन् १९४७ से प्रति वर्ष करों का भार बढ़ता गया है, और इसके लिये पंचवर्षीय योजनाओं का बहाना बताया जाता है। आर्थिक तंगी के समय में तो प्रतिवर्ष नये-नये कर लगाये जाने का कुछ औचित्य भी होता है लेकिन वित्त मंत्री इस समय में इन प्रस्तावित नये करों के लगाये जाने का क्या औचित्य बतायेंगे ?

हमारे देश में काफी राष्ट्रीय अपव्यय हो रहा है। हाल की रिपोर्टों से पता लगता है कि भाखड़ा-नंगल परियोजना में लगभग १० करोड़ रुपयों का अपव्यय हुआ है। उत्पादन मंत्रालय में ५० करोड़ रुपये लगाकर हमने उसका क्या फल पाया है? क्या हमारा उत्पादन हमारे विनियोजन के अनुपात से बढ़ा है? यदि नहीं, तो वह अपव्यय ही है।

इस अपव्यय को देखते हुए, मैं इन नये करों का विरोध करती हूं।

माननीय मंत्री अपने प्रशासन द्वारा रखे जाने वाले कुछ रिकार्डों को देखें। उदाहरण के लिये, वाणिज्यिक आंकड़ों को ही लीजिये। इस संगठन पर प्रति वर्ष ८०–९० लाख रुपये खर्च किये जाते हैं। वे रिकार्ड बड़े ही त्रुटिपूर्ण रहते हैं। यह संगठन अपनी गलतियां ठीक भी नहीं करता है। सन् १९४७ से १९५६ की अवधि में हम अपने उद्योगों का विकास करते रहे हैं, पर उसका कुल परिणाम क्या है? अब भी हमारा आयात हमारे निर्यात से कहीं अधिक है। यहां तक कि सूती कटपीसों जैसी वस्तुओं में भी हमारा आयात हमारे निर्यात से अधिक है। यह वही सूती कपड़ा उद्योग है जिस के सम्बन्ध में हम अपनी निर्यात-सामर्थ्य की डींग मारते हैं। हम ऐसे रेशमी कपड़े का भी आयात करते हैं, जिसे हम अपने यहां आसानी से तैयार कर सकते हैं। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में भी हमारा कहना है कि हम चावल का निर्यात कर सकने की स्थिति में हैं। लेकिन, मंत्रालय के इस विभाग के ही आंकड़े बताते हैं

†मूल अंग्रेजी में

[कुमारी एनी मैस्करीन]

कि हमने खाद्यान्नों का भी आयात किया है, हालांकि उसमें उनका मूल्य नहीं बताया गया है । उसका पूरा ब्योरा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । यह मार्च १९५५ का अभिलेख है । मैंने इस तारांकित टिप्पणी को १९४७ तक देखा है । प्रति व यही टिप्पणी दे दी जाती है कि उसमें खाद्यान्नों और भंडारों के कुछ विशेष आयातों का मूल्य सम्मिलित नहीं है, और उसके पूरे विवरण अभी उपलब्ध नहीं हैं । इसका क्या अर्थ है कि १९४७ से १९५५ तक भी उन आयातों का विवरण उपलब्ध नहीं है ? हमें उनकी कीमत भी तो अदा करनी पड़ती है । क्या यही लोकतन्त्रात्मक तरीका है ? इसका कोई भी औचित्य नहीं बताया जाता है, और वित्त मंत्री नये कर लगाने का प्रस्ताव रखते हैं ।

पिछले वर्ष, वित्त मंत्री ने कुछ मदों पर लगाये गये कुछ करों को वापिस ले लिया था । कल भी उन्होंने कहा कि पंजीबद्ध व्यावसायिक संस्थाओं और निगमों पर लगाये गये कुछ करों को कम किया गया है । यदि वे इस वर्ष भी, अपने कराधान को कुछ शिथिल कर दें, तो उससे जनता को बड़ा लाभ होगा ।

देश के राष्ट्रीय विकास को देखने से पता चलता है कि हमारा वित्तीय प्रशासन ठीक नीति के अनुसार नहीं हो रहा है । कराधान तो केवल मूलभूत उद्देश्यों––जैसे उत्पादन, वितरण और विनिमय–– के लिये ही किया जाना चाहिये । त्रावनकोर-कोचीन के लिये कभी भी कोई योजना नहीं बनाई गई है । उसके लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना का कोई अर्थ ही नहीं रहा है । वहां देश भर में सब से अधिक साक्षरता और सबसे घनी आबादी होते हुए भी, बेरोजगारी सबसे अधिक है, और वह बढ़ती ही जा रही है ।

मेरे राज्य के कामदिलाऊ दफ्तर बड़े शानदार रिकार्ड दिखाने के लिये तैयार रखते हैं, पर इन दफ्तरों में हमेशा भीड़ ही लगी रहती है । उनसे लोगों को काम नहीं मिलता और वे रिकार्ड यथार्थ के अनुरूप नहीं हैं ।

विद्युत् शक्ति की सहायता से तैयार किये गये साबुन पर एक नया कर लगाया गया है । इससे हमारे देशी उद्योग और निजी क्षेत्र को धक्का लगेगा । हमारे देश में तो परिस्थिति यह है कि विदेशी समवाय अपनी मशीनें, विनियोजन आदि लेकर यहां आते हैं और 'भारत में निर्मित' बता कर अपना साबुन हमें बेचते हैं । विदेशी समवाय हमारे देशी उद्योगों के साथ प्रतियोगिता करते हैं, और इस नये कराधान से विदेशी समवायों को ही फायदा पहुंचेगा ।

इसके बाद, मैं वित्त मंत्री का ध्यान उनकी वित्तीय नीति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । अभी तक हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की नीति का अनुसरण करते रहे हैं, अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को साथ मिलाकर रखने की । लेकिन, हाल ही में निजी क्षेत्र पीछे हटता जा रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है । यह स्थिति उत्साहवर्धक है; पर हम इसी दिशा में क्यों आगे बढ़ते जायें ?

दूसरी बात यह है कि हमारा अनुभव यह है कि सरकार जिस भी उद्योग को अपने हाथों में लेती है वही उद्योग घाटे में चलने लगता है । इस देश की प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाये । लोकतंत्रात्मक समृद्धि की ओर बढ़ने वाले देशों के लिये पहले कुछ वर्षों में पूंजीवाद आवश्यक है । निजी क्षेत्र के लड़खड़ाने का मुख्य कारण है उस पर तमाम करों का बोझ बढ़ता जाता है । वित्त मंत्री ने स्वयं कहा था कि कृषि जन्य वस्तुओं की कीमतों के गिरने के कारण उद्योग में बिना बिका हुआ भंडार बढ़ता जा रहा था, और इसीलिये उन्हें कुछ करों को घटाना पड़ा था । इससे पता चलता है कि वित्त मंत्री ने इसका अध्ययन नहीं किया है कि उनकी कराधान नीति के बारे में उद्योगों की क्या प्रतिक्रिया है । निजी क्षेत्र की उपेक्षा करना और ऐसे दायित्वों को सम्भालना

जिन्हें हम निभा नहीं सकते, कोई बुद्धि संगत नीति नहीं कही जा सकती है। लोकतन्त्र में तो जनता को ही दायित्व संभालने के लिये उत्साहित करना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल–पूर्व व जिला मुरादाबाद–उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि वित्त विधेयक पर या सामान्य बजट (आय-व्यय) पर बोलने का मेरा यह पहला अवसर है, इसलिये मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने जिस योग्यता और जिस कर्मठता के साथ देश की अर्थ-व्यवस्था को सम्भाला हुआ है और उसमें वे जो स्थायित्व और स्थिरता लाये हैं, उसके लिये उनको बधाई दूं। मैं समझता हूं कि जैसा कि उनका नाम है उसके अनुरूप ही उन्होंने देश के मुख को उज्ज्वल किया है और उसकी कीर्त्ति पर चार चांद लगा दिये हैं। यह भी देखने में आया कि यद्यपि सैद्धान्तिक कारणों से उन्होंने मंत्रिपद से शायद कम से कम तीन बार त्यागपत्र देने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी प्रधान मंत्री महोदय के अनुरोध पर और देश की पुकार को सुनते हुये उन्होंने अपने पद पर बने रहना स्वीकार किया, जिस से यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे देश के विकास के लिये वे कितने अपरिहार्य हैं और उन्होंने कितनी सफलता के साथ अपने कार्य को निभाया है।

कल वित्त मंत्री महोदय ने करों में कुछ कमी करने की घोषणा की है; करों के सम्बन्ध में दी जाने वाली उस राहत का हम सब को स्वागत करना चाहिये। इस सम्बन्ध में, मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी करों में और अधिक छूट देने की आवश्यकता है, विशेष कर साबुन के सम्बन्ध में। साबुन के ऊपर कर लगाने के सम्बन्ध में बतलाया गया है कि २०० टन से अधिक जिसका वार्षिक उत्पादन है उसके ऊपर ही कुछ कर लगाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि भले ही उस पर कर लगाने की सीमा कितनी ही ऊपर रखी गई हो, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव देश के साधारण से साधारण नागरिक पर पड़े बिना नहीं रह सकता। साबुन हमारी दैनिक आवश्यकता की चीज है, छोटे बड़े सब के काम में आने वाली वस्तु है, और उसे स्वच्छता और सभ्यता का प्रतीक माना जा सकता है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे उस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें।

हमें कर निर्धारण में बहुत ही सतर्क होने की आवश्यकता है। अभी हमने समाचारपत्रों में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिक्री कर की जो नई दरें लागू कीं उसकी वजह से कांग्रेसी उम्मीदवार आगरा और हरदोई के चुनाव में हार गये। यह हमारे लिये चेतावनी और खतरे की घंटी है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में पहले से ही बहुत सतर्क हैं और इसलिये वे किसी ऐसी वस्तु पर कर लगाने का प्रयत्न नहीं करेंगे जो कि आम जनता के जीवन की आवश्यकता के लिये अनिवार्य हो। मैं तो समझता हूं कि उसके बजाय उन शृंगार और प्रसाधन आदि की सामग्री पर कर लगाना चाहिये और उसके सम्बन्ध में मैं आगे चल कर और उल्लेख करूंगा।

आज देश की जनता पंचवर्षीय विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिये अधिक से अधिक कुर्बानी करने को तैयार है, लेकिन उसके साथ ही देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि जो धन एकत्र होता है, वास्तव में उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। मैं एक ही बात आपके सामने रखता हूं कि कुछ दिनों पहले इस सदन में यह प्रश्न किया गया था कि क्या सीमेंट और अन्य भवन निर्माण सामग्री की कमी के कारण हमारी राजधानी में जो बड़ा भारी निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है उसको धक्का पहुंचा है या नहीं ? और उसे स्वीकार किया गया था। मैं बड़े विनम्र शब्दों में पूछना चाहता हूं कि जब कि हमारे देश के बड़े-बड़े नगरों में आलीशान महल और इमारतें खाली पड़ी हैं और नये राज्य-पुनर्गठन की वजह से शायद बहुत सी हमारी राजधानियां सुनसान होने वाली ह, जैसे कि पटियाला है, नागपुर है या इसी तरह के और स्थान हैं, जहां कि बहुत से भवन खाली होने वाले हैं, जैसे रीवां और ग्वालियर का प्रश्न है, क्या दिल्ली से कुछ सरकारी कार्यालयों को उन जगहों पर

[श्री भक्त दर्शन]

हटाया नहीं जा सकता और क्या इस तरह दिल्ली में जो कंजेशन (जन-संकुलता) बढ़ रहा है उसको कम नहीं किया जा सकता है ? क्या यह उचित होगा कि दिल्ली में हम आये दिन दफ्तरों के लिये आलीशन इमारतें बनाते जायें और उन स्थानों पर वे आलीशान इमारतें बिना काम के खाली पड़ी रहें और उनकी मरम्मत भी न हो सके और उनकी पुताई भी न हो सके ? मैं समझता हूं कि दिल्ली से कुछ सरकारी कार्यालयों को उन जगहों पर भेजने के सम्बन्ध में गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अभी किसान परिषद् का सम्मेलन जो इस महीने के प्रारम्भ में तालकटोरा क्लब में हुआ था, उसमें हमारे प्रधान मंत्री महोदय भी सम्मिलित हुये थे । आप जानते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय इसके अतिरिक्त और कितने ही बड़े-बड़े समारोहों और सम्मेलनों में भाग लेते रहते हैं और लाखों की जनता के बीच में भाषण देते रहते हैं । उन्होंने इस तरह के सम्मेलनों और कान्फ्रेंसों की जो भरमार होती जा रही है उसकी वजह से उकता कर स्वयं यह शब्द कहे थे कि यदि उन सम्मेलनों पर होने वाला खर्च, अन्य उपयोगी कार्यों पर खर्च किया जाय तो अच्छा होगा । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस ओर अपना ध्यान दें और आये दिन जो हजारों और लाखों रुपया इस प्रकार के सम्मेलनों पर और चाय-पानी इत्यादि पर खर्च हो जाता है, उस पर जरा बारीकी और दृढ़ता के साथ छानबीन करके केवल आवश्यक रकम की व्यवस्था ऐसे सम्मेलनों के लिये बजट में रखें और उसके खर्च की मंजूरी दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने बजट-भाषण के अन्त में कहा था कि देश को उन्नतिशील और समृद्धिशाली बनाने के लिये जनता को अधिक से अधिक कुर्बानी करने के लिये तैयार होना चाहिये, उसके सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि जनता हर तरह की कुर्बानी करने को तैयार है, लेकिन मैं उनसे बहुत नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या हमने उस कुर्बानी के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार किया है ? क्या हमने अपने उच्च आदर्श के द्वारा एक सादगी का इस तरह का वातावरण देश के अन्दर तैयार किया है । आज हमारी दिल्ली की क्या हालत है ? मैं समझता हूं कि दिल्ली को देख कर हम असली भारत को नहीं पहचान सकते । मुझे अभी तक पेरिस और न्यूयार्क जाने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ वर्णन मैंने उनके बारे में किताबों में पढ़ा है, उसके आधार पर ऐसा मालूम होता है कि शायद पेरिस और न्यूयार्क उठ कर हमारी इस दिल्ली की नगरी में आ गये हों ।

आज हालत यह हो गई है कि राजधानी में राष्ट्रपति भवन में जो राजकीय समारोह होते रहते हैं वहां पर भी मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाय कि हमारी महिलायें इस तरह से शृंगार और प्रसाधन सामग्री से लैस होकर आती हैं कि एक भद्दापन सा मालूम पड़ता है और मैं समझता हूं कि यह महिला जाति पर एक कलंक है । हमारी बहिनों द्वारा हद का फैशन किये जाने के सम्बन्ध में मेरे आदरणीय मित्र श्री महाबीर त्यागी ने कुछ दिनों पहले एक लेख में लिखा था कि आजकल विभिन्न समारोहों के अवसरों पर हमारी महिलायें प्रसाधन सामग्री से इस कदर लद कर आती हैं कि मालूम होता है कि मानों "लाल चोंच और खूनी पंजों वाली परियां" आ रही हों । शृंगार का अपना स्थान है और वह किसी हद तक आवश्यक है और इसमें कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं है कि वह सौन्दर्य को बढ़ाता है, लेकिन उसको इस हद तक ले जाना कि उसमें भद्दापन आ जाय, यह बड़ा अक्षम्य अपराध है ।

इस सम्बन्ध में आप को याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले माननीय पंत जी ने किसान परिषद् की मीटिंग में गांवों से आई हुई कुछ महिलाओं को जब होठों में लिपिस्टक लगाये हुये देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि अगर गांवों की औरतें भी लिपस्टिक का प्रयोग करने लगीं तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा और उन्होंने उनको उसका प्रयोग न करने की सलाह दी । इसी

फैशनपरस्ती के विषय पर कोई उपद्रववादी या विप्लववादी कवि नहीं बल्कि मेरे मित्र श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' सदस्य राज्य सभा ने "**दिल्ली की रेशमी दुनिया**" के शीर्षक से जो एक कविता लिखी है, उसी के दो तीन पद मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"वेतनभोगिनी विलासमयी यह देवपुरी,
ऊंघती कल्पनाओं से जिसका नाता है,
जिसको इतनी चिन्ता का भी अवकाश नहीं
खाते हैं जो वह अन्न कौन उपजाता है।

* * *

ये जो फूलों के चीरों में चमचमा रहीं,
मधुमुखी इन्द्रजाया की सहचरियां होंगी,
ये जो यौवन की धूम मचाये फिरती हैं,
भूतल पर भटकी हुई इन्द्र परियां होंगी।

* * *

भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला,
भारत अब भी आकुल विपत्ति के घेरे में,
दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल-पहल,
पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में।"

कुछ माननीय सदस्य—क्या मिनिस्टर साहब भी कविता में उत्तर देंगे ?

श्री भक्त दर्शन : हमारे वित्त मंत्री महोदय मैं समझता हूं कि जरूर इसका संस्कृत में उत्तर देने की कृपा करेंगे, वे तो आशु कवि हैं और कविता में ही इसका उत्तर देंगे।

मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस पर विचार किया है कि इस प्रकार की प्रसाधन सामग्री और कौसमैटिक्स आदि पर भारी कर लगाया जाय ? दूसरी चीज यह हो सकती है कि अगर ऐसा किसी कारण से न किया जा सकता हो तो कम से कम जितने राजकीय समारोह हैं, राष्ट्रपति भवन में जितने समारोह होते हैं और जिन समारोहों में स्वयं राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री उपस्थित रहते हैं वहां किसी भारतीय को कम से कम उस समय तक जब तक कि हमारा देश गरीब है और जब तक कि हमारा देश सम्पन्न नहीं होता है, कम से कम १५–२० वर्ष तक के लिये, इस बात की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि इस तरह की शृंगार और प्रसाधन सामग्री का उपयोग नहीं करेगा।

इसी सिलसिले में, मुझे यह भी कहना है कि दो वर्ष पहिले गृह-मंत्रालय ने एक सर्कुलर (परिपत्र) निकाला था कि जितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारीगण हैं वे कम से कम इतनी तो देश के लिये कुर्बानी करें कि वे बन्द गले का कोट पहन कर राजकीय समारोहों में जाया करें। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे उस आदेश का कहां तक पालन किया जा रहा है ? क्या इस बारे में हमारे गृह-मंत्रालय ने कोई जांच पड़ताल की है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई बड़ी भारी बात नहीं है, यह केवल एक मनोवैज्ञानिक बात है, जिससे कि मालूम होता है कि हमारा देश किधर जा रहा है।

हमने एक सोशल वेलफेयर बोर्ड (समाज कल्याण बोर्ड) कायम किया है; उसका काम काफी चल रहा है और मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। उसकी अध्यक्षा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख हैं और इस नाते मैं श्री देशमुख साहब से अनुरोध करूंगा कि उस बोर्ड के द्वारा महिला समाज में इस बात का प्रचार किया जाय कि देश का जो लाखों और करोड़ों रुपय इस तरह की व्यर्थ की शृंगार और प्रसाधन

[श्री भक्त दर्शन]

की सामग्रियों को बाहर से मंगाने पर खर्च हो रहा है, वह बचाया जाय और उनको सादगी के साथ जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी जाय । वह रुपया हमारे देश के कुटीर और गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन देने में और रक्षा के कार्यों को बढ़ाने में लगाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में अब की बार कोई बहस यहां पर नहीं हो सकी है, इसलिये मैं इस अवसर का लाभ उठा कर थोड़े से शब्दों में अपना दृष्टिकोण उस मंत्रालय के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं । डा० केसकर इस विभाग का कार्य काफी योग्यता और दक्षता के साथ चला रहे हैं और उनके कार्यकाल में इस विभाग ने काफी उन्नति की है । मैं देख रहा हूं कि हमारे कामत साहब जिन को कि मैं "कयामत" कहता हूं, अपना सिर हिला रहे हैं·····

श्री कामत (होशंगाबाद) : कयामत के दिन हाजिर रहना चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : हम लोग कयामत से नहीं घबराते, कयामत से लड़ कर ही तो यहां पर आये हैं······

श्री कामत : कयामत का दिन आने वाला है । भक्तों की परीक्षा होगी ।

श्री भक्त दर्शन : खैर, तो मैं आप से कह रहा था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्य हमारे डा० केसकर जी बड़ी खूबी और योग्यता के साथ चला रहे हैं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि डा० केसकर साहब ने ऑल इंडिया रेडियो में फिल्म संगीत को कम करके और उसके बदले वहां पर शास्त्रीय संगीत को बढ़ा कर बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है । कई क्षेत्रों में उसका वड़ा विरोध हुआ, लेकिन वह अपने स्थान पर अटल रहे और अन्त में सफल हुये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह उस ओर और भी कदम आगे बढ़ायें ।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि दो या तीन दिन हुये कांग्रेस कार्य समिति ने इस बात पर विचार किया कि हमारे देश में जो चलचित्र बनते हैं, जो फिल्म उद्योग है, उस की वजह से देश का कितना चारित्रिक पतन हो रहा है, और उसने यह सिफारिश की है कि उस पर कड़ा नियन्त्रण लगाया जाय । जहां तक मुझे याद पड़ता है डा० केसकर साहब भी उसमें उपस्थित थे । आजकल हालत यह हो रही है कि विद्यार्थी स्कूल और कालेज न जा कर यह समझने लग गये हैं कि सिनेमा जाना उन का परम और प्रथम कर्त्तव्य है । लखनऊ के बारे में मैंने एक किस्सा सुना कि वहां पर इस बात के लिये हड़ताल हो गई कि वहां पर किसी सिनेमा के लिये विद्यार्थियों को कंसेशन (रियायत) नहीं मिला । आप जरा इस बात को सोचिये कि वहां पर विद्यार्थी लोग सिनेमा के लिये हड़ताल करते हैं, जो कि किसी भी लड़ाई का आखिरी अस्त्र हुआ करता है । और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया यहां जितना फैशन है, और जितनी नई-नई बातें हैं वे सब फिल्मों से आरम्भ होती हैं । वह गांवों के चरवाहों तक में पहुंच गई हैं और वह लोग अपने ग्रामगीतों को भूलते जाते हैं और दिन-रात फिल्मी गीत ही गाया करते हैं ।

हमारे वित्त मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रीयकरण के घोर पक्षपाती हैं । उन्होंने राज्य बैंक स्थापित कर दिया और जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया । आखिर वह इस फिल्म-उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में क्यों देरी कर रहे हैं ? यह हमारे हाथ में एक बड़ा शस्त्र हो सकता है जिस के द्वारा हम सारी जनता को शिक्षित कर सकते हैं और उसके नैतिक स्तर को ऊपर ले जा सकते हैं । आज हमारे वित्त मंत्री जी को मालूम है कि देश में तारिकाओं के बारे में क्या किस्सा चल रहा है । जब उन का एक लाख रुपये का कंट्रेक्ट (ठेका) होता है तो वे चालीस हजार रुपये ही दिखाती हैं । और इस तरह से इनकमटैक्स को कम करने का प्रयत्न वे करती रहती ह । इसके

बारे में मुझे एक ही इलाज दिखाई देता है और वह यह है कि देश में सारे फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय । अगर हम को अपने देश का नैतिक चरित्र ठीक करना है मैं अपने को प्योरिटन (कठमुल्ला) तो नहीं कहता, जो कि देश को पीछे ले जाना चाहता है लेकिन वास्तव में वित्त मंत्री जी, जो कि आधुनिक युग के प्रतीक हैं, इस बात को सोचें कि आज सिनेमा व्यवसाय के कारण देश कितने चारित्रिक पतन को पहुंच गया है और इस के लिये जोरों से कदम उठाने की आवश्यकता है । इससे मैं समझता हूं कि केन्द्र को रुपया भी अधिक मिलेगा, क्योंकि उस स्थिति में कोई भी अपनी आय को छिपा नहीं सकेगा, और मनोरंजन के साथ-साथ लोगों को शिक्षा भी दी जा सकेगी ।

जैसे संसद् सदस्यों को समय-समय पर फिल्म आडिटोरियम (चलचित्रगृह) में फिल्में दिखाई जाती हैं, वृत्त-चित्र दिखाये जाते हैं, उसी तरह से हर एक स्कूल और कालेज में उनका प्रदर्शन करना चाहिये और इसके लिये वृत्त-चित्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है । इस तरह से स्कूल और कालेजों में वृत्त-चित्रों के दिखाने से विद्यार्थियों को मालूम हो सकेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है । आज शायद हम लोगों को भी पूरी तरह से नहीं मालूम कि देश में क्या हो रहा है और जनता कितनी कुर्बानी कर रही है । वृत्त-चित्रों द्वारा हम सब लोगों को जनता के समीप पहुंचा सकते हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि जितना रुपया फिल्म्स डिवीजन के लिये रखा जाता है उसको और बढ़ाया जाय । अब देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहना चाहिये जहां के रीति-रिवाजों के बारे में, वहां के ग्राम-गीतों के बारे में और वहां की संस्कृति के बारे में चित्र न बन जायें । अगर ज्यादा चित्र इस प्रकार के बनाये जायेंगे, तो हम उन के द्वारा सारे देश को नजदीक ला सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, केवल माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह इन सुझावों पर विचार करें और डा० केसकर साहब, जो कि अभी तक यहां तशरीफ रखते थे, वह भी इस पर विचार करने की कृपा करें ।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : हर वर्ष यही कहा जाता है कि हमारा व्यय बढ़ रहा है और इसीलिये हम अधिक कर लगाना चाहते हैं । लेकिन किन मदों पर हमारा व्यय कितना बढ़ा है ।

१९५०-५१ में हमारा आय-व्ययक ४१०.८८ करोड़ रुपयों का था, और इस वर्ष वह ५४५ करोड़ रुपयों का है । इस व्यय की बढ़ती की सबसे मुख्य मद असैनिक प्रशासन ही है । १९५२–५३ में असैनिक प्रशासन पर ५१.७० करोड़ व्यय किया गया था, और इस वर्ष वह १३५.९१ करोड़ रुपये है । यदि हम विभिन्न विभागों को अलग-अलग लें, तो १९५२–५३ में पशु-चिकित्सा विभाग पर ३२,७५,००० रुपये व्यय हुये थे, और इस वर्ष १,२२,००,००० रुपये रखे गये हैं । सहकारिता के लिये उस वर्ष केवल ९२,००० रुपये खर्च किये गये थे, लेकिन इस वर्ष १.०३ करोड़ रुपये रखे गये हैं । शिक्षा के लिये इस वर्ष, पहले के ३.३८ करोड़ रुपये के स्थान पर, २१.६२ करोड़ रुपयों का व्यय उपबन्धित है । चिकित्सा विभाग, जन स्वास्थ्य, कृषि उद्योग और सम्भरण, विज्ञान सम्बन्धी विभाग—इन सभी विभागों पर हमारा व्यय बढ़ता गया है । प्रति वर्ष इन विभागों का व्यय और अधिक बढ़ाये जाने की मांग होती है । विज्ञान सम्बन्धी विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, पर हम उस पर इस वर्ष १४.५९ करोड़ रुपये ही व्यय करेंगे, जबकि उस पर अमरीका में १९५३ में लगभग १,००० करोड़ रुपये, और उसी वर्ष इंग्लैंड में उस पर २८० करोड़ रुपये व्यय किये गये थे । हमें इतने अधिक विभागों का विकास करना है, इसलिये यह आवश्यक है कि हम अपने राजस्व के सभी स्रोतों का उपयोग करें ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आल्तेकर]

दूसरी आलोचना यह की जाती है कि हम प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष करों का अधिकाधिक सहारा लेते जा रहे हैं। इसके लिये, हमें अपने देश के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अनुपात की तुलना अन्य देशों के इसके अनुपात से करनी चाहिये। इस वर्ष, हमारे सारे प्रत्यक्ष कर १३५·०२ करोड़ तक पहुंचते हैं, जो हमारे कुल कराधान का २५·६ प्रतिशत है। १९५०-५१ में प्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता ३०·६ थी। लेकिन गत पांच वर्षों में प्रत्यक्ष कर उतने नहीं बढ़े हैं जितने कि अप्रत्यक्ष कर। लेकिन, उसके लिये हमें अपने देश की वस्तुगत परिस्थितियों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। अब हम इसकी तुलना अमरीका के कराधान के अनुपात से करें। अमरीका में १९५४ में प्रत्यक्ष कर समस्त कराधान का ८२ प्रतिशत थे।

इंग्लैंड का उदाहरण लीजिये। १९५४ में वहां का कुल राजस्द ४७३·७८ करोड़ पाउण्ड अथवा ६,१९८ करोड़ रुपये था। उसमें आय-कर अधिकर और अतिरिक्त लाभ कर इत्यादि २१०·८ करोड़ पाउण्ड अथवा ४४·४ प्रतिशत था। अतिरिक्त लाभ कर से ७·६० करोड़, सम्पदा शुल्क से १८·७० करोड़ और सीमा शुल्क से ११० करोड़ पौण्ड की आय हुई थी।

आयरलैंड में कुल आय का २५ प्रतिशत आय-कर अधिकर, निगम कर और अतिरिक्त लाभ कर से प्राप्त होता है।

इस प्रकार प्रथम दो देशों में प्रत्यक्ष कर की राशि अधिक है। अमरीका और इंग्लैंड में प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत आने वाली आय अधिक है। अमरीका, इंग्लैंड, आयरलैंड और भारत की व्यक्तिगत औसत आय क्रमशः ९,८००, ३,८२५, १,७३० और २७४ रुपये है। उन में व्यक्तियों द्वारा दिया गया कर क्रमशः ३३ प्रतिशत, २३·४ प्रतिशत, २७·७ प्रतिशत और ८·५ प्रतिशत है। हमारे देश में ऐसी आय वाले अधिक नहीं हैं जिन पर आय-कर लगाया जा सके। हमारी आधी राष्ट्रीय आय कृषि से है और वह २४ करोड़ व्यक्तियों में विभक्त है अतः उस पर प्रत्यक्ष कर नहीं लग सकता। अमरीका की कृषि आय हमारी राष्ट्रीय आय से उत्पादन के अनुपात से कम है। उनकी खान उद्योग आदि की आय अधिक है।

इस प्रकार हमारा देश दरिद्री है और यहां प्रत्यक्ष कर के लिये गुंजाइश नहीं है। अतः हमें विभिन्न संसाधनों को प्रयोग में लाना पड़ता है।

इस वर्ष हमने उच्च वर्ग की आय पर कर बढ़ाया है जो कि अब ९२ प्रतिशत है। इस से हमें लगभग १३५ करोड़ रुपये की आय होगी। यह पर्याप्त नहीं। हमें यथासम्भव सभी संसाधनों का योग प्राप्त करना होगा और प्रत्यक्ष कर की अपर्याप्तता के कारण उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क इत्यादि का प्रश्रय लेना होगा।

कर जांच आयोग ने बताया है कि विमुक्ति की सीमा घटा कर ३,००० रुपये कर देनी चाहिये। दूसरे क्षेत्रों में जब कि ४,२०० रुपये से ऊपर की आय पर कर लगाया जा रहा है तो कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक आय पर कर लगाना होगा।

बचत के कम सामर्थ्य के कारण पूंजी निर्माण कम है, कम सामर्थ्य कम आय के कारण है और कम आय कम उत्पादन के कारण है तथा कम उत्पादन कम पूंजी निर्माण के कारण है। इस प्रकार यह दुश्चक्र चलता है। इसे तोड़ना होगा। हमें नोट बना कर वित्त व्यवस्था भी करनी होगी।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि १९३१-३७ के न्यू डील में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने १०,००० करोड़ रुपये के नोट बना कर वित्त व्यवसाय की थी और मन्दी और बेरोजगारी से देश को बचाया था। यहां स्फीति का भय हो रहा है और हमें इससे बचाव का प्रयत्न करना होगा। हमें यथासम्भव कार्यवाही करनी होगी। अर्थात् अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर रोक लगानी होगी

और मेंगनीज आदि के निर्यात को बढ़ाना होगा। हमें अपने व्यापार संतुलन का भी सुधार करना चाहिये। नोट बना कर वित्त व्यवस्था करते हुए हमें सतर्क रहना चाहिये।

१९५१ में वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए एक विख्यात वित्त शास्त्री ने कहा था कि यदि आप कर नहीं लगाते तो नोट बना कर वित्त व्यवस्था करनी होगी जो कि करारोपण का अत्यन्त भद्दा और अव्यवस्थित ढंग है। वे विख्यात व्यक्ति हमारे वर्तमान वित्त मंत्री ही थे।

करारोपण के अतिरिक्त बचत करना और भ्रष्टाचार निवारण अभी बाकी है। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री को साधुवाद देना चाहता हूं।

अर्थमंत्रिकरो भाति सुसूक्तोऽपिरवेः करात्।
प्रवेशः सुगमस्तस्य न यत्र सवितुर्गतिः॥

इसका परन्तुक इस प्रकार है :

तथापि वितयो ऽद्यापि वित्ते लेखान्निगूहिते।
उत्कोचक–धने चार्थ–संकल्प हरणार्जिते॥

मुझे आशा है कि वित्त मंत्री अपनी प्रतिभा और सतर्कता के द्वारा भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को भी दूर कर सकते हैं।

†**श्री खर्डेकर** (कोल्हापुर व सतारा) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और ऐसा करते समय एक दो मंत्रालयों के कार्य की जांच करूंगा।

जिस देश में ७५ प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अपढ़ हों उसके लिये पर्याप्त शिक्षा बहुत आवश्यक है। उसके बिना लोकतन्त्र में कोई सार नहीं रह जाता। योजना आयोग ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा मांगी गई राशि का एक तिहाई भाग स्वीकृत किया है। क्या योजना आयोग को शिक्षा मंत्रालय में विश्वास नहीं है?

मंत्री कहते हैं कि शिक्षा राज्य का विषय है अतः वे कुछ नहीं कर सकते। मेरा कहना यह है कि योजना की कालावधि में शिक्षा मंत्रालय बहुत कुछ कर सकता है। कुछ विश्वविद्यालय केन्द्र के ही हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों का नियन्त्रण किया जा सकता है। विभिन्न राज्य भी केन्द्र से इस क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन और प्रोत्साहन की आशा करते हैं।

हमारी शिक्षा पद्धति को सुधारने की बात भी की गई है। शिक्षा देने में विदेशियों का मुख्य उद्देश्य छोटे कर्मचारी तैयार करना था। परन्तु अब हम स्वतन्त्र हो गये हैं। इसलिये हमें शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहिये। यह बात उपमंत्री ने भी कही है पर इससे उनका तात्पर्य क्या है? हमें प्राचीन शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहिये जो नैतिक और आध्यात्मिक थी। हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिये। बड़े-बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि प्रत्येक जाति को अपने इतिहास और साहित्य पर गर्व करना चाहिये तथा भारत पर यूरोपीय पद्धतियां लादना ठीक नहीं होगा। हम भारत को जर्मनी, अमरीका, इंग्लैंड अथवा रूस नहीं बनाना चाहते। हम उसे आदर्श भारत बनाना चाहते हैं।

क्या वर्तमान शिक्षा मंत्रालय यह कर सकता है? क्या उसे भारतीय संस्कृति में रुचि है? वर्तमान मंत्रालय में भी जातीयता की भावना दिखती है। उसके कुछ पदाधिकारियों को देख कर पता नहीं चलता कि हम हिन्दुस्तान में हैं अथवा पाकिस्तान में।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खर्डेकर]

कुछ दक्षिण भारतीय हिन्दी नहीं चाहते । मुझे मालूम है कि हिन्दी और संस्कृत के लिये कुछ राशि दी गई है । श्री कामत ने एक दिन कहा था कि फारसी और अरबी के लिये तो राशियां दी जा रही हैं पर संस्कृत और पाली के लिये कुछ नहीं किया गया । शिक्षा मंत्रालय के सभासचिव ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया ।

एक सचिव ने इस मंत्रालय से पद त्याग कर दिया है और संसद् सदस्य बन गये हैं और उन्हें मंत्री बनाने का विचार है । वे पर्याप्त योग्य हों परन्तु क्या उन्हें हमारी संस्कृति के लिये स्नेह है ? क्या शिक्षा मंत्रालय के मंत्री सदैव किसी जाति विशेष के हुआ करेंगे ? देश के हित में विश्व की शांति में यह आवश्यक है कि हिन्दू सभ्यता को प्रोत्साहन दिया जाये ।

इस देश की विदेश नीति जादूगर की छड़ी के समान प्रधान मंत्री की जेब अथवा टोपी से नहीं निकली । यह नीति इसलिये है कि श्री नेहरू इस देश के प्रतिनिधि हैं और यह विदेश नीति शांति, प्रेम और सहिष्णुता की नीति है जो कि इस भूमि की उपज है । मेरा अभिप्राय यह नहीं कि इसका श्रेय प्रधान मंत्री को नहीं है, क्योंकि लोकतन्त्र राज्य व्यवस्था में प्रतिनिधि निश्चय ही महान व्यक्ति हुआ करता है । लोकतन्त्र में बहुमत की आत्मा सामाजिकी संस्कृति ही हुआ करती है ।

शिक्षा मंत्री ने देश के उच्चतम पद के सम्बन्ध में अपहासस्पद बात कही थी । क्या यह इस कारण है कि उस उच्चतम पद के अधिकार हिन्दु संस्कृति और परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

श्री आर० आर० शास्त्री (कानपुर मध्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो भी धन राशि मांगी गई, इस सदन ने उसे स्वीकार किया । विरोधी पक्ष की तरफ से चाहे कितना ही विरोध क्यों न हुआ हो, लेकिन उसमें हम एक पाई भी कम नहीं कर सके । अब हमारे सामने सवाल यह है कि जो धन राशि सदन ने स्वीकार की है उसको खर्च किस तरह से किया जाता है, और जो रुपया खर्च होता है उसका सदुपयोग किस तरह से होता है, उसका नतीजा क्या होता है, देश की सभ्यता और संस्कृति के उत्थान में कहां तक हमको सहायता मिलती है । सही बात तो यह है कि आज हमारे देश में जो प्रयोग हो रहा है उसकी तरफ सिर्फ सारे देश का ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि सारे संसार का ध्यान आकर्षित होता है ।

पहले पूंजीवादी प्रजातंत्रवाद ने दुनियां को आशा दिलाई थी कि वह जनता की हालत को सुधारेगा । लेकिन पूंजीवादी प्रजातंत्रवाद पश्चिमी देशों में विफल हुआ और उसके बाद रूस की राज्य क्रांति और विद्रोह हुआ । उससे लोगों को आशा हुई कि अब नया जमाना आया है, समानता, आजादी, स्वतंत्रता और इसी तरह की चीजें आयेंगी जिन से लोगों को कुछ अच्छा जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा । लेकिन हमने उसमें भी देखा कि योजना तो सफल हुई पर स्वतंत्रता का अपहरण हुआ और वह चीज भी आज विफल होती हुई नजर आई । ऐसी स्थिति में भारतवर्ष में यह प्रयोग हो रहा है कि हम प्रजातंत्रवाद को भी कायम रक्खें, समाज को भी कायम रक्खें, आजादी को भी कायम रक्खें और शान्तिमय तरीके से समाज की व्यवस्था को बदलें । अब देखना यह है कि पिछले छः-सात सालों में हमने जो प्रगति की है अपने देश में उसमें हमें सफलता कितनी प्राप्त हुई । इस समय देश में दो विचार धारायें स्पष्ट नजर आती हैं । सरकार का यह कहना है कि देश ने काफी तरक्की की है, हमने देशी रियासतों को समाप्त किया, जमीदारी प्रथा को समाप्त किया, हमने अन्न की समस्या को हल किया, और धीरे-धीरे जो राष्ट्र निर्माण हम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत कुछ सफलता मिल रही है । यही सरकार की रिपोर्टों से हमें पता चलता है और यही मिनिस्टरों के भाषणों से हमें मालूम होता है । लेकिन दूसरा दृष्टिकोण विरोधी पक्ष का है, और जिसके लिये मैं कहूंगा कि वही जनता का सही दृष्टिकोण है, वह यह कि क्या यह सही बात नहीं है कि आज हमारे देश में पहले की अपेक्षा, किसी भी

सरकारी विभाग में आप चले जायं, रिश्वतखोरी का बोलबाला अधिक है ? आज आप देहाती क्षेत्रों में जाइये तो आपको अराजकता ज्यादा दिखलाई पड़ेगी । मैं यू० पी० के बारे में कह सकता हूं कि वहां पर राजनैतिक हत्यायें हो रही हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आगामी संततियों के लिये यह पढ़ना कि वाद-विवाद में प्रायः सदस्यों से बार-बार कहना पड़ता था कि वह शोर न मचायें, रुचिपूर्ण नहीं होगा । अतः सदस्य ऐसा अवसर उपस्थित न करें ।

श्री आर० आर० शास्त्री : मैं यह कह रहा था कि सरकारी पक्ष की अपेक्षा एक दूसरा दृष्टिकोण भी है और जिसका कहना यह है कि इस समय जनता में असन्तोष है । जनता में टैक्सों (करों) की वजह से काफी परेशानी मालूम पड़ती है । अब सवाल यह होता है कि वास्तव में सही दृष्टिकोण कौन है । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि थोड़ा-थोड़ा सत्य दोनों ही तरफ है । मैं इसको स्वीकार करता हूं कि हमारे देश का निर्माण हो रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, पर इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जो तरीका बर्ता जा रहा है उससे जनता में असंतोष है । इस चीज को सरकारी पक्ष द्वारा भी खुले दिल से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

एक बात मुझे हमेशा से बहुत परेशान करती है कि बाज़ दफा सरकार अजीब-अजीब बातें साबित करने लगती है । अगर आज हम कुछ सही बात भी कहते हैं तो वह सरकार को गलत लगती है और वह अपनी गलत बात को सही साबित करने का प्रयत्न करती है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । पिछली दफा श्रम विभाग पर सदन के अन्दर बहस हुई थी तो उस समय हमने यह कहा था कि देश में उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन मजदूरों की वास्तविक मजदूरी पहले की अपेक्षा कम हो रही है, रिअल वेजेज़ (वास्तविक मजूरी) कम हो रही हैं । मैंने उदाहरण देकर कहा था कि उत्पादन बढ़ा है ४३ परसेन्ट (प्रतिशत) और मजदूरी अर्थात् रिअल वेजेज़ बढ़ी हैं सिर्फ १४ परसेन्ट । इस पर डिप्टी मिनिस्टर आफ लेबर (श्रम उपमंत्री) ने यहां कहा था, और यह आंकड़े दिये थे कि जब सन् १९३४ और १९५४ की तुलना की जाती है तो १९५४ के आंकड़ों से मालूम होता है कि रिअल वेजेज़ ४३ परसेन्ट बढ़ी हैं । पांच वर्षों में ४३ परसेन्ट बढ़ीं तो एक वर्ष में ८·६ परसेन्ट हुआ । जब १९५४ में उत्पादन ४३ परसेन्ट बढ़ा है सन् १९३४ के मुकाबले में तो हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि रिअल वेजेज़ ४३ परसेन्ट बढ़ी हैं कि जब उत्पादन १४ परसेन्ट बढ़ा है । हम लोग जो मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं उनको आश्चर्य हुआ कि वे यह कोटेशन (उद्धरण) कहां से ले आये । जब उनसे सदन में पूछा गया कि वे ये कोटेशन (उद्धरण) कहां से दे रहे हैं तो उन्होंने कहा था :

> "भारतीय श्रम गजेट खण्ड १३, सं० ५ के पृष्ठ ३३५-३३६ से उद्धरण दे रहा हूं ।"

मेरे हाथ में इस समय इंडियन लेबर गजट नम्बर ५ है और मैंने उसके पेज ३३५ और ३३६ देखे हैं । वही कोटेशन जो मिनिस्टर साहब ने सुनाया था इसमें लिखा हुआ है । वह इस प्रकार है :

> "वृद्धि पांच वर्ष में लगभग ४३ प्रतिशत अथवा वार्षिक औसत ८·६ प्रतिशत हुई है ।"

यह तो उत्पादन के बारे में । रेयल वेजेज़ के बारे में उसमें दिया हुआ है :

> "१९५० और १९५४ में वास्तविक आय केवल १४ प्रतिशत या वार्षिक २·८ प्रतिशत औसत से बढ़ी है ।"

मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने कोटेशन में यह किस प्रकार पढ़कर सुना दिया कि वेजेज़ तो बढ़ीं ४३ परसेंट और उत्पादन बढ़ा १४ परसेंट । जो बात मैंने कही थी वही सरकारी रिपोर्ट (प्रतिवेदन)

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आर० आर० शास्त्री]

में है। लेकिन मिनिस्टर साहब ने हाउस में जो पढ़कर सुनाया वह यह था कि ४३ परसेंट वेज बढ़ी है और १४ परसेंट उत्पादन बढ़ा है। मैं चाहता हूं कि जो साहब यहां इस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री (वित्त मंत्रालय) को रिप्रेजेंट (प्रतिनिधित्व) करते हों वे बतायें कि सही बात क्या है? वे बतलायें कि मैंने सही तौर से कोट किया है या मिनिस्टर साहब ने सही तौर से कोट किया है। इस चीज को सदन के सामने पेश किया जाना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि लेबर मिनिस्टर (श्रम मंत्री) साहब एक मजदूर से मिनिस्टर बने हैं, और मुझे इस पर गर्व भी है। लेकिन अगर इस तरह की गलत बयानी हो गयी है तो प्रोसीडिंग (कार्यवाही के अभिलेख) में उसे ठीक कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि गलती हो गयी है और उसको दुरुस्त किया जाना चाहिये। मालूम होता है कि उन्होंने इस कोटेशन को उल्टा पढ़ लिया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमको राष्ट्र का निर्माण करना है तो इसके लिये जरूरत इस बात की है कि सरकार को जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हो। लेकिन आज अवस्था यह है कि आप किसी भी विभाग में जाइये कोई आपसे ठीक बरताव नहीं करता और कोई आपकी शिकायत नहीं सुनता। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जनता हुकूमत के खिलाफ होती चली जा रही है। और अगर आप इस बात की परवाह नहीं करेंगे तो आपको धोखा हो सकता है।

आज आप टैक्स लगाये चले जा रहे हैं। आपने जनता की आवश्यकता की चीजों पर जैसे नमक और तेल पर भी टैक्स लगा दिया है। हम कहते हैं कि यह टैक्स आप न लगाइये। यदि आप लग्जरी (आमोद प्रमोद) की चीजों पर टैक्स लगायें तो इससे आम जनता को संतोष होगा। लेकिन यदि आप जनता की आवाज को नहीं सुनेंगे और उसकी परवाह नहीं करेंगे, तो आज की जनता जो कि जाग्रत हो चुकी है इसको ज़्यादा दिन सहन नहीं करेगी। हमने हाल में उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कहा कि आपको नमक और तेल पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। लेकिन हुकूमत ने हमारी परवाह नहीं की। नतीजा यह हुआ कि दो-दो बार इलेक्शन हुए और दोनों में कांग्रेस की हार हुई। अगर आप यह समझते हैं कि देश की जनता चुपचाप बैठी रहेगी, आप चाहे जो करते रहें, तो आप गलती पर हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिये कि समय की गति को पहचानें और लोगों की हालत को देखें और देश की दशा में सुधार करने की ओर ध्यान रखें।

इसके अलावा मुझे एक और शिकायत है। वह यह है कि अगर आप नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) करना चाहते हैं, तो आपको यह देखना चाहिये देश में किस-किस जगह कौन उद्योग चलाया जा सकता है और उस उद्योग को वहां लगाना चाहिये। मैं कानपुर से आता हूं जो कि एक व्यवसाय प्रधान शहर है। लेकिन जहां तक हैवी इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में हैवी इंडस्ट्रीज को खोलने की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि उसे देना चाहिये था।

साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट के विभागों में काम के ढंग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जब मैं कानपुर में था तो मुझे ऐसा लगा कि गवर्नमेंट के नाम से एक बहुत बड़ा फ़्राड (धोखा) किया जा रहा है। उसकी तरफ मैंने गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया लेकिन मुझे अभी तक अपनी चिट्ठी का जवाब तक नहीं मिला है। मेरे हाथ में एक छपा हुआ कागज आया जिसमें लिखा हुआ था :

भारतीय वित्त बोर्ड--द्वितीय पंचवर्षीय योजना ऋण-- नई दिल्ली उत्तर विस्तार ।

तमाम लोग इसके लिये रुपया भेज रहे थे। इस सम्बन्ध में पूछने के लिये कुछ मजदूर मेरे पास आये। मुझे मालूम हुआ कि यह कोई ४२० का काम चल रहा है। हजारों आदमियों को उससे धोखा हो रहा था। मैंने एक विभाग के डिप्टी मिनिस्टर साहब के पास वे सब कागज भेजे और कहा कि आप

मेहरबानी करके इसकी जांच कीजिये। मैंने कहा कि मुझे तो यह फ्राड मालूम पड़ता है। अगर ऐसा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिये। मैं समझता हूं कि वह कागज इसी तरह से छापा गया था जिस तरह से कि गवर्नमेंट के कागज छापे जाते हैं। हो सकता है कि मिनिस्टर साहब इसकी जांच कर रहे हों लेकिन कम से कम मुझे एकनालिजमेंट (रसीद) तो भेजना चाहिये था और यह कहना चाहिये था कि इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। मैंने तो देश के हित में ही इस ओर उनका ध्यान दिलाया था। जब मिनिस्टर साहब का बर्ताव एक संसद् सदस्य के साथ ऐसा हो सकता है तो सरकारी अफसर जनता के साथ कैसा बरताव करते होंगे यह आप समझ सकते हैं। अगर किसी बात की उनसे शिकायत की जाती है तो कोई परवाह नहीं करता। आज आपके पास पंडित जवाहरलाल जी जैसा नेता है जिनकी कि सारी दुनिया में शोहरत है और उनकी बड़ी इज्जत है। लेकिन इस कारण आप देश के लोगों की शिकायतों की परवाह न करें यह अच्छी चीज नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं यह महसूस कर रहा हूं कि इस समय जो दृष्टिकोण हमारे देश में होना चाहिये वह नहीं है। मैं विरोधी पक्ष में बैठा हूं और हो सकता है कि जो बात मैं कहना चाहता हूं वह विरोधी पक्ष वालों को बुरी लगे। लेकिन यह मेरे दिल की बात है, इसलिये उसे मैं अवश्य कहना चाहता हूं। आज हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी सारी शक्ति लगाकर देश का निर्माण करें। इस दिशा में हमारे देश में जिस तरह से काम होना चाहिये वैसा नहीं हो रहा है। हम सरकार पर दोष लगाते हैं कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। उधर सरकार समझती है कि मैजारिटी (बहुमत) हमारे साथ है और हम ही देश का निर्माण कर रहे हैं। दूसरों की कोई परवाह नहीं की जाती। नतीजा यह होता है कि जो विरोधी पक्ष में बैठ हुए हैं वे समझते हैं कि हमारा काम तो सरकार से लड़ाई करने का है। परिणामस्वरूप हमारे यहां पार्टियों में एक प्रकार गृहयुद्ध सा चल रहा है। मैं समझता हूं कि अगर हमें देश का निर्माण करना है तो यह काम एक या दो पार्टी नहीं कर सकती। यह काम तो तभी हो सकता है जब कि देश की सारी शक्ति इसमें लगायी जाये और सारे दल एक ही भावना से प्रेरित होकर इस काम में लग जायें। आज देश की जिम्मेदारी दोनों पक्षों पर है यद्यपि हुकूमत पर ज्यादा है। इसलिये मैं सझता हूं कि सब दलों को मिल कर इस देश निर्माण के काम को करना चाहिये। अभी जब मैं चीन गया तो मैं वहां की स्थिति को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मैं २५ साल से लेबर (श्रम) के फील्ड (क्षेत्र) में काम कर रहा हूं लेकिन चीन की हालत देखकर मैं जितना प्रभावित हुआ उतना मैं यहां की हालत देखकर कभी प्रभावित नहीं हुआ था। वहां पर सारी शक्ति देश निर्माण के काम में लगी हुई है। वहां की हालत देख कर मेरे दिल में भी यह आकांक्षा पैदा हुई कि क्यों न हम भी इसी तरह से अपने देश में काम कर सकें। यद्यपि चीन में हुकूमत कम्युनिस्टों के हाथ में है लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिये उन्होंने दूसरे दलों को भी अपने साथ लिया है और राष्ट्र निर्माण का एक कार्यक्रम बनाया है और सब मिल कर इस काम को कर रहे हैं। वहां जनता और सरकार के बीच और विभिन्न दलों के बीच इस विषय में कोई संघर्ष नहीं है। मैं सोचता हूं कि क्या इस देश में यह चीज नहीं हो सकती। क्या हम सब महसूस नहीं कर सकते कि हम सब को मिल कर राष्ट्र निर्माण का कार्य करना चाहिये। आज हमारे देश में बेकारी और गरीबी फैल रही है। हमारा सब का ध्यान उसको दूर करने पर जाना चाहिये। आज हमारे राष्ट्र पर बाहरी संकट भी है और हम देखते हैं कि दूसरे देश हमको आंखें दिखा रहे हैं। हम कहते हैं कि जब राष्ट्र पर संकट आवेगा तब हम एक हो जावेंगे। लेकिन क्या आज हम महसूस नहीं करते कि हमारे राष्ट्र पर संकट है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि सरकारी पक्ष भी समय रहते सावधान हो जाये और विरोधी पक्ष भी समय रहते संभल जायें। आज हमारे देश में राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्रीय एकता का नारा होना चाहिये। आज राष्ट्रीय एकता की भावना के बिना हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता।

[श्री आर० आर० शास्त्री]

हमको चाहिये कि हम छोटी-छोटी बातों को भुला कर साथ-साथ मिल कर काम करें। जब तक हम इस तरीके से मिल कर काम नहीं करेंगे तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती।

मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर सरकार ध्यान देगी। यदि हम केवल आंकड़ों के चक्कर में पड़े रहेंगे और इस पर ध्यान नहीं देंगे कि देश में क्या हो रहा है तो हमें सफलता नहीं मिल सकेगी।

†**डा० पी० मंडल** (बांकुरा--रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। वस्तुत: मैं इसका अनुभव नहीं कर रहा हूं। केवल धनाढ्य लोगों को बढ़ी हुई आय का लाभ हुआ है। धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और दरिद्र अधिक दरिद्र। वे गृहहीन, भूमिहीन श्रमिक ही हैं। बढ़ी हुई आय समाज के समाजवादी ढांचे के आधार पर नहीं वरन् पूंजीवादी ढांचे के आधार पर वितरित की जा रही है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना लक्ष्यपूर्ति की ओर एक संकेत मात्र है। इसमें आशा की झलक है। परन्तु सामान्य वस्तुओं पर वर्ष प्रतिवर्ष कर और शुल्क बढ़ाया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में गरीब और अमीर सभी अपने दैनिक उपभोग में सरसों का तेल प्रयोग करते हैं। परन्तु यह भी कर से विमुक्त नहीं है। मैं सरसों के तेल और नारियल के तेल के कर का विरोध करता हूं। इनका वाणिज्यिक प्रयोग नहीं होता। इस समय कर विमुक्त अभ्यंश का लाभ मिल मालिक और व्यापारी को होता है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार यह देखा जा सकता है कि जन साधारण को कितनी कठिनाई हो सकती है।

हाथ से बना साबुन भी कर से विमुक्त होना चाहिये क्योंकि इस उद्योग में कच्ची सामग्री एकत्र करने के व्यय और श्रम भार अधिक होते हैं। अत: यह हस्त उद्योग शक्ति द्वारा चालित उद्योग के मुकाबले में प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकता।

मध्य श्रेणी के और मोटे कपड़े पर शुल्क के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने कहा था कि यह शुल्क न्यायोचित है क्योंकि कृषि उत्पादों के मूल्य बढ़ गये हैं। निस्सन्देह अनाज के मूल्य बढ़े हैं परन्तु उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता। वे तो जनवरी में सरकार को बकाया का भुगतान करने के लिये वस्तुयें बेचने के लिये बाध्य होते हैं। जन साधारण अनाज कम मूल्य पर बेच कर फिर उच्च मूल्यों पर उसे खरीदते हैं। इस प्रकार उसे मूल्यों से कोई लाभ नहीं होता। सरकार समझती है कि उन्हें सचमुच में लाभ होता है क्योंकि उनका गांवों से सम्पर्क नहीं है। यह सम्पर्क ठीक नीति बनाने के लिये आवश्यक है। किन्तु मैं समझता हूं कि सरकारी प्रशासन में इस प्रकार के घनिष्ठ सम्पर्क की कमी पाई जाती है। वे गांवों का सर्वेक्षण न करके केवल कागजों पर ही निर्भर रहते हैं। पश्चिमी बंगाल में चावल का भाव १३ रुपये से बढ़कर २० रुपये या इससे अधिक हो जाना पूर्णरूपेण ग्राम सम्बन्धी ज्ञान का ही परिचायक है। सरकार को देहाती लोगों से परामर्श लेना चाहिये जो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अत: मोटे और मध्यम श्रेणी के सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि गरीब ही उनका उपयोग करते हैं।

वास्तव में देखा जाय तो गांवों में बैंक सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये व्यवहार रूप में कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। सरकार ग्रामीणों पर कर तो लगाना चाहती है किन्तु उनके कल्याण की ओर ध्यान नहीं देना चाहती। भारत में ग्रामों की अधिकता होते हुए भी शहर के लोगों की सुविधायें और कल्याण के बारे में सरकार अधिक चिन्तित रहती है। मेरे कहने का तात्पर्य सरकार को दोषी ठहराने का नहीं है, अपितु मेरा कहना यह है कि गांवों और शहरों की उन्नति साथ ही साथ होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले का रहने वाला हूं, जो बहुत पिछड़ा हुआ स्थान है। इस क्षेत्र के १३ विधान सभा के सदस्यों में से ६ पिछड़े क्षेत्रों के हैं। यह सदैव अभावग्रस्त क्षेत्र रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी इसके लिये कुछ अधिक नहीं किया गया। हमने इस विषय की ओर श्री नन्दा का ध्यान आकर्षित किया था फिर भी कुछ नहीं किया गया।

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार खंडों में देहातों का ज्ञान रखने वाले केवल लोकप्रिय प्रशासक नियुक्त किये जाने चाहियें। लोकप्रिय पदाधिकारियों को स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिये। सरकार इस नियम का पालन नहीं कर रही है।

३८६ भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की आपात-कालीन भर्ती की जा रही है। इसमें से कुछ स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये रक्षित किये जाने चाहियें।

अभी ऐसे लोगों से कह दिया जाता है कि वे योग्य नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि इन दोनों जातियों के लिये दो बोर्ड स्थापित किये जाने चाहियें जिनमें संसद् सदस्य भी रहें।

बंगाल में और विशेष रूप से बांकुरा जिले में कोढ़ का बड़ा प्रकोप है और भय इस बात का है कि कहीं समस्त जनता में यह रोग न फैल जाये। गौरीपुर के अस्पताल में केवल ५ प्रतिशत शैय्यायें बाँकुरा जिले के रोगियों के लिये रक्षित हैं। १,००० शैय्यायों वाला एक अस्पताल बनाया जाना चाहिये जिसमें बांकुरा जिले के लिये ५० प्रतिशत स्थान रक्षित हों।

बांकुरा के मैडिकल स्कूल को मैडिकल कालेज बनाया जाना चाहिये। इससे बांकुरा जिले और आस पास के क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता मिलेगी।

जिलों में चैस्ट क्लिनिक बनाये जाने चाहियें जहां पर डाक्टरी का आधुनिक सामान हो। योग्य डाक्टरों की कमी है अतएव एल० एम० एफ० डाक्टरों को मान्यता दी जानी चाहिये।

श्री रायचन्द भाई शाह (छिंदवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो साल के लम्बे इन्तजार और कोशिशों के बाद आप ने आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप अपने दोस्तों और भाइयों से पूछें तो कितने ही आप जैसे होंगे।

श्री रायचन्द भाई शाह : हम ४,८०० करोड़ के लागत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित करने जा रहे हैं और इसलिये यह लाजिमी है कि हमें करों में वृद्धि करनी पड़ेगी और देश में जो एक वातावरण तैयार हुआ है उससे भी लोग करों के पक्ष में होते जा रहे हैं क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश ने काफी उन्नति की है, परन्तु लोगों को जो आशा थी कि हमारे वित्त मंत्री धनिक और समृद्धिशाली लोगों के ऊपर ही करों का अधिक बोझ डालेंगे न कि उन गरीब भाइयों पर जिनको भर पेट खाना नहीं मिलता और पूरा कपड़ा पहिनने के लिये नहीं जुटता, वह पूरी नहीं हुई। मैं चाहता हूं और जनता यह चाहती है, कि जब हम समाजवादी ढांचे का समाज बनाने जा रहे हैं तो कम से कम ३०,००० रु० से ऊपर की जो इनकम हो उसके ऊपर इस तरह से टैक्स लगाया जाता कि किसी व्यक्ति की आमदनी ३०,००० रु० सालाना से ऊपर न जाय। परन्तु इस डाइरेक्ट टैक्सेशन (प्रत्यक्ष करारोपण) के एवज में हमारी सरकार ने इन्डाइरेक्ट टैक्स (अप्रत्यक्ष शुल्क) लेना ज्यादा मुनासिब समझा है।

मैं करों के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि खाद्य तेलों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वह बहुत अनुचित है। इस तरह से लोगों को जो पौष्टिक तत्व मिलते हैं उनके ऊपर सरकार टैक्स

[श्री रायचन्द भाई शाह]

लगाने जा रही है। मैं आशा करता हूं कि जो खाद्य तेल जनता के उपयोग में आते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने के जो प्रपोजल्स (प्रस्ताव) हैं उनके ऊपर हमारे वित्त मंत्री फिर से गौर करेंगे। यदि उन्हें टैक्स लगाना ही है तो वनस्पति पर लगाते जिसके बारे में बार-बार इस सदन में और देश के अन्दर भी काफी विरोधी प्रचार है। लोग कहते हैं कि चूंकि इस वनस्पति से लोगों को धोखा दिया जाता है इस लिये यदि वनस्पति घी पर सरकार टैक्स लगाती तो ज्यादा मुनासिब होता। वैसे तो लोगों की इच्छा थी कि उसका उत्पादन ही बन्द कर दिया जाय, परन्तु यदि किन्हीं कारणों से उसे बन्द नहीं किया जा सकता तो उसके ऊपर हमें काफी अधिक टैक्स लगाना चाहिये था। कच्चे तेल पर ६ पाई पर पाउंड टैक्स लगाया गया है। इसके एवज में यदि वनस्पति घी पर, जिसकी शुद्ध घी में मिलावट होती है, और लोगों को छला जाता है, तथा जिसका फायदा कुछ इनेगिने मिल मालिकों को होता है, उस पर ४ आ० पर पाउंड टैक्स लगा दिया जाता तो शायद यह लोगों को अधिक न अखरता और गवर्नमेंट के पास भी काफी पैसा आ जाता।

दूसरे तेलों पर टैक्स घटाने का जो आपका सुझाव है वह प्रशंसा के योग्य है। इसी प्रकार से जो खाद्य तेल हैं उन पर आप टैक्स न लगाते तो ज्यादा उचित होता और अगर लगाना ही हो तो जो उसकी प्रणाली है उसमें परिवर्तन किया जाय। इससे लोगों को दिक्कत कम होगी। मिल ओनर्स ने जगह-जगह पर हड़तालें की हैं, प्रोपैगन्डा किया है कि इस तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है जिससे उनका हैरेसमेंट होता है। इसके लिये सरकार को कोई उपाय करना चाहिये।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो घानी का तेल है उसको टैक्सेज से एग्जेम्ट किया जाय क्योंकि हमें इस उद्योग को सपोर्ट करना है। अगर टैक्स लेना ही है तो जो कारखाने पावर से चलते हैं, मिलें चलती हैं उनसे लिया जाय, उनको एग्जेम्ट करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर घानी वाले उनसे कम्पीट नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि उनका कहना किन्हीं अंशों में उचित है। जिस तरह से हमने रेशम के कपड़े पर कर लगाने का फारमूला निकाला है यदि वैसा ही फारमूला इसके लिये भी टैक्स लगाने का निकल आवे तो हम मैनेजमेंट के खर्च से बच सकते हैं और जो दिक्कतें मिल मालिकों को होती हैं वे भी दूर हो जावेंगी। मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी गौर किया जाये।

इसी तरह से जो डीजल आयल पर टैक्स लगाया गया है उससे किसानों पर बोझ पड़ेगा। उसके ऊपर भी गौर करें और अगर हो सके तो उसे न लगायें।

यह तो मुझे टैक्स प्रापोजल्स के बारे में कहना था। अब मुझे कुछ शिक्षा मंत्रालय के बारे में कहना है। हमारे देश के महान नेता भी समय-समय पर शिक्षा प्रणाली के बारे में कहते आये हैं लेकिन स्वतंत्र होने के ९ साल बाद भी आज हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज जो शिक्षा दी जाती है उसे प्राप्ति करके हर साल लाखों लड़के स्कूलों और कालिजों से निकलते हैं और वे क्लर्की के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। वे सब चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां प्राप्त कर लें। इस तरह से सरकार के ऊपर भी बोझा बढ़ता जा रहा है। अब हम अपने देश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना अमल में लाने वाले हैं जिसके लिये हमको बहुत से टैक्नीशियनों और जानकार लोगों की आवश्यकता होगी। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिये हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिये। वर्धा प्रणाली की बेसिक शिक्षा, जिसे महात्मा गांधी ने चलाया था, और जिसकी हमारे नेताओं ने भी तारीफ की है, उसे चलाने में क्या अड़चन है यह मेरी समझ में नहीं आता। मुझे आशा है कि शिक्षा मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा और इस पर गौर करके शीघ्र ही शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करेगा.

मैं मानता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी काफी प्रगति हुई है। परन्तु जितना अच्छा काम होना चाहिये था उतना अच्छा नहीं हुआ है और उसका कारण यह है कि जो उस योजना

को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी हैं उनमें कमजोरी है। आज सारे देश में यह शिकायत है कि कुछ लोगों को छोड़ कर, आज अधिकारी वर्ग का जनता के साथ वही रवैया है जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले था। और यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे मंत्रीगण भी आम जनता की शिकायतों पर पूरा ध्यान नहीं देते। इस सदन के माननीय सदस्यों ने भी इस चीज को सरकार के सामने अनेक बार रखा है। आज भी आपको देश में इस तरह के उदाहरण मिलेंगे कि अधिकारी अपने को देश का सेवक नहीं समझते बल्कि अपने को अधिकारी समझते हैं और उनके बचाव में यहां पर हमारे मंत्रिगण भाषण दे देते हैं। इससे उन लोगों को और भी बढ़ावा मिलता है और वे अपने को बादशाह समझने लगते हैं। तो अब जब कि हम समाजवादी ढांचा कायम करने जा रहे हैं तो हमारे अधिकारी वर्ग को समझना चाहिये कि अब अधिकार जताने का जमाना लद गया, अब तो सेवा करने का जमाना है। लेकिन जब हम दिल्ली छोड़ कर देहातों में अपनी कांस्टीट्यूंसी में जाते हैं तो हमको अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि अफसरों का अभी भी वही रवैया है। वे जनता की शिकायत नहीं सुनते। अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने उन अफसरों के आगे जो कि शिक्षा ले रहे हैं भाषण देते हुए कहा था कि इतने व्यस्त होते हुए भी वे लोगों से मिलने का समय निकाल लेते हैं, और आशा प्रकट की थी कि इसी तरह वे भी लोगों से मिलेंगे और उनकी कठिनाइयों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक अधिकारियों का वही रवैया है और वे आम जनता की शिकायतें नहीं सुनते। वे जहां कहीं भी जाते हैं बड़े-बड़े लोगों से मिलते हैं, उनसे पार्टियां लेते हैं। हम अपने देश में एक तरफ शराब बन्दी करने जा रहे हैं, पर दूसरी तरफ हमारे अफसर खुले आम शराब पीते हैं। यह कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है। और जब लोग हमसे पूछते हैं कि यह क्या बात है, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता। पता नहीं उनमें यह शराब पीने की आदत शौक के तौर पर या किस तरह पड़ गयी है और बढ़ती जाती है। इस बात की ओर हमारे मंत्रिगण ध्यान दें। मैं मानता हूं कि हमारे अधिकारियों में कुछ ऐसे हैं जो जमाने को पहचानते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी पुराने ढर्रे के हैं। उनकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को इस कमजोरी को दूर करने की बहुत आवश्यकता है। आज अफसरों के इस व्यवहार के कारण जनता में विद्रोह की भावना फैलती जा रही है। कोई जनता की बात सुनने वाला नहीं है। जब हम आजाद नहीं हुए थे, उस समय यदि हम अपनी शिकायत पेश करते थे तो वह सुनी जाती थी, परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आजाद होने के बाद हमारी शिकायत नहीं सुनी जाती। आज देश के अन्दर एक ही पार्टी है और वह है कांग्रेस पार्टी जो कि लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उसके ऊपर बन्धन होने से वह लोगों की शिकायतें पेश नहीं करती। और जो पार्टियां हैं वे सुसंगठित न होने के कारण जनता के पास नहीं पहुंच पातीं। ऐसी परिस्थिति में जनता सोचती है कि यह जो स्वराज्य हुआ है यह जनता का स्वराज्य हुआ है या अधिकारियों का स्वराज्य हुआ है। हमारे मंत्रिगण को यह सोचना चाहिये कि आखिर यह क्या बात है। उनको समझना चाहिए कि जब इतनी शिकायतें आ रही हैं तो उनमें कुछ न कुछ तत्व जरूर होगा। उन्हें यह नहीं समझना चाहिये कि हमारे अधिकारी सच्चे और ईमानदार हैं और ये शिकायत करने वाले झूठे हैं। यहां तक हालत है कि यदि पार्लियामेंट के सदस्य भी शिकायत करते हैं तो उनको यह कह दिया जाता है कि यह शिकायत गलत है। यह रवैया गलत है, और यदि यही रवैया रहा तो, जैसा कि कुछ और सदस्यों ने भी कहा है, जनता इसको सहन नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि सीलोन में जो अभी चुनाव हुआ है उससे हमारे मंत्रिगण सबक लें। यह ठीक है कि हमारे पास आज पंडित जवाहर लाल जी जैसे सर्वमान्य नेता हैं लेकिन अगर यही रवैया जारी रहा और लोगों की शिकायतें नहीं सुनी गयीं तो कब तक हम पंडित जी के पुण्य कर्मों का लाभ उठा सकेंगे।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेगी।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल–पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर–उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं वित्त मंत्री जी को उनकी कार्यकुशलता के लिये बधाई देती हूं। जो काम उन्होंने किया है उसके लिये, वे बधाई के पात्र हैं लेकिन वे और भी अधिक बधाई के पात्र होंगे यदि वे उस बोझ को कम कर सकें जो कि गरीब जनता पर करों से पड़ रहा है। मैं यह नहीं कहती कि जो धनी हैं उनके ऊपर बोझ न डाला जाय, लेकिन इस बात का तो ख्याल रखा जाये कि गरीबों पर करों का बोझ न पड़े। मैं समझती हूं कि वे गरीबों का बोझ हलका करने में भी अपनी कार्यकुशलता का परिचय देंगे।

आज हमारे देश में अनियमितता और अपव्यय के बहुत उदाहरण देखने में आते हैं। सवाल उठता है कि इसको कैसे रोका जाय। यह तभी रुक सकता है जब कि देश में जो गलत बातें हो रही हैं उनको रोका जाय। साढ़े सत्तावन लाख के वायुयान और कई लाख रुपये की बसें खरीदी गयीं। कुछ बसें तो ऐसी थीं जो कि ८० रुपये तक में बेची गयीं। इस तरह हमारा रुपया बेकार जाता है। यदि हम इन बातों को रोकेंगे तो हम अपने रुपये को अच्छे कामों में लगा सकेंगे और हम उन्नति कर सकेंगे।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमें सबसे पहले भ्रष्टाचार को रोकना है। मेरा तो यह विश्वास है कि जीवन में जो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके पीछे दो कारण रहते हैं। एक तो कारण हमारी कमजोरी होती है या हम जो कुछ गलती कर बैठते हैं, उसके कारण हमारे सामने दिक्कतें पेश आती हैं और दूसरा कारण प्राकृतिक या ईश्वरीय होता है और जिस पर कि हमारा कोई वश नहीं है और मैं समझती हूं कि प्रकृति या ईश्वर हमें इस तरह आजमाते हैं कि हममें उस कठिनाई को झेलने की क्षमता है या नहीं। मैं समझती हूं कि इन दो कारणों से हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है। पहला कारण यह हुआ करता है कि कोई व्यक्ति अगर एक गलती कर बैठता है तो उसको जस्टिफाईड करने के लिये नौ गलतियां और कर बैठता है और उसका नतीजा यह होता है कि गलती के ऊपर गलती करता जाता है और गलती का एक बड़ा ऊंचा टीला सा बन जाता है और उस हालत में उन्हें सुधारने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो गलतियां लोभ और स्वार्थवश हो रही हैं उनको सख्त हाथ से दबा देना चाहिये और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारा देश पूरी तरह से उन्नति नहीं कर सकेगा और हमारे रुपये का अपव्यय जारी रहेगा। यह बात नहीं है कि हमारा देश नितान्त गरीब है, हमारे देश के पास पर्याप्त धन है लेकिन खेद का विषय यह है कि हमारे देश में रुपये का अपव्यय हो रहा है और उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है।

आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि निम्न आय वालों को ऊंचे स्तर पर लाना चाहिये लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बड़ी आय वालों पर बहुत ज्यादा बंधन लगा करके नहीं पहुंचा जा सकेगा।

दूसरी बात यह है कि देश का लाभ निजी उद्योगपतियों को उत्साहित करने से और उनकी सेवा, अनुभव और उनके धन द्वारा ही हम देश को लाभ पहुंचा सकते हैं। यह तभी हो सकेगा जब निजी उद्योगों में काम करने वाले लोगों के मन में यह भाव पैदा कर सकेंगे कि उनकी सेवा से, अनुभव से और धन से हम देश को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जब उनके अन्दर यह विश्वास हो जायगा तो वह आपको आगे बढ़ कर हर प्रकार से सहयोग देंगे और सहायता देंगे और उस हालत में आपके देश को फायदा पहुंचेगा और वह आगे बढ़ेगा। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार को निजी उद्योग वालों को अपने विश्वास में लेना चाहिये और उनकी सेवाओं का मान करना चाहिये और ऐसा होने पर आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे।

आय बढ़ाने के वास्ते एक उपाय यह भी हो सकता है कि सुरम्य स्थानों में जाने के लिये देशी और विदेशी पर्यटकों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जायें और जब वहां पर विदेशी पर्यटक भारी तादाद में जाने लगेंगे तो हमारी आय अपने आप बढ़ जायगी। सुरम्य स्थानों को जाने के लिये सड़कों की उचित व्यवस्था होनी चाहिये और यातायात का ठीक प्रबन्ध होना चाहिये ताकि पर्यटकों को वहां पहुंचने में पूरी सुविधा हो। दूसरा आय बढ़ाने का साधन जिसके कि बारे में मैं पहले भी कह चुकी हूं, वह है हमारे देश में प्राकृतिक खज़ानों की खोज करना और मैं दाव के साथ कहती हूं कि हमारे देश में काफी प्राकृतिक खज़ाने छिपे पड़े हैं जिनके लिये प्रयत्न किया जाय तो वे हमको मिल सकते हैं और उनसे हमारा देश काफी धनवान और समृद्धिशाली बन सकता है।

आय बढ़ाने का एक उपाय यह भी है कि बाढ़ पीड़ितों की सम्पत्ति बचाने तथा उनकी सहायता में लगाये जाने वाले धन को बचाने के लिये प्रत्येक गांव में एक तालाब बनवाया जाय और तालाब बनवाने का पुराने जमाने में हमारे वहां बढ़ा पुण्य माना जाता था और मैं समझती हूं तालाब बनाने का पुणय इस माने में होता था कि उस तालाव द्वारा गाँव भर की पानी की ज़रूरतें पूरी होती थीं और बरसात के दिनों में वह पानी बाढ़ न बन कर तालाब में जमा हो जाता था। वह बाद में गांव भर के काम आता था और गांव की रक्षा करता था। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि हर एक गांव में जरा नीची भूमि पर तालाब बनवाया जाय और तालाब से जो मिट्टी निकलेगी, उसकी ईंटें और खपरेलें बनायी जायें और बरसात में जो पानी तालाब में जमा हो जायगा वह बाढ़ के रूप में गांव भर में न फैल कर उनके काम में आयेगा। मैं समझती हूं कि ऐसा करने से हमारा रुपया भी बचेगा और काम भी ठीक तरह से चल सकेगा। यह कुछ सुझाव थे जो मैं आपकी सेवा में रखना चाहती हूं।

इसके अतिरिक्त आज समें अपने व्यवसायों को सुरक्षित रखना है और उनको प्रोत्साहन देकर बढ़ाना है। तिब्बत देश के चीन में चले जाने से हमारे गढ़वाल प्रदेश के कुटीर उद्योगों को बहुत हानि हुई है। उद्योगों की हानि के साथ ही साथ सुरक्षा का भी उससे सम्बन्ध है और मुझे विश्वास हैं कि सुरक्षा का प्रश्न हमारे नेताओं के सामने जरूर मौजूद होगा और सुरक्षा का विषय कितना महत्वपूर्ण है इसको सभी लोग जानते और समझते हैं और सुरक्षा के साधनों पर भी विचार हो ही रहा है।

यह नीति ग़लत है कि किसी की आय ३५ रुपया मासिक हो और किसी की आय २,५०० रुपया मासिक निर्धारित हो जैसा कि द्वितीय राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन में बताया गया। मेरा निवेदन है कि कम आय वालों पर यह सीलिंग लगनी चाहिये कि उसकी कम से कम इतनी आय हो जिससे वह अपनी तथा अपने सारे परिवार की आवश्यकताओं को आराम से पूरा कर सके। मेरा यह सुझाव है कि व्यक्तिगत आय देख कर उसे भूमि दी जाय और भूमि ऐसी दी जाय और इतनी दी जाय जिससे कि सारा परिवार आगे चल कर उस पर गुजर कर सके और अपना-अपना हिस्सा उसमें पा सके। यह देखकर सीमा बांधी जाय कि उससे उस आदमी की उतनी आय हो सकेगी कि जिससे वह आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा और ऐसा होने से वह अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकेगा और सुखपूर्वक अपनी जिन्दगी व्यतीत कर सकेगा और तभी हमारा देश ऊपर उठ सकता है। अगर ऐसा न हुआ तो हम कहीं के नहीं रह जायेंगे और यह होता रहेगा कि बड़े आदमी और बड़े हो जायेंगे और गरीब आदमी और गरीब होते चले जायेंगे, यह बात हम नहीं रोक पायेंगे अगर हम यह बंदिश नहीं लगा देते कि जो आदमी गरीब से गरीब हो, उसके लिये इतनी तो व्यवस्था जरूर ही होनी चाहिये जिससे कि वह आराम से अपनी जिन्दगी बसर कर सके और अपने बाल बच्चों को खिला पिला सके।

अब मैं थोड़ा सा अपने जिले के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। मैंने तीन बांध योजनायें प्लानिंग कमीशन के सामने रक्खीं थी और वे हमारे पिछड़े हुये इलाके के लिये बहुत ही आवश्यक हैं। उन तीन में से एक बांध योजना का कार्य प्रारम्भ भी किया जा चुका था और जिस पर ११ लाख रुपया

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

भी लग चुका था, और उस योजना पर ८ करोड़ रुपये लगने का अन्दाज था । अब जब उसके सम्बन्ध में प्लानिंग कमिशन से पूछताछ की गई तो बतलाया गया कि उस पर ५९ करोड़ रुपया लगेगा, यह एकदम से कैसे ७ गुना या ८ गुना रकम हो गयी, यह मेरी समझ में नहीं आया । हम तो यह आशा कर रहे थे कि बांध के बनने से हमारे दोनों गढ़वालों में हजारों एकड़ भूमि को सींचा जा सकेगा और हमें काफी बिजली उपलब्ध हो सकेगी और साथ ही हमारे गृह उद्योग भी पनप सकेंगे लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस काम को यह कहकर कि इतना अधिक रुपया दर्कार होगा, टाला जा रहा है । मेरा निवेदन है कि खाली आपको बड़े-बड़े शहरों की ओर ही ध्यान नहीं देना है और उन पर ही रुपया नहीं खर्च करना है बल्कि हमारे गढ़वाल जैसे पिछड़े इलाकों की उन्नति करने की ओर भी ध्यान देना है । मैं देख रही हूं कि उस बांध का निर्माण कार्य यह कह कर कि उस पर ५९ करोड़ रुपये लगेंगे, टाल दिया गया है । पिछड़ा इलाका घोषित करने का आश्वासन दे कर भी वह टाला जा रहा है अतः मैं नहीं समझती कि उस पिछड़े हुये इलाके की किस प्रकार उन्नति हो सकेगी । मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि इन बातों पर विचार किया जाये । गांवों और पिछड़े हुए इलाकों की उन्नति करनी चाहिये और जो उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करना चाहिये और हमारे इलाके की उन्नति करने के लिये बांध का बनाया जाना जरूरी है और मेरी प्रार्थना है कि सरकार को उसको शीघ्र बनवाना चाहिये और उसके लिये आवश्यक धन देना चाहियें ।

बेकारी की समस्या को हल करने का क्या उपाय है ? मेरा विचार यह है कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिये जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है, हमें अपने देश में ज्यादा से ज्यादा कुटीर और गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

साथ ही मेरा एक सुझाव और है । जहां पर आज एक आदमी है वहां पर दो आदमियों को रखें । चाहे आप को उनकी तनख्वाह आधी आधी कर देनी पड़े, लेकिन उनकी संख्या बढ़ाना आवश्यक है । अगर आप जरूरत समझें तो जो आदमी आठ घंटा काम करते हैं उनको चार घंटों के लिये रखिये । जो चार घंटे उनके पास बचते हैं इस खाली समय में वे कोई दूसरा काम कर सकेंगे । इस तरह से उनकी आमदनी भी बढ़ सकेगी और जो आदमी आज बेकार बैठ हुये हैं, उनकी संख्या भी कम हो जायेगी क्योंकि दूने आदमियों को काम मिल सकेगा । इसके साथ ही यह भी हो सकेगा कि जो एक क्लर्क आज ९ बजे से ६ बजे तक दफ्तर में बैठता है और पिसा करता है उसके दिमाग को भी कुछ आराम मिलेगा, और घर की देख भाल करने का भी कुछ मौका मिल सकेगा । यदि मेरे इस सुझाव को श्रीमान् उचित समझें तो कार्यान्वित कर दें ।

इसी तरह से मैं अपने लोगों की मांगों के सम्बन्ध में भी कहना चाहती हूं । बहुत दिनों से हमारी एक बांध की मांग है, लेकिन उस को सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया । इसी तरह से मैंने एक पेपर फैक्टरी बनाने के लिये मांग रखी थी और उसके लिये एक बड़ा अच्छा स्थान भी बताया था जहां पर पहाड़ों के ऊपर से लकड़ी बह कर आती है, और वहां पहुंच कर जमा होती है । वहां पेपर पल्प फैक्टरी, प्लाई वुड फैक्टरी, मैच फैक्टरी और रोजिन फैक्टरी बन सकती है जिससे हमारे यहां जो बेकारी फैली हुई है उसमें कमी होती और हमारे प्रांत को भी लाभ होता, लेकिन यह बात भी अभी तक तय नहीं हो पाई है । इसके लिये मैं कई दफा सरकार से कह चुकी हूं पर अभी तक कोई ध्यान उस पर नहीं दिया गया है ।

इसी प्रकार से हमारे यहां जड़ी बूटियां काफी पाई जाती हैं, जिनसे दवायें बनाई जाती हैं । इसके लिये गुप्तकाशी उत्तराखंड विद्यापीठ जैसे आयुर्वेद विद्यालय गढ़वाल में हैं, उसकी ओर हमारे वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिये । अगर उसके लिये आप अवश्य कुछ धन देने की कृपा करें या प्रान्तीय सरकार से दिलायें तो बड़ा अच्छा होगा ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया पूर्व) : मैं वैदेशिक कार्य और प्रतिरक्षा के विषय में ८ ठोस सुझाव देना चाहता हूं ।

पहला सुझाव यह है कि भारत सरकार को चीन, रूस और एशिया के अन्य देशों से एक फेडरल संघ बनाने के लिये निवेदन करना चाहिये ।

दूसरा सुझाव यह है कि रूस और रूस से सम्बन्धित देशों से हमें शस्त्रास्त्र खरीदने चाहियें ।

तीसरा सुझाव यह है कि हमें अपनी सेना, नौसेना और वायु सेना को चीनी और रूसी ढंग पर संगठित करना चाहिये । क्योंकि युद्ध का भय उत्पन्न हो गया है ।

चौथा सुझाव यह है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र को बदलने के लिये आग्रह करना चाहिये । संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये प्रतिनिधि जनता द्वारा व्यस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने चाहियें । एशिया और अफ्रीका को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये तथा सब देशों की सेनाओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नियंत्रण होना चाहिये ।

पांचवां सुझाव यह है कि बेतार के तार द्वारा नियंत्रित राकेटों के उत्पादन के लिये प्रविधिज्ञों का एक निकाय संगठित किया जाना चाहिये ।

छठा सुझाव यह है कि हमें आविण्क शस्त्र बनाने चाहियें क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे शस्त्र प्राप्त हो गये हैं ।

सातवां सुझाव यह है कि आधुनिक युद्ध के तरीकों का अध्ययन करने के लिये हमें कुछ विशेषज्ञ रूस भेजने चाहियें ।

अन्तिम सुझाव यह है कि हमें कीटाणु युद्ध के लिये कीटाणु तैयार करने के लिये चिकित्सा सम्बन्धी वैज्ञानिकों का एक निकाय संगठित करना चाहिये ।

आज विश्व में नेटो आदि जैसे संघ बन रहे हैं । पश्चिमी योरूप के देश भी रूस से मिल गये हैं । हम अकेले नहीं रह सकते, इसलिये मैंने एशिया में फेडरल संघ बनाने का सुझाव दिया है । दक्षिण-पूर्व एशिया में कोई बलवान शक्ति नहीं है । भारत इस समय उसका नेतृत्व नहीं कर सकता । यदि इस क्षेत्र में अमरीका आता है तो भारत-चीन और रूस का विनाश हो जायेगा ।

हो सकता है कि अमरीका और रूस में समझौता हो तथा अमरीका दक्षिण-पूर्वी एशिया और रूस मध्य-पूर्व में अपना अधिपत्य स्थापित कर लें । ऐसी दशा में भारत और चीन कमजोर पड़ जायेंगे । यदि उक्त दो क्षेत्रों में रूस और चीन का अधिपत्य हो जाये तो भारत निर्बल हो जायेगा । अतएव हमें लोकतन्त्र और समाजवाद के आधार पर चीन और रूस का फेडरल संघ बनाना चाहिये । इसमें हमें छोटे देशों का भी सहयोग प्राप्त होगा । मैं विश्व में एक राज्य चाहता हूं और युग की भी यह मांग है । आण्विक युग में राष्ट्रीय राज्य अपना अस्तित्व बनाये नहीं रह सकते । चाहे युद्ध हो अथवा नहीं, स्थिति ज्यों की त्यों नहीं रह सकती ।

मेरे सुझाव का एक कारण यह है कि मैं यह नहीं चाहता कि गौरवर्ण जातियों पर अगौरवर्ण जातियों का स्वामित्व रहे । इसीलिये मैं लोक तन्त्र और समाजवाद के आधार पर विभिन्न धर्म और संस्कृति वाले लोगों का फेडरेशन चाहता हूं । यह सुझाव अभूतपूर्व नहीं है । ऐसा सुझाव १९४० में श्री चर्चिल ने फ्रांस को दिया था पर उसे स्वीकार नहीं किया गया । आज उसी फ्रांस को नेटो का सदस्य बनना पड़ा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बूवराघस्वामी** (पेराम्बलूर) : मैं परियोजनाओं और अपनी सरकार की वित्त व्यवस्था के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा ।

सरकार दक्षिण भारत के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर रही है । दक्षिण की ओर विशेषकर तामिलनाड की उपेक्षा की जा रही है । उत्तर भारत में भाखड़ा-नंगल, हीराकुड और दामोदर घाटी निगम परियोजनायें स्थापित की गई हैं । बड़े-बड़े बिजलीघर भी बनाये गये हैं । करोड़ों रुपये केवल उत्तर में खर्च किये जा रहे हैं । इनका दक्षिण में प्रचार करने से क्या लाभ है ? राष्ट्रीय उपकरण कारखाना, युद्ध सामग्री के कारखाने, सिन्दरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन कारखाना, रेलवे इंजन का कारखाना तथा और बहुत सी गवेषणा संस्थायें उत्तर में स्थापित की गई हैं । नये इस्पात कारखाने भी चवालीस करोड़ रुपये की लागत पर उत्तर में ही बनाये जा रहे हैं । काण्डला में बन्दरगाह बनाया जा रहा है यद्यपि वह स्थान उपयुक्त नहीं है ।

शरणार्थियों की अनन्त समस्या पर करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष व्यय किये जा रहे हैं । सरकार को तामलिनाड की ओर भी ध्यान देना चाहिये । दिल्ली में भी बड़े-बड़े भवन बनाये जा रहे हैं जो एक बम द्वारा ही उड़ाये जा सकते हैं । अतएव ऐसे भवन देश भर में बनाये जाने चाहियें ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** (जिला मेरठ—दक्षिण) : आप तो सुरक्षित हैं ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि समय कम है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उनकी ओर ध्यान न देकर अध्यक्ष-पीठ को सम्बोधित करें ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : तामिलनाड पर बहुत ही कम खर्च किया जा रहा है, जबकि उत्तरी भारत के लिये बहुत बड़ी रकम खर्च की जा रही है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य को १७०·३ करोड़ रुपये दिये गये हैं जिसके बारे में मद्रास विधान सभा का एकमत है कि यह रकम बहुत थोड़ी है ।

तामिलनाड में पर्याप्त संसाधन हैं । लोह अयस्क, लिगनाइट आदि सब मिलते हैं । इसलिये वहां आसानी के साथ एक इस्पात संयंत्र लगाया जा सकता है और दूसरे उद्योगों का भी विकास किया जा सकता है । दक्षिण का एक बड़ा उद्योगपति श्री जी० डी० नायडू वहां अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने को तैयार है । परन्तु हमारी सरकार का यह व्यवहार है कि उसकी बात की परवाह भी नहीं करती और उसकी कुशलता का उपयोग नहीं करती ।

त्रिचनापली जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ छोटी नदियां हैं । परन्तु वहां के पेराम्बलूर और उदयरपलयम तालुकों में पीने के पानी की अत्यधिक कठिनाई है । यदि सरकार पुलाम्बाडी नहर योजना को ऊंचे धरातल से बदल दे, तो इन लोगों को पीने के लिये जल मिल सकता है । अय्यारू जल प्रपात के पास भी बांध बांधा जा सकता है और बिजली पैदा की जा सकती है । मरूदयार के पानी से भी लाभ उठा कर सिंचाई के काम में लाया जा सकता है । सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

वहां जो समाज कल्याण बोर्ड है, उसका कोई उपयोग नहीं है । मैंने उन्हें कभी गांवों में जाते नहीं देखा । यह केवल मंत्रियों का स्वागत करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करता । इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के अतिरिक्त और भी कई पिछड़े हुये वर्ग हैं । उनकी जनसख्या के अनुपात से उनको भी उचित सहायता दी जानी चहिये । परन्तु होता क्या है कि प्रायः

†मूल अंग्रेजी में

सभी प्रमुख पद ब्राह्मणों के हाथों में है । अतः इस बात की आवश्यकता है पिछड़े वर्गों के लोगों को कालेजों, नौकरियों और पदोन्नतियों के मामले में उचित प्रतिनिधान मिलना चाहिये ।

जाति के आधार पर संसद् में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, इसलिये प्रशासन का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने खोलना बड़ा कठिन है । हमारी सरकार को इस दिशा में संविधान में आवश्यक संशोधन करना चाहिये ताकि पिछड़े वर्गों के लोगों की उचित सहायता की जा सके ।

उत्तर के लोग हिन्दी के पीछे पागल हैं । हिन्दी दक्षिण के लोगों के सामने बाधा उपस्थित करती है । संविधान में हिन्दी को मान्यता दी गई है । केवल इस कारण दक्षिण वालों को धमकाना नहीं चाहिये । संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये । ताकि यह बिना पक्षपात के सब पर लागू की जा सके । पिछड़े वर्गों की समस्या और हिन्दी समस्या की ओर हमारी सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं प्रार्थना करता हूं कि सभा इस मामले पर सहानुभतिपूर्वक विचार करके लोगों के प्रति न्याय करेगी ।

नियम समिति

द्वितीय प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव २४३३–३४

अध्यक्ष ने एक स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर, जो बम्बई में नौका-गोदी और नौका डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में था और जिसकी पूर्व सूचना श्री कामत ने दी थी, २० अप्रैल, १९५६ को दिये जाने वाले सरकारी वक्तव्य की दृष्टि से अपना विनिश्चय स्थगित कर दिया।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४३४–३५

निम्न पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उपधारा (३) के अधीन चाय नियम, १९५४ में और आगे संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ७४६, तारीख ३१ मार्च, १९५६ की एक प्रति।

(२) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उपधारा (१) के अधीन ३० सितम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाले काल के लिये नारियल जटा बोर्ड की कार्यवाही तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम की कार्यान्विति पर अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(३) द्विकराधान से बचने के लिये भारत सरकार और इंगलैंड की सरकार के बीच एक करार तथा १५ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७११ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासन के अनुसार मृतक व्यक्तियों की सम्पदाओं पर शुल्कों के बारे में कर-अपवंचन के निवारण की एक प्रति।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २४३५

पचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २४३५–३७

बत्तीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

विधेयक वापस लिया गया २४३९–४३

संविधान (छठा संशोधन) विधेयक।

विधेयक पुरःस्थापित २४३७–२४४३

(१) जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक।
(२) राज्य पुनर्गठन आयोग।
(३) संविधान (नवां संशोधन) विधेयक।
(४) विनियोग (संख्या २) विधेयक।

विधेयक पर विचार २४४४–८५

वित्त विधेयक पर और आगे चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

नियम समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २४८५

दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ।

शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—

वित्त विधेयक और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार।

M118LSD—190—25-11-57—GIPF